रिपोर्ट संख्या—26

उत्तराखण्ड सरकार

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड, पौड़ी

राज्य में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सुझाव

अप्रैल, 2026

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जिसका लगभग 85% भूभाग पर्वतीय है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं उद्यान रीढ़ है। आयोग की रिपोर्टों के अनुसार जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान करना पलायन के अनेक कारणों में से एक है। अतः जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान एक चिंता का विषय है। इसी के मध्यनजर ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा यह रिपोर्ट तैयार की गयी है।

इस रिपोर्ट में जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान का राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आंकलन किया गया है तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों/योजनाओं का भी अध्ययन किया गया है। यह प्रदेशव्यापी सर्वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य के ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से कराया गया है जिसमें प्रमुख जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान का आंकलन किया गया है। जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान को कम करने में ग्रामीणों द्वारा अपनाए जा रहे कदम एवं सुझाव भी आयोग द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

आयोग की टीमों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमणों के आधार पर एकत्रित आंकड़े एवं सुझाव भी इस रिपोर्ट में सम्मिलित हैं। राज्य के विभिन्न विभाग जैसे कि वन विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग एवं सहकारिता विभाग आदि विभागों से आंकड़े एवं सुझाव भी प्राप्त किए गए हैं। इस प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण आयोग के पौड़ी कार्यालय स्थित टीम द्वारा किया गया है। रिपोर्ट मे जंगली जानवरों से फसलों के बचाव हेतु विस्तृत सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं जो जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा में तथा पलायन निवारण में लाभदायक होंगे।

आयोग अपने अध्यक्ष श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन; सचिव, ग्राम्य विकास एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीण; आयोग के माननीय सदस्यगण; श्री भरत चन्द्र भट्ट, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, उत्तराखण्ड; श्री गंगा प्रसाद लखेड़ा, वरिष्ठ शोध अधिकारी, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग, श्री गजपाल चन्दानी, शोध अधिकारी, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत, वैयक्तिक सहायक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद करता है।

अप्रैल, 2026

डॉ शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अन्तर्वस्तु

अध्याय 01.	परिचय	1–6
अध्याय 02.	राज्यान्तर्गत पलायन की स्थिति में मानव–वन्यजीव संघर्ष का योगदान	7–12
अध्याय 03.	कृषि उत्पादन में बदलाव एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ	13–38
अध्याय 04.	वन्यजीवों से फसलों को नुकसान एवं विभागीय शमन कार्यक्रम	39–58
अध्याय 05.	जंगली जानवरों से फसलों को क्षति का आंकलन	59–73
अध्याय 06.	जंगली जानवरों से फसलों की क्षति पर आंकड़ों का विश्लेषण एवं सुझाव	74–81

परिचय

उत्तराखण्ड राज्य का गठन वर्ष 2000 में किया गया। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 100.7 लाख थी जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83 प्रतिशत है। उत्तराखण्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग कि.मी. है तथा इसे दो अंचलों कुमाऊँ (06 जनपद) एवं गढ़वाल (07 जनपद) में बांटा गया है। राज्य में कुल 13 जनपद 95 विकासखण्ड तथा 16793 Census ग्राम हैं जिनमें से (वर्ष 2011 में) 1048 गैर आबाद थे। वर्ष 2001 तथा वर्ष 2011 के बीच राज्य की जनसंख्या वृद्धिदर 1.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2011 में राज्य की साक्षरता दर 78.8 प्रतिशत थी।

राज्य में 10 जनपद पर्वतीय हैं तथा 03 जनपद मैदानी क्षेत्रों में है। पर्वतीय क्षेत्रों का भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 85 प्रतिशत है, परन्तु पर्वतीय जनपदों में राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 50 प्रतिशत लोग ही रहते है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धिदर 1.3 प्रतिशत थी जो की राज्य औसत से कम है। इसी अवधि में उत्तराखण्ड की शहरी जनसंख्या 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।

राज्य का अधिकांश क्षेत्र जंगलों और बंजर भूमि के अधीन है। प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्र 6,20,629 है0 (वर्ष 2020–21) है। कुल में से, लगभग 89% छोटे और उप सीमांत के अधीन हैं। चूंकि बड़ी संख्या में क्षेत्र छोटी और सीमांत जोत के अधीन है, अतः अर्थव्यवस्थाओं के पैमाने का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, और इसलिए उत्पादन की प्रति इकाई लागत अधिक है। तराई क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और कई फसलों का समर्थन करती है। दूसरी ओर पहाड़ी क्षेत्र खड़ी ढलानों के कारण लगातार मिट्टी के कटाव का शिकार होता है, जिससे यह कम उपजाऊ हो जाता है, जिसे बेहतर प्रबंधन प्रथाओं को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है।

राज्य में, किसान आम तौर पर दो प्रकार की कृषि पद्धतियों को अपनाते हैं अर्थात वर्षा आधारित और सिंचित। राज्य में काफी कृषि वर्षा आधारित है। राज्य का शुद्ध सिंचित क्षेत्र 3.38 लाख हेक्टेयर (वर्ष 2009–2010) है। राज्य के लिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र से शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 45 प्रतिशत है। इसलिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे राज्य की फसल सघनता भी बढ़ेगी। ये वैकल्पिक स्रोत वर्षा जल संचयन, चेक डैम, लिफ्ट सिंचाई के लिए हाइड्रैम आदि हो सकते हैं। बेहतर जल प्रबंधन के लिए ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में काफी परिवर्तनशील है। नतीजतन, कृषि परिदृश्य एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। (क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता वर्ष 2010–11) दूसरी ओर जनपद उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल (मैदानी) एवं देहरादून (मैदानी) की उत्पादकता बहुत अधिक है। पहाड़ी क्षेत्र की उत्पादकता बहुत कम है, हालांकि घाटियाँ उपजाऊ हैं। मैदानी और पहाड़ी कृषि एक दूसरे के विपरीत हैं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में उत्पादकता की तुलना देश के कृषि रूप से विकसित क्षेत्रों से की जा सकती है, पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादकता बहुत पीछे है। हरित क्रांति ने राज्य के मैदानी क्षेत्र की कृषि प्रणाली को अत्यधिक लाभान्वित किया था जबकि इसने पहाड़ी क्षेत्र की उपेक्षा की है। कृषि को अधिक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए जैविक खेती, कृषि के विविधीकरण, कटाई के बाद की तकनीकों, बाजार के हस्तक्षेप को मजबूत करने और कृषि मशीनरी के उपयोग का भी एक अच्छा अवसर है।

सामान्य सूचनाएं (वर्ष 2020–21 के आधार पर) स्रोत– राजस्व, उत्तराखण्ड।

मद	विवरण	प्रतिशत
1. प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	53483 वर्ग कि0मी0	
(अ) पर्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल	46035 वर्ग कि0मी0	
(ब) मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल	7448 वर्ग कि0मी0	
2. वनों का क्षेत्रफल	3811662 हैक्टेयर	64
3. कुल परती भूमि	191013 हैक्टैयर	3.18
4. वास्तविक कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	620629 हैक्टैयर	10
(अ) पर्वतीय कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	अ327942 हैक्टेयर	52.84
(ब) मैदानी कृषि के अन्तर्गत क्षेत्रफल	292687 हैक्टेयर	47.16
5. वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल	321576 हैक्टैयर	51.80
(अ) पर्वतीय कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	38136 हैक्टेयर	11.86
(ब) मैदानी कृषि के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्रफल	283440 हैक्टेयर	88.14
6. फसल सघनता	–	160.62
7. कुल कृषि जोत	881305	–
8. लघु एवं सीमान्त जोत	807877	92
9. अन्य जोतें	73428	8
10. कृषि वृद्धि दर (current) 2021–22*		2.85

जैविक खेती (Organic Farming) में अग्रणी राज्य :– उत्तराखण्ड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के न्यूनतम उपयोग के साथ जैविक खेती को बढावा दिया जा रहा है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

- अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर बढता उत्तराखण्ड राज्य सिक्किम के बाद पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने की दिशा में अग्रसर है।
- राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन (NMSA) और परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)के तहत किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- राज्य में मंडुवा (Ragi), झंगोरा (Barnyard Millet), रामदाना (Amaranthus) चौलाई, गहथ, लाल चावल और राजमा जैसी पारंपरिक फसलें जैविक पद्धति से उगाई जाती है।
- राज्य भारत के प्रमुख मिलेट्स उत्पादक राज्यों में शामिल है, जो सरकार की **''श्री अन्न योजना''** से भी जुड़ा है।
- उत्तराखण्ड की गहथ दाल, काला भट्ट, माल्टा, रामदाना, बुराँश का रस, लाल चावल, पहाड़ी तुअर, अल्मोड़ा की लाखोरी मिर्च, चमोली के रम्मन मुखौटे, रामगढ़ नैनीताल के आडू, नैनीताल की लीची, मंडुवा और झंगोरा आदि कुल 27 उत्पादों को GI टैग (Geographical Indication) मिलना उत्तराखण्ड के उत्पादों को इस वजह से अहम है कि इससे वैश्विक स्तर पर इनकी पहचान होगी, साथ ही यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है। जिसका लाभ उत्तराखण्ड के उत्पादक किसानों को मिल रहा है।
- **बागवानी (Holticulture)के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की भूमिका :–** उत्तराखण्ड की समशीतोष्ण जलवायु और उपजाऊ भूमि इसे बागवानी उत्पादों के उत्पादन में विशेष बनाती है। यहाँ फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों और सुगंधित फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जो इसे भारत के अन्य राज्यों से अलग स्थान बनाने में सहयोग करता है। मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–
- उत्तराखण्ड **''फलों की टोकरी'' Fruit Basket** के रूप में उभर रहा है।
- उत्तराखण्ड में सेब, आडू, प्लम, खुमानी, नाशपाती, माल्टा, कीवी, और अखरोट जैसे गुणवत्ता वाले फलों का उत्पादन किया जाता है।
- सेब उत्पादन में उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के बाद तीसरे स्थान पर है।
- प्रमुख सेब उत्पादक जिलों में उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ सम्मिलित हैं।
- उत्तराखण्ड की **''ऑफ–सीजन वेजिटेबल फार्मिंग''** की वजह से यहाँ की सब्जियाँ भारत के मैदानी राज्यों (उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब) में निर्यात होती हैं।
- राज्य में मटर, टमाटर, शिमला मिर्च, फूलगोभी, आलू, हरी पत्तेदार सब्जियों का उत्पादन प्रमुखता से होता है।
- हरी मटर और आलू के उत्पादन में उत्तरकाशी और चमोली अग्रणी हैं।
- उत्तराखण्ड में अश्वगंधा, एलोवेरा, सतावर, तेजपत्ता, तुलसी, ब्राह्मी, कुटकी, और जड़ी–बूटियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है।
- सरकार ने **''हर्बल वैली प्रोजेक्ट''** के तहत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा दिया हुआ है।

- उत्तराखण्ड में उगने वाले सुगंधित पौधों (जैसमीन, लेमनग्रास, रोजमैरी, लैवेंडर) की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी डिमाण्ड है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूल (Climate Resilient Farming) कृषि :– उत्तराखण्ड के किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए संरक्षित खेती की ओर बढाया जा रहा है। पॉलीहाउस खेती, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और ग्रीनहाउस तकनीक से कम पानी में अधिक उत्पादन सम्भव हो रहा है। सभी जनपदों में पॉलीहाउस फार्मिंग तेजी से बढ़ रही है।

कृषि पर्यटन (Agri-Tourism) में बढ़ती सम्भावनाएं :– उत्तराखण्ड में कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। राज्य के कई हिस्सों में **"फार्म स्टे"** और **"ऑर्गेनिक फार्मिंग टूर"** शुरू किए गए हैं, जहाँ पर्यटक जैविक खेती और स्थानीय कृषि संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत और टिहरी में प्रमुख कृषि पर्यटन केन्द्र की शुरूवात हो गयी है।

उत्तराखण्ड की समृद्ध दुग्ध और ऊन उत्पादन परंपरा :– उत्तराखण्ड का पशुपालन क्षेत्र दुग्ध उत्पादन, बकरीपालन, मांस उत्पादन और ऊन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- उत्तराखण्ड उत्तर भारत में दुग्ध उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन रहा है। यहाँ गिर (देशी/मैदानी) गाय, बद्री (पहाड़ी) गाय और मुर्रा भैंस जैसे उच्च दुग्ध उत्पादक नस्लों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- बद्री गाय उत्तराखण्ड की एक विशिष्ट नस्ल है, जिसका दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है।
- राज्य में गद्दी बकरी और पहाड़ी भेड़ का पालन किया जाता है, जिससे ऊन और मांस उत्पादन होता है।
- सरकार की **"पशुपालन समृद्धि योजना"** के तहत किसानों को सब्सिडी और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद मधुमक्खी पालन (Beekeeping) में अग्रणी राज्य है। यहाँ के ऑर्गेनिक हनी (Organic Honey) की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है।

उत्तराखण्ड में भूमि उपयोग :– कृषि और दुग्ध विकास विभाग द्वारा भूमि उपयोग हेतु प्रकाशित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य में वर्ष 2004–05 से वर्ष 2011–12 के फसली क्षेत्रफल में गिरावट का होना कहीं न कहीं कृषि के प्रति किसानों की अरूचि का संकेत है, जिसके पीछे निम्नवत प्रमुख कारण सम्मिलित हैं जैसे जंगली जानवरों द्वारा क्षति, बिखरी जोत, मौसम परिवर्तन, पहाड़ी बीजों की विलुप्ति, पालतू पशु की कमी से खाद की कमी, पलायनवादी सोच और मानसिकता, विपणन की कमी, विभागीय योजनाओं के प्रचार–प्रसार में कमी।

देश के उत्पादन में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति :– उत्तराखण्ड, जिसे **'देवभूमि'** के नाम से भी जाना जाता है, प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक पहाड़ी राज्य है जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह राज्य अपनी जैव विविधता, वन सम्पदा, जल स्रोतों और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। देश के समग्र उत्पादन में उत्तराखण्ड की भूमिका विविध क्षेत्रों में देखने को मिलती है – जैसे कृषि, वन सम्पदा, जलविद्युत, पर्यटन, औद्योगिक इकाइयां और जड़ी–बूटियों का उत्पादन। भले ही राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल अन्य राज्यों की

तुलना में छोटा है, लेकिन उत्तराखण्ड प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास की दिशा में देश को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र में संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :–

देश के उत्पादन में प्रदेश की स्थिति (वर्ष 2017–18 में)			
विवरण	भारत	उत्तराखण्ड	देश में उत्तराखण्ड की स्थिति
चावल	1127.58 लाख मी. टन	6.65 लाख मी. टन	0.59%
मडुवा	19.85 लाख मी. टन	1.39 लाख मी. टन	6.99%
गेहूँ	998.70 लाख मी. टन	9.30 लाख मी. टन	0.93%
जौ	17.81 लाख मी. टन	0.25 लाख मी. टन	1.43%
धान्य	2595.97 लाख मी. टन	18.73 लाख मी. टन	0.72%
दाल	2516 लाख मी. टन	0.48 लाख मी. टन	0.19%
खाद्यान्न उत्पादन	2850.14 लाख मी. टन	19.21 लाख मी. टन	0.67%
तिलहन	314.59 लाख मी. टन	0.26 लाख मी. टन	0.08%

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018)

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि किसानों की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो और **"सस्टेनेबल (Sustainable) और इको–फ्रेंडली एग्रीकल्चर मॉडल"** की दिशा में अग्रसर होने तथा आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड को भारत का सबसे अधिक उन्नत कृषि और बागवानी राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। किन्तु **जन समुदाय के सहयोग और मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम** किये बिना यह संभव नहीं है।

- **मुख्यमंत्री फलों की खेती योजना :–** फलों की खेती के लिए किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
- **राष्ट्रीय बागवानी मिशन :–** फलों, सब्जियों और औषधीय पौधों की खेती के लिए वित्तीय सहायता।
- **जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए फेंसिंग योजना :–** किसानों को इलैक्ट्रिक और चैनल फेंसिंग पर 50–70% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
- **मुख्यमंत्री पॉलीहाउस योजना :–** पॉलीहाउस खेती के लिए 80% तक अनुदान।
- **ऑर्गेनिक खेती मिशन :–** उत्तराखण्ड को जैविक खेती का प्रमुख केन्द्र बनाने के लिए कार्यरत।

प्रक्रिया और पद्धति :–

यह रिपोर्ट राज्य के गामीण क्षेत्रों में **जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने** के उन असरदार परिणाम कारकों का विश्लेषण है। विशेषकर उन सामाजिक–आर्थिक मानकों का, जिनका संदर्भ पलायन पर असर कर रहा है का विस्तार से जांच करती है। माध्यमिक जानकारी का आधार राज्य के कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन्यजीव संरक्षण बोर्ड, वैज्ञानिक और शोध संस्थान, पुलिस विभाग, पशुपालन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन और गैर–सरकारी संगठन के जनपद एवं राज्यस्तरीय अधिकारियों की प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाएं हैं। प्राथमिक जानकारी, आयोग द्वारा गठित **"मानव–वन्यजीव संघर्ष सुझाव समिति"** एवं आयोग की टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण से संकलित की गई सूचनाओं पर आधारित है। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से समस्त ग्राम

पंचायतों में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर करवाये गये सर्वेक्षण, विकासखण्डवार विभागीय पक्ष तथा किसानों और उद्यमियों के पक्ष हेतु आंकड़े एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत **जंगली जानवरों द्वारा कृषि क्षेत्र में हो रहे जोखिम/नुकसान पर अंकुश लगाने** हेतु सिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं जिससे पलायन की गति पर अंकुश लग सकेगा, तथा रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिलेगा।

राज्यान्तर्गत पलायन की स्थिति में मानव–वन्यजीव संघर्ष का योगदान

भारत एवं कई अन्य विकासशील देशों में जंगली जानवरों और मानव के बीच संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुकी हैं। वनों पर मानव दबाव, बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जंगली जानवरों का मानव बस्तियों की ओर आना बढ़ गया है। इससे न केवल फसलें और मवेशी को नुकसान होता है, बल्कि कई बार इंसानों की जान भी चली जाती है। राज्य में जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान से खेती प्रभावित होती है तथा लोग पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसकी पुष्टि आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में पलायन के मुख्य कारण हेतु राज्य में उपलब्ध आंकड़ें हैं, जिन्हें नीचे दी गई सारणी एवं ग्राफ में दर्शाया गया है।

राज्यान्तर्गत ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)

राज्य	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का अभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का अभाव (प्रतिशत)	इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संबंधियों को देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	योग
उत्तराखण्ड	50.16	8.83	15.21	3.74	5.44	2.52	5.61	8.48	100

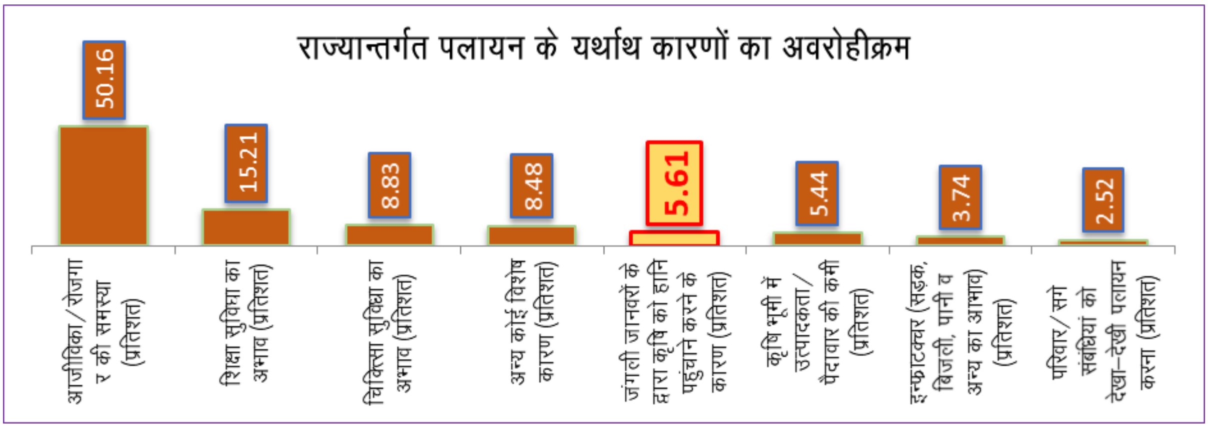

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन के उल्लेखित आंकड़ों में **पांचवें स्थान पर जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने** का योगदान लगभग **5.61** प्रतिशत होना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को दर्शाता है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन आजीविका के प्रमुख साधन हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जंगली जानवरों के हमले और उनसे होने वाले आर्थिक नुकसान के कारण गाँवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। जंगलों के घटते क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण वन्यजीव अब ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे फसलों, पशुओं और यहाँ तक कि मानव जीवन को भी खतरा हो रहा है। इस बात की पुष्टि आयोग की वर्ष 2018 में प्रकाशित पलायन की स्थिति पर प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में जनपदवार आंकड़ों एवं ग्राफ से होती है।

राज्यान्तर्गत ग्राम पंचायत से पलायन के मुख्य कारणों का जनवादवार विवरण (लगभग प्रतिशत में)									
जनपद / राज्य	आजीविका / रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का अभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविघा का अभाव (प्रतिशत)	इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार / सगे संबंधियां को देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	**जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)**	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	योग
चमोली	49.30	10.83	19.73	4.93	4.73	2.51	**3.09**	4.87	100
पिथौरागढ़	42.81	10.13	19.52	4.97	4.66	2.36	**4.08**	11.48	100
टिहरी गढ़वाल	52.43	7.84	18.24	3.07	6.17	2.47	**4.26**	5.52	100
उत्तरकाशी	41.77	6.04	17.44	2.29	7.14	2.10	**4.04**	19.17	100
पौड़ी गढ़वाल	52.58	11.26	15.78	3.03	5.35	2.53	**6.27**	3.21	100
रूद्रप्रयाग	52.90	8.64	15.67	4.43	4.27	3.26	**5.11**	5.72	100
बागेश्वर	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	**3.42**	23.65	100
देहरादून	56.13	6.33	12.50	1.20	2.08	1.40	**1.65**	18.70	100
अल्मोड़ा	47.78	8.61	11.75	3.81	8.37	2.68	**10.99**	6.02	100
नैनीताल	53.70	7.79	10.37	4.96	4.94	2.10	**6.38**	9.76	100
चम्पावत	54.90	6.67	10.24	5.46	6.31	4.30	**6.65**	5.46	100
ऊधमसिंह नगर	65.63	4.27	3.52	0.60	0.38	5.40	**2.60**	17.60	100
हरिद्वार	76.60	1.62	2.73	0.05	0.64	1.69	**0.82**	15.85	100
उत्तराखण्ड	**50.16**	**8.83**	**15.21**	**3.74**	**5.44**	**2.52**	**5.61**	**8.48**	**100**

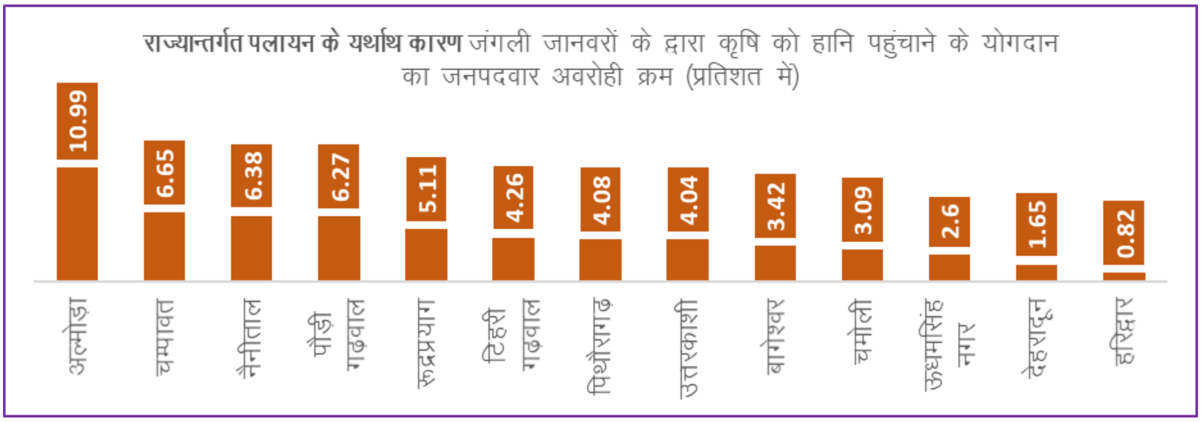

उपरोक्त आंकड़ों एवं ग्राफ से स्पष्ट होता है कि राज्यान्तर्गत **जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने** के कारण सबसे अधिक पलायन पर्वतीय जनपदों में हुआ है जिसमें सबसे अधिक योगदान जनपद अल्मोड़ा और चम्पावत द्वारा प्रथम और द्वितीय स्थान पर क्रमशः 10.99 प्रतिशत व 06.65 प्रतिशत रहा है किन्तु देहरादून और नैनीताल के पर्वतीय विकासखण्डों में जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने के कारण पलायन मैदानी विकासखण्डों की अपेक्षा अधिक हुआ है अर्थात जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने में राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र पलायन से प्रभावित हैं। इसकी स्पष्टता आयोग द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित पलायन की स्थिति पर प्रथम अंतरिम रिपोर्ट में पलायन के मुख्य कारण का जनपद एवं विकासखण्डवार पलायन के आंकड़ें हैं, जिन्हें नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया हैं।

राज्यान्तर्गत ग्राम पंचायत से पलायन के मुख्य कारण (लगभग प्रतिशत में)										
जनपद	विकासखण्ड	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का अभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुविधा का अभाव (प्रतिशत)	इन्फ्रास्ट्रक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमि में उत्पादकता/पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संबंधियां को देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	योग
Uttarkashi	Bhatwari	32.64	1.50	24.64	1.71	9.14	1.43	**5.07**	23.86	100
Uttarkashi	Chinalisaur	26.57	6.29	13.23	2.11	8.90	1.06	**4.15**	37.68	100
Uttarkashi	Dunda	49.23	6.32	17.67	1.14	7.77	3.54	**5.70**	8.63	100
Uttarkashi	Mori	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**NA**	NA	NA
Uttarkashi	Naugaon	37.88	7.40	20.95	4.91	7.76	2.53	**4.36**	14.21	100
Uttarkashi	Purola	70.03	4.80	17.82	0.70	1.15	1.68	**0.62**	3.20	100
Chamoli	Dasoli	66.03	7.05	13.60	2.18	2.72	0.77	**3.49**	4.15	100
Chamoli	Deval	37.10	15.36	25.12	5.12	5.90	2.67	**4.69**	4.05	100
Chamoli	Gairsan	47.41	19.04	20.78	6.41	2.67	1.28	**1.87**	0.52	100
Chamoli	Ghat	38.38	10.12	22.65	2.76	5.08	3.30	**1.59**	16.12	100
Chamoli	Joshimath	36.13	14.67	28.04	9.04	2.31	2.11	**2.96**	4.75	100
Chamoli	Karnprayag	55.41	7.56	13.57	2.90	8.57	3.78	**5.62**	2.59	100
Chamoli	Narayanbagad	37.05	10.49	30.29	8.95	2.96	1.64	**2.04**	6.58	100
Chamoli	Pokhri	53.92	12.45	12.96	4.67	6.71	5.24	**0.92**	3.12	100
Chamoli	Tharali	70.62	2.41	14.06	3.47	3.34	0.97	**2.53**	2.59	100
Rudraprayag	Agastyamuni	55.38	7.28	15.45	4.53	4.23	3.41	**5.52**	4.20	100
Rudraprayag	Jakholi	53.85	9.59	15.03	2.64	4.22	2.82	**4.51**	7.34	100
Rudraprayag	Ukhimath	46.74	10.05	16.98	6.66	4.40	3.54	**5.11**	6.52	100
Tehri Garhwal	Bhilangna	64.27	4.41	20.29	2.80	3.20	1.04	**2.30**	1.70	100
Tehri Garhwal	Chamba	44.29	6.69	18.76	4.45	7.25	3.25	**8.10**	7.20	100
Tehri Garhwal	Deoprayag	59.98	9.36	18.75	1.89	4.05	1.73	**2.75**	1.50	100
Tehri Garhwal	Jakhnidhar	47.10	8.79	16.11	2.55	5.16	2.38	**7.37**	10.55	100
Tehri Garhwal	Jaunpur	57.52	5.70	13.58	1.80	4.66	1.04	**3.96**	11.75	100
Tehri Garhwal	Kirtinagar	54.13	10.21	18.09	5.07	3.29	1.36	**3.47**	4.39	100
Tehri Garhwal	Narendranagar	47.20	7.95	20.37	3.55	11.42	3.65	**2.55**	3.30	100

Tehri Garhwal	Pratapnagar	26.27	13.45	13.63	5.27	12.39	10.80	**6.20**	12.00	100
Tehri Garhwal	Thauldhar	38.97	10.65	22.28	3.13	11.16	2.76	**7.16**	3.89	100
Dehradun	Chakrata	59.69	6.85	19.02	0.83	0.47	0.19	**0.08**	12.86	100
Dehradun	Doiwala	92.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	5.00	100
Dehradun	Kalsi	42.76	4.36	11.48	0.06	6.76	1.09	**1.48**	32.00	100
Dehradun	Raipur	87.22	1.50	5.22	1.11	0.00	1.06	**1.11**	2.78	100
Dehradun	Shaspur	34.62	14.06	3.75	6.25	0.00	0.31	**3.12**	37.88	100
Dehradun	Vikasnagar	52.00	6.71	8.57	0.00	3.21	9.14	**7.86**	12.50	100
Pauri Garhwal	Berokhal	54.53	14.64	12.73	3.89	4.79	2.35	**4.43**	2.65	100
Pauri Garhwal	Dugadda	54.07	8.66	15.05	4.14	5.73	3.32	**7.50**	1.52	100
Pauri Garhwal	Dwarikhal	57.91	12.42	16.75	3.78	3.02	0.74	**4.94**	0.43	100
Pauri Garhwal	Ekeshwar	50.72	13.44	19.06	1.44	4.84	4.37	**5.15**	0.97	100
Pauri Garhwal	Kaljikhaal	52.86	12.10	15.10	1.82	6.36	2.68	**7.45**	1.62	100
Pauri Garhwal	Khirsu	60.62	12.49	12.13	1.15	3.64	4.64	**3.95**	1.38	100
Pauri Garhwal	Kot	41.04	13.00	16.75	3.32	6.57	3.25	**9.36**	6.71	100
Pauri Garhwal	Nainidanda	51.38	8.89	15.16	5.24	7.20	2.11	**7.67**	2.35	100
Pauri Garhwal	Pabau	45.81	12.50	15.12	4.31	8.75	1.75	**9.42**	2.33	100
Pauri Garhwal	Pauri	54.21	6.94	16.00	3.70	4.48	5.12	**5.21**	4.33	100
Pauri Garhwal	Pokhra	42.84	16.49	16.80	2.22	6.58	5.58	**6.80**	2.69	100
Pauri Garhwal	Rikhnikhaal	49.03	11.74	12.48	1.25	5.47	1.44	**4.36**	14.25	100
Pauri Garhwal	Thalisain	67.11	8.13	13.53	1.58	3.50	0.98	**2.43**	2.74	100
Pauri Garhwal	Yamkeshwar	47.32	8.06	22.47	2.27	5.13	1.66	**10.76**	2.32	100
Pauri Garhwal	Zahrikhal	43.43	10.00	19.34	6.13	6.02	2.23	**9.06**	3.79	100
Pithoragarh	Berinag	47.99	12.21	13.62	7.06	6.60	2.35	**6.57**	3.61	100
Pithoragarh	Dharchula	33.59	5.88	25.96	3.21	7.89	2.64	**2.64**	18.18	100
Pithoragarh	Didihat	31.78	9.54	16.09	3.30	1.64	0.88	**3.36**	33.42	100
Pithoragarh	Gangolihat	32.91	13.00	18.84	6.64	5.36	3.13	**3.55**	16.58	100
Pithoragarh	Kanalichina	40.34	13.40	21.96	5.09	5.46	3.09	**3.93**	6.73	100
Pithoragarh	Munakot	47.23	8.19	20.49	4.42	3.76	2.96	**7.03**	5.93	100
Pithoragarh	Munsyari	48.12	12.30	26.36	4.41	2.34	0.86	**1.55**	4.05	100
Pithoragarh	Pithoragarh (Vin)	56.28	6.18	15.01	5.39	4.21	2.59	**2.96**	7.37	100
Bageswar	Bageswar	35.52	6.47	13.36	1.41	2.51	1.05	**3.02**	36.65	100
Bageswar	Garur	46.38	10.64	12.82	2.46	1.10	1.49	**2.78**	22.31	100
Bageswar	kapkot	45.64	11.62	17.70	10.36	2.66	2.00	**4.60**	5.42	100
Almora	Bhaisiyachana	70.86	3.77	5.43	0.93	8.66	0.02	**10.09**	0.23	100
Almora	Bhikiyasain	48.45	8.01	13.32	3.37	10.53	3.15	**11.39**	1.77	100
Almora	Chaukhutiya	45.75	11.68	13.51	2.35	4.95	3.88	**12.23**	5.65	100
Almora	Dhauladevi	36.63	6.68	19.27	4.27	11.85	1.97	**12.79**	6.55	100
Almora	Dwarahat	38.58	8.61	13.52	3.01	10.34	5.74	**13.97**	6.23	100
Almora	Hawalbagh	41.15	10.15	11.85	4.44	8.44	1.11	**8.96**	13.89	100
Almora	Lamgara	34.84	12.48	12.43	8.65	13.94	2.68	**11.77**	3.22	100

Almora	Sult	48.45	11.00	8.72	3.69	6.19	0.88	**16.39**	4.70	100
Almora	Syalde	65.00	4.79	4.17	1.48	1.68	1.73	**5.00**	16.15	100
Almora	Takula	60.71	6.81	15.71	2.95	4.16	2.29	**4.94**	2.43	100
Almora	Tadikhet	46.70	7.87	8.47	4.56	9.18	3.26	**9.67**	10.30	100
Champawat	Baarakot	33.04	12.19	14.60	6.35	10.10	11.69	**6.60**	5.42	100
Champawat	Champawat	54.12	5.33	10.29	6.29	4.19	2.59	**8.80**	8.39	100
Champawat	Lohaghat	66.56	4.73	8.30	3.14	6.84	1.98	**4.39**	4.05	100
Champawat	paati	59.46	6.40	9.16	5.85	6.00	3.67	**6.07**	3.38	100
Nainital	Betalghat	55.88	7.44	8.27	3.56	7.65	2.08	**9.81**	5.31	100
Nainital	Bhimtal	58.42	3.32	10.61	7.16	5.35	1.29	**7.61**	6.23	100
Nainital	Dhari	71.59	5.81	7.26	2.93	2.19	3.59	**2.52**	4.11	100
Nainital	Haldwani	48.89	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	**0.00**	42.22	100
Nainital	Kotabag	55.71	9.21	7.57	7.14	2.86	2.86	**10.36**	4.29	100
Nainital	Okhalkanda	53.88	10.55	12.53	6.13	6.21	2.73	**6.09**	1.87	100
Nainital	Ramgarh	27.54	9.19	15.23	5.00	0.00	0.15	**0.23**	42.65	100
Nainital	Ramnagar	33.33	0.00	6.67	0.00	14.00	1.00	**30.00**	15.00	100
Udhamsingh Nagar	Bajpur	58.60	10.20	9.00	1.10	0.00	11.70	**2.30**	7.10	100
Udhamsingh Nagar	Gadarpur	60.69	0.25	0.06	0.00	0.00	5.38	**0.00**	33.62	100
Udhamsingh Nagar	Jaspur	NA	NA	NA	NA	NA	NA	**NA**	NA	NA
Udhamsingh Nagar	Kashipur	99.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.67	100
Udhamsingh Nagar	Khatima	64.92	0.46	2.92	0.38	0.00	3.31	**7.46**	20.54	100
Udhamsingh Nagar	Rudrapur	99.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	100
Udhamsingh Nagar	Sitarganj	64.38	13.75	6.62	1.88	2.50	4.38	**1.88**	4.62	100
Haridwar	Bhadrabad	81.73	3.23	4.56	0.00	0.52	2.54	**1.35**	6.06	100
Haridwar	Bhagwanpur	63.83	0.55	1.17	0.21	0.31	0.10	**0.28**	33.55	100
Haridwar	Khanpur	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	100
Haridwar	Laksar	58.50	1.75	7.25	0.00	4.88	7.12	**0.00**	20.50	100
Haridwar	Narsan	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5.00**	94.75	100
Haridwar	Roorkee	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	**0.00**	0.00	100

क्योंकि उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है, जहाँ मानव–वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रभाव निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है :–

कृषि, बागवानी और पशुपालन पर प्रभाव :– लगातार जंगली जानवरों के आंतक से निश्चित है कि राज्य के किसानों को फसल क्षति, पैदावार में कमी, पशुधन संख्या में गिरावट और आर्थिक नुकसान/जोखिम का सामना हर दिन उठाना पड़ता होगा। जैसे :–

- जंगली सूअर, नीलगाय, बंदर, हाथी आदि द्वारा प्रमुख फसलों (गेहूँ, मक्का, दालें, फल–सब्जियां) को क्षति पहुँचाना।
- फसल क्षति से किसानों की आय कम होती है, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो जाता है।
- लगातार फसल नुकसान के कारण उत्पादन कम होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है।
- बाघ, तेंदुआ और भेड़िया जैसे शिकारी पशुधन (गाय, भैंस, बकरी) हमले की आये दिन खबरे सुनाई देना, पशुपालकों को भारी हानि की सूचना है।

- बार–बार होने वाले नुकसान से किसान और पशुपालक मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं।
- आजीविका के संसाधनों का हाथ से फिसलनें के कारण लोग खेती और पशुपालन छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहें हैं।
- जंगली जानवरों के जोखिम का बढ़ना, कृषि, पशुपालन और बागवानी पर गंभीर प्रभाव पड़ना है, परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और पलायन की समस्या बढेगी।

कृषि उत्पादन में बदलाव एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु संचालित प्रमुख योजनाएँ

राज्य में कृषि उत्पादन के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित होगा जिससे यह पहचान हो सकेगी कि किस क्षेत्र में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और किस क्षेत्र में कमी आ रही है। इसके माध्यम से यह समझना आसान हो जायेगा कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार के आर्थिक नुकसान हो रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2021–22 के आंकड़ों का गहराई से तुलनात्मक अध्ययन किया गया ताकि इस समस्या के समाधान खोजें जा सके और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य मुख्य फसलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में बदलाव :– उत्तराखण्ड राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की जलवायु और भौगोलिक विविधता विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य राज्य की कृषि व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए हैं। इस अवधि में सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न कृषि नीतियों, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी प्रगति और कृषकों की बदलती प्राथमिकताओं ने फसलों के उत्पादन और उनके क्षेत्रफल पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है। विशेष रूप से धान, गेहूँ, मक्का, आलू और दालों जैसी मुख्य फसलों के तहत बोए गए क्षेत्र और उनके उत्पादन में उतार–चढ़ाव देखने को मिला है। यह बदलाव उत्तराखण्ड की कृषि संरचना, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक स्थिति को समझने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

खरीफ की फसल में बदलाव :– भारतीय कृषि में खरीफ की फसल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान बोई जाती है। खासतौर पर खरीफ की फसल वर्षा आधारित फसलों की बुवाई के लिए उपयुक्त होती है। उत्तराखण्ड राज्य में चावल, मक्का, मंडुवा, सावा (झंगोरा), रामदाना (चौलाई), तुअर, गहत, भट्ट, राजमा जैसी प्रमुख फसलें सम्मिलित हैं। इन फसलों की पैदावार और उपज की गुणवत्ता पर मानसून, वर्षा, मिट्टी की स्थिति, कृषि पद्धतियों के साथ–साथ **जंगली जानवरों के जोखिम का गहरा असर पड़ता** है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य खरीफ फसलों के लिए कई बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें मौसम परिवर्तन, कृषि तकनीकी, में सुधार, बीजों की नई किस्मों की उपलब्धता और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता सम्मलित है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य खरीफ की फसलों में आए बदलाव का विश्लेषण निम्नवत है :–

1. खरीफ की फसलों के क्षेत्रफल में लगभग 13% की गिरावट तथा उत्पादन में लगभग 2% की वृद्धि का होना, पर्वतीय किसानों का खेती से विमुख होना तथा मैदानी किसानों का खेती में नई तकनीकी एवं राज्य सहायता का लाभ लेकर उत्पादन के क्षेत्र में बढ़–चढ़कर योगदान करना है। जिसकी पुष्टि चावल और मक्का द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़ें करते हैं।
2. खरीफ की अन्य फसलों की अपेक्षा तुअर/अरहर, भट्ट और राजमा के क्षेत्रफल में लगभग क्रमशः 14%, 14% व 1% तथा उत्पादन में लगभग क्रमशः 34%, 71% व 8% की वृद्धि होना, पर्वतीय किसानों का अच्छा मूल्य संवर्द्धन मिलना है।

क्र0 सं0	जनपद	चावल	मक्का	मंडुवा	सावा	रामदाना	अन्य धान्य	ज्वार	बाजरा	**कुल धान्य**
वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)										
1	चमोली	11451	235	9971	3245	2156	275	0	0	27333
2	देहरादून	10185	7289	1053	202	803	22	0	0	19554
3	हरिद्वार	14882	508	0	0	0	0	0	0	15390
4	पौडी गढवाल	10852	2214	19810	12728	276	18	0	0	45898
5	रूद्रप्रयाग	9247	158	6397	2690	203	0	0	0	18695
6	टिहरी गढवाल	11873	1769	11637	14888	552	0	0	0	40719
7	उत्तरकाशी	10107	434	4915	1930	1709	540	0	0	19635
8	अल्मोडा	15643	1943	33588	12819	59	0	0	0	64052
9	बागेश्वर	13994	373	5513	519	253	30	0	0	20682
10	चम्पावत	6206	592	4863	940	10	0	0	0	12611
11	नैनीताल	10939	3593	2476	457	3	0	0	0	17468
12	पिथौरागढ़	21309	2552	6142	992	33	603	0	0	31631
13	ऊधम सिहं नगर	104810	32	0	0	0	0	0	0	104842
उत्तराखण्ड		251498	21692	106365	51410	6057	1488	0	0	438510
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)										
1	चमोली	10444	212	9975	3281	1839	64	0	0	25815
2	देहरादून	8713	5917	566	77	245	0	0	0	15518
3	हरिद्वार	15754	496	0	0	0	0	0	0	16250
4	पौडी गढवाल	6221	2085	10009	6464	102	1	0	0	24882
5	रूद्रप्रयाग	7834	380	5772	3197	278	0	0	0	17461
6	टिहरी गढवाल	9201	1879	7471	10792	717	0	0	0	30060
7	उत्तरकाशी	9401	441	4973	2052	1629	218	0	0	18714
8	अल्मोडा	10704	1783	24480	9943	171	0	0	0	47081
9	बागेश्वर	12925	269	4841	317	274	12	0	0	18638
10	चम्पावत	3695	556	3006	772	12	0	0	0	8041
11	नैनीताल	11680	3343	1531	104	23	0	0	0	16681
12	पिथौरागढ़	17032	2619	5299	595	11	60	0	0	25616
13	ऊधम सिहं नगर	109584	83	4	0	0	0	0	11	109682
उत्तराखण्ड		233188	20063	77927	37594	5301	355	0	11	374439
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)										
1	चमोली	-1007	-23	4	36	-317	-211	0	0	-1518
2	देहरादून	-1472	-1372	-487	-125	-558	-22	0	0	-4036
3	हरिद्वार	872	-12	0	0	0	0	0	0	860
4	पौडी गढवाल	-4631	-129	-9801	-6264	-174	-17	0	0	-21016
5	रूद्रप्रयाग	-1413	222	-625	507	75	0	0	0	-1234
6	टिहरी गढवाल	-2672	110	-4166	-4096	165	0	0	0	-10659
7	उत्तरकाशी	-706	7	58	122	-80	-322	0	0	-921
8	अल्मोडा	-4939	-160	-9108	-2876	112	0	0	0	-16971
9	बागेश्वर	-1069	-104	-672	-202	21	-18	0	0	-2044
10	चम्पावत	-2511	-36	-1857	-168	2	0	0	0	-4570
11	नैनीताल	741	-250	-945	-353	20	0	0	0	-787
12	पिथौरागढ़	-4277	67	-843	-397	-22	-543	0	0	-6015

13	ऊधम सिहं नगर	4774	51	4	0	0	0	0	11	4840
उत्तराखण्ड		-18310	-1629	-28438	-13816	-756	-1133	0	11	-64071
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**-7%**	**-8%**	**-27%**	**-27%**	**-12%**	**-76%**	**0%**	**100%**	**-15%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)										
क्र0 सं0	जनपद	तोर/अरहर	उर्द	मूंग	मोठ	गहत	भट्ट	राजमा	अन्य दालें	**कुल दालें**
1	चमोली	146	497	0	0	457	219	1050	18	2387
2	देहरादून	229	590	0	1	629	18	1379	186	3032
3	हरिद्वार	0	102	0	0	0	0	0	1	103
4	पौडी गढवाल	347	3949	0	0	2299	332	14	130	7071
5	रूद्रप्रयाग	71	189	0	0	132	26	44	0	462
6	टिहरी गढवाल	1252	2516	0	0	2988	145	1043	73	8017
7	उत्तरकाशी	298	917	0	0	1048	446	1502	0	4211
8	अल्मोडा	70	1042	0	0	1756	1832	51	0	4751
9	बागेश्वर	0	78	0	0	197	666	42	0	983
10	चम्पावत	17	331	1	0	639	360	166	0	1514
11	नैनीताल	52	1000	34	7	806	280	73	142	2394
12	पिथौरागढ़	0	779	0	0	811	1661	279	24	3554
13	ऊधम सिहं नगर	6	491	2	0	0	0	0	0	499
उत्तराखण्ड		2488	12481	37	8	11762	5985	5643	574	38978
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)										
1	चमोली	177	459	0	0	401	204	1074	33	2348
2	देहरादून	325	592	0	0	646	0	732	82	2377
3	हरिद्वार	0	85	1	0	0	0	0	1	87
4	पौडी गढवाल	204	1788	0	0	1446	147	23	118	3726
5	रूद्रप्रयाग	145	173	0	0	173	20	62	0	573
6	टिहरी गढवाल	1479	2638	0	0	3285	71	1032	307	8812
7	उत्तरकाशी	382	951	0	0	1040	297	1939	0	4609
8	अल्मोडा	105	784	1	0	2038	1777	15	57	4777
9	बागेश्वर	0	45	0	0	121	885	169	0	1220
10	चम्पावत	1	374	0	0	770	540	151	0	1836
11	नैनीताल	10	2310	7	18	743	413	198	2	3701
12	पिथौरागढ़	0	882	0	0	698	2461	285	2	4328
13	ऊधम सिहं नगर	0	844	0	0	0	0	0	0	844
उत्तराखण्ड		2828	11925	9	18	11361	6815	5680	602	39238
वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)										
1	चमोली	31	-38	0	0	-56	-15	24	15	-39
2	देहरादून	96	2	0	-1	17	-18	-647	-104	-655

3	हरिद्वार	0	-17	1	0	0	0	0	0	-16
4	पौडी गढवाल	-143	-2161	0	0	-853	-185	9	-12	-3345
5	रूद्रप्रयाग	74	-16	0	0	41	-6	18	0	111
6	टिहरी गढवाल	227	122	0	0	297	-74	-11	234	795
7	उत्तरकाशी	84	34	0	0	-8	-149	437	0	398
8	अल्मोडा	35	-258	1	0	282	-55	-36	57	26
9	बागेश्वर	0	-33	0	0	-76	219	127	0	237
10	चम्पावत	-16	43	-1	0	131	180	-15	0	322
11	नैनीताल	-42	1310	-27	11	-63	133	125	-140	1307
12	पिथौरागढ़	0	103	0	0	-113	800	6	-22	774
13	ऊधम सिहं नगर	-6	353	-2	0	0	0	0	0	345
उत्तराखण्ड		340	-556	-28	10	-401	830	37	28	260
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**14%**	**-4%**	**-76%**	**125%**	**-3%**	**14%**	**1%**	**5%**	**1%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)										
क्र0 सं0	जनपद	चावल	मक्का	मंडुवा	सावा	रामदाना	अन्य धान्य	ज्वार	बाजरा	कुल धान्य
1	चमोली	14881	397	15167	4919	2156	169	0	0	37689
2	देहरादून	20738	16087	1668	268	695	14	0	0	39470
3	हरिद्वार	30430	1121	0	0	0	0	0	0	31551
4	पौडी गढवाल	15175	3985	27304	16718	276	13	0	0	63471
5	रूद्रप्रयाग	12742	286	10178	3739	144	0	0	0	27089
6	टिहरी गढवाल	18655	2986	20102	22797	577	0	0	0	65117
7	उत्तरकाशी	17888	701	8112	3745	2078	270	0	0	32794
8	अल्मोडा	20035	1638	45270	16313	34	0	0	0	83290
9	बागेश्वर	20710	498	8885	649	147	12	0	0	30901
10	चम्पावत	8963	710	7657	1343	6	0	0	0	18679
11	नैनीताल	30930	4793	3589	644	2	0	0	0	39958
12	पिथौरागढ़	28107	3404	9470	1190	29	248	0	0	42448
13	ऊधम सिहं नगर	343466	43	0	0	0	0	0	0	343509
उत्तराखण्ड		582720	36649	157402	72325	6144	726	0	0	855966
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)										
1	चमोली	15068	462	14907	5456	1916	39	0	0	37848
2	देहरादून	22691	19514	1092	129	342	0	0	0	43768
3	हरिद्वार	38597	1758	0	0	0	0	0	0	40355
4	पौडी गढवाल	10675	4543	13964	9456	142	1	0	0	38781
5	रूद्रप्रयाग	10998	828	8561	4385	408	0	0	0	25180
6	टिहरी गढवाल	19183	3296	12889	20140	1032	0	0	0	56540
7	उत्तरकाशी	17416	1348	8183	3544	2345	134	0	0	32970
8	अल्मोडा	14741	3228	31625	14964	196	0	0	0	64754
9	बागेश्वर	20802	487	7571	476	315	6	0	0	29657
10	चम्पावत	4844	1495	4573	1114	14	0	0	0	12040

11	नैनीताल	38891	8986	2679	125	26	0	0	0	50707
12	पिथौरागढ़	23333	3929	9075	780	13	31	0	0	37161
13	ऊधम सिहं नगर	394707	223	6	0	0	0	0	11	394947
उत्तराखण्ड		631946	50097	115125	60569	6749	211	0	11	864708
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)										
1	चमोली	187	65	-260	537	-240	-130	0	0	159
2	देहरादून	1953	3427	-576	-139	-353	-14	0	0	4298
3	हरिद्वार	8167	637	0	0	0	0	0	0	8804
4	पौडी गढवाल	-4500	558	-13340	-7262	-134	-12	0	0	-24690
5	रूद्रप्रयाग	-1744	542	-1617	646	264	0	0	0	-1909
6	टिहरी गढवाल	528	310	-7213	-2657	455	0	0	0	-8577
7	उत्तरकाशी	-472	647	71	-201	267	-136	0	0	176
8	अल्मोडा	-5294	1590	-13645	-1349	162	0	0	0	-18536
9	बागेश्वर	92	-11	-1314	-173	168	-6	0	0	-1244
10	चम्पावत	-4119	785	-3084	-229	8	0	0	0	-6639
11	नैनीताल	7961	4193	-910	-519	24	0	0	0	10749
12	पिथौरागढ़	-4774	525	-395	-410	-16	-217	0	0	-5287
13	ऊधम सिहं नगर	51241	180	6	0	0	0	0	11	51438
उत्तराखण्ड		49226	13448	-42277	-11756	605	-515	0	11	8742
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**8%**	**37%**	**-27%**	**-16%**	**10%**	**-71%**	**0%**	**100%**	**1%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)										
क्र0 सं0	जनपद	तोर / अरहर	उर्द	मूंग	मोठ	गहत	भट्ट	राजमा	अन्य दालें	कुल दालें
1	चमोली	84	533	0	0	385	254	1266	14	2536
2	देहरादून	191	465	0	0	503	12	1695	150	3016
3	हरिद्वार	0	80	0	0	0	0	0	1	81
4	पौडी गढवाल	208	3159	0	0	1379	232	11	104	5093
5	रूद्रप्रयाग	76	220	0	0	128	17	37	0	478
6	टिहरी गढवाल	1350	1822	0	0	2803	96	884	59	7014
7	उत्तरकाशी	262	646	0	0	800	295	1613	0	3616
8	अल्मोडा	40	1220	0	0	1384	1193	61	0	3898
9	बागेश्वर	0	59	0	0	155	590	50	0	854
10	चम्पावत	9	364	0	0	575	324	199	0	1471
11	नैनीताल	30	716	17	3	752	253	88	72	1931
12	पिथौरागढ़	0	558	0	0	672	1412	335	12	2989
13	ऊधम सिहं नगर	3	352	1	0	0	0	0	0	356
उत्तराखण्ड		2253	10194	18	3	9536	4678	6239	412	33333
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)										
1	चमोली	185	353	0	0	410	156	1538	25	2667
2	देहरादून	398	547	0	0	657	0	742	67	2411

3	हरिद्वार	0	78	1	0	0	0	0	1	80
4	पौडी गढवाल	213	1557	0	0	1187	112	23	96	3188
5	रूद्रप्रयाग	151	133	0	0	142	15	63	0	504
6	टिहरी गढवाल	1575	2581	0	0	3296	54	1152	250	8908
7	उत्तरकाशी	424	1134	0	0	991	225	2140	0	4914
8	अल्मोडा	68	1116	1	0	2531	2251	19	35	6021
9	बागेश्वर	0	64	0	0	150	805	218	0	1237
10	चम्पावत	1	532	0	0	890	862	194	0	2479
11	नैनीताल	7	3539	4	10	651	661	255	1	5128
12	पिथौरागढ़	0	1351	0	0	1014	2847	368	1	5581
13	ऊधम सिहं नगर	0	1201	0	0	0	0	0	0	1201
उत्तराखण्ड		3022	14186	6	10	11919	7988	6712	476	44319
वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)										
1	चमोली	101	-180	0	0	25	-98	272	11	131
2	देहरादून	207	82	0	0	154	-12	-953	-83	-605
3	हरिद्वार	0	-2	1	0	0	0	0	0	-1
4	पौडी गढवाल	5	-1602	0	0	-192	-120	12	-8	-1905
5	रूद्रप्रयाग	75	-87	0	0	14	-2	26	0	26
6	टिहरी गढवाल	225	759	0	0	493	-42	268	191	1894
7	उत्तरकाशी	162	488	0	0	191	-70	527	0	1298
8	अल्मोडा	28	-104	1	0	1147	1058	-42	35	2123
9	बागेश्वर	0	5	0	0	-5	215	168	0	383
10	चम्पावत	-8	168	0	0	315	538	-5	0	1008
11	नैनीताल	-23	2823	-13	7	-101	408	167	-71	3197
12	पिथौरागढ़	0	793	0	0	342	1435	33	-11	2592
13	ऊधम सिहं नगर	-3	849	-1	0	0	0	0	0	845
उत्तराखण्ड		769	3992	-12	7	2383	3310	473	64	10986
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**34%**	**39%**	**-67%**	**233%**	**25%**	**71%**	**8%**	**16%**	**33%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

रबी की फसल में बदलाव :– रबी की फसलें भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो खासतौर पर सर्दियों के मौसम में बोई जाती है और ठण्डे मौसम में विकसित होती हैं। रबी फसलों में गेहूँ, चना, मटर और मसूर जैसी प्रमुख फसलें सम्मिलित हैं। इन फसलों की सफलता की कुंजी मुख्य रूप से जलवायु, तापमान, सही समय पर बुवाई तथा जंगली जानवरों के आंतक पर निर्भर करती है। रबी फसलें भारतीय किसानों के लिए एक प्रमुख आय स्रोत होती हैं और देश की खाद्य सुरक्षा में भी अहम भूमिका रखती हैं। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य रबी फसलों में आए बदलाव का विश्लेषण निम्नवत है :–

1. रबी की फसलों के क्षेत्रफल में लगभग 15% तथा उत्पादन में लगभग 3% की गिरावट हुई।
2. क्षेत्रफल के लगभग 15% की गिरावट वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा ऊधमसिंह नगर का सकारात्मक योगदान रहा है।
3. उत्पादन के लगभग 3% की गिरावट वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा हरिद्वार, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल द्वारा सकारात्मक योगदान दिया गया।

4. रबी की अन्य फसलों की अपेक्षा मटर की फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में लगभग क्रमशः 23%, व 15% की वृद्धि होना, किसानों को मटर का अच्छा मूल्य संवर्द्धन मिलना है।

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)									
क्र0 सं0	जनपद	गेहूँ	जौ	अन्य धान्य	चना	मटर	मसूर	अन्य दालें	कुल खाद्यान्न
1	चमोली	14054	1877	28	0	6	114	0	16079
2	देहरादून	17469	530	0	21	46	282	4	18352
3	हरिद्वार	46365	8	1	3	2	337	4	46720
4	पौडी गढवाल	18188	5640	12	66	0	1011	0	24917
5	रूद्रप्रयाग	9958	1258	0	0	7	52	0	11275
6	टिहरी गढवाल	22706	1559	0	14	121	959	0	25359
7	उत्तरकाशी	11123	189	0	2	556	186	4	12060
8	अल्मोडा	32578	3201	618	87	21	919	0	37424
9	बागेश्वर	14576	927	0	0	2	1401	0	16906
10	चम्पावत	6781	798	0	11	44	689	0	8323
11	नैनीताल	22437	814	0	491	217	302	1	24262
12	पिथौरागढ़	22219	3027	139	43	141	3866	6	29441
13	ऊधम सिहं नगर	101118	6	0	5	3069	173	0	104371
उत्तराखण्ड		339572	19834	798	743	4232	10291	19	375489
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)									
1	चमोली	12395	1829	7	0	26	96	0	14353
2	देहरादून	13955	480	0	17	225	236	43	14956
3	हरिद्वार	44511	2	0	3	20	197	0	44733
4	पौडी गढवाल	7235	3440	5	27	38	288	6	11039
5	रूद्रप्रयाग	9279	1477	0	0	16	26	0	10798
6	टिहरी गढवाल	14223	1875	98	9	107	910	0	17222
7	उत्तरकाशी	9257	329	0	25	699	331	0	10641
8	अल्मोडा	18513	2705	0	11	68	1029	0	22326
9	बागेश्वर	13035	1077	0	0	11	1018	0	15141
10	चम्पावत	4167	715	50	69	129	677	0	5807
11	नैनीताल	20145	664	0	535	102	446	0	21892
12	पिथौरागढ़	16249	2920	8	31	164	3198	6	22576
13	ऊधम सिहं नगर	102116	1	0	10	3586	92	0	105805
	उत्तराखण्ड	285080	17514	168	737	5191	8544	55	317289
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)									
1	चमोली	-1659	-48	-21	0	20	-18	0	-1726
2	देहरादून	-3514	-50	0	-4	179	-46	39	-3396
3	हरिद्वार	-1854	-6	-1	0	18	-140	-4	-1987
4	पौडी गढवाल	-10953	-2200	-7	-39	38	-723	6	-13878
5	रूद्रप्रयाग	-679	219	0	0	9	-26	0	-477
6	टिहरी गढवाल	-8483	316	98	-5	-14	-49	0	-8137
7	उत्तरकाशी	-1866	140	0	23	143	145	-4	-1419
8	अल्मोडा	-14065	-496	-618	-76	47	110	0	-15098
9	बागेश्वर	-1541	150	0	0	9	-383	0	-1765

10	चम्पावत	-2614	-83	50	58	85	-12	0	-2516
11	नैनीताल	-2292	-150	0	44	-115	144	-1	-2370
12	पिथौरागढ़	-5970	-107	-131	-12	23	-668	0	-6865
13	ऊधम सिहं नगर	998	-5	0	5	517	-81	0	1434
उत्तराखण्ड		-54492	-2320	-630	-6	959	-1747	36	-58200
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**-16%**	**-12%**	**-79%**	**-1%**	**23%**	**-17%**	**189%**	**-15%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)									
क्र0 सं0	जनपद	गेहूँ	जौ	अन्य धान्य	चना	मटर	मसूर	अन्य दालें	कुल खाद्यान्न
1	चमोली	19417	2397	31	0	4	86	0	21935
2	देहरादून	42467	835	0	17	32	239	3	43593
3	हरिद्वार	149535	12	3	2	1	240	3	149796
4	पौडी गढवाल	22379	6474	12	43	0	603	0	29511
5	रूद्रप्रयाग	12245	1516	0	0	5	39	0	13805
6	टिहरी गढवाल	32230	2332	0	9	66	579	0	35216
7	उत्तरकाशी	18905	282	0	1	368	110	3	19669
8	अल्मोडा	30012	2960	455	48	11	703	0	34189
9	बागेश्वर	21271	1353	0	0	1	1023	0	23648
10	चम्पावत	12011	1082	0	7	37	646	0	13783
11	नैनीताल	64812	1125	0	436	187	224	1	66785
12	पिथौरागढ़	35407	4246	177	31	80	3031	5	42977
13	ऊधम सिहं नगर	431009	8	0	4	3357	144	0	434522
	उत्तराखण्ड	891700	24622	678	598	4149	7667	15	929429
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)									
1	चमोली	20910	2686	6	0	18	50	0	23670
2	देहरादून	31522	909	0	14	150	191	33	32819
3	हरिद्वार	162747	4	0	2	14	196	0	162963
4	पौडी गढवाल	13209	5095	4	18	27	149	4	18506
5	रूद्रप्रयाग	12771	1612	0	0	11	13	0	14407
6	टिहरी गढवाल	29399	2784	80	6	61	662	0	32992
7	उत्तरकाशी	16878	471	0	18	409	284	0	18060
8	अल्मोडा	29544	2858	0	6	35	923	0	33366
9	बागेश्वर	23935	1691	0	0	7	920	0	26553
10	चम्पावत	9534	1124	41	42	96	590	0	11427
11	नैनीताल	75792	1134	0	457	67	389	0	77839
12	पिथौरागढ़	29092	4886	6	22	94	3006	4	37110
13	ऊधम सिहं नगर	406322	2	0	9	3794	82	0	410209
	उत्तराखण्ड	861655	25256	137	594	4783	7455	41	899921
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)									
1	चमोली	1493	289	-25	0	14	-36	0	1735
2	देहरादून	-10945	74	0	-3	118	-48	30	-10774

3	हरिद्वार	13212	-8	-3	0	13	-44	-3	13167
4	पौडी गढवाल	-9170	-1379	-8	-25	27	-454	4	-11005
5	रूद्रप्रयाग	526	96	0	0	6	-26	0	602
6	टिहरी गढवाल	-2831	452	80	-3	-5	83	0	-2224
7	उत्तरकाशी	-2027	189	0	17	41	174	-3	-1609
8	अल्मोडा	-468	-102	-455	-42	24	220	0	-823
9	बागेश्वर	2664	338	0	0	6	-103	0	2905
10	चम्पावत	-2477	42	41	35	59	-56	0	-2356
11	नैनीताल	10980	9	0	21	-120	165	-1	11054
12	पिथौरागढ़	-6315	640	-171	-9	14	-25	-1	-5867
13	ऊधम सिहं नगर	-24687	-6	0	5	437	-62	0	-24313
उत्तराखण्ड		-30045	634	-541	-4	634	-212	26	-29508
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**-3%**	**3%**	**-80%**	**-1%**	**15%**	**-3%**	**173%**	**-3%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

जायद की फसल में बदलाव :– जायद की फसलें भारतीय कृषि में एक विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में बोई जाती हैं और मानसून की वर्षा से पहले की अवधि में उगाई जाती हैं। चावल, मक्का, सावा, मूंग और उरद आदि फसलें जायद के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। ये फसलें किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत तैयार करती हैं और भारतीय कृषि के उत्पादन चक्र को संतुलित करने में मदद करती हैं। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य जायद फसलों में आए बदलाव का विश्लेषण निम्नवत है :–

1. जायद की फसलों के क्षेत्रफल में लगभग 37% तथा उत्पादन में लगभग 39% की वृद्धि हुई।
2. क्षेत्रफल के लगभग 37% की वृद्धि वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा हरिद्वार जनपद का योगदान नकारात्मक रहा।
3. उत्पादन के लगभग 39% की वृद्धि वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा देहरादून जनपद का योगदान नकारात्मक रहा।
4. जायद की अन्य फसलों की अपेक्षा चावल और मक्का की फसल के क्षेत्रफल में क्रमशः लगभग 37%, व 141% तथा उत्पादन में लगभग क्रमशः 38%, व 344% की वृद्धि हुई है।
5. जनपद चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में जायद की फसल का प्रचलन नहीं है।

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)								
क्र0 सं0	जनपद	चावल	मक्का	सावा	मूंग	उर्द	अन्य दालें	कुल खाद्यान्न
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	6	0	1	1	0	8
3	हरिद्वार	12	11	0	1	79	12	115
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0

7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	7	0	1	0	0	8
11	नैनीताल	151	0	0	0	0	0	151
12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	14540	66	0	0	12	0	14618
उत्तराखण्ड		14703	90	0	3	92	12	14900
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)								
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	0	0	0	8	0	8
3	हरिद्वार	27	7	0	0	30	0	64
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	8	0	1	0	0	9
11	नैनीताल	187	1	0	0	0	0	188
12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	19944	201	0	1	3	0	20149
	उत्तराखण्ड	20158	217	0	2	41	0	20418
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)								
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	-6	0	-1	7	0	0
3	हरिद्वार	15	-4	0	-1	-49	-12	-51
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	1	0	0	0	0	1
11	नैनीताल	36	1	0	0	0	0	37
12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	5404	135	0	1	-9	0	5531
उत्तराखण्ड		5455	127	0	-1	-51	-12	5518
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**37%**	**141%**	**0%**	**-33%**	**-55%**	**-100%**	**37%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)								
क्र0 सं0	जनपद	चावल	मक्का	सावा	मूंग	उर्द	अन्य दालें	कुल खाद्यान्न
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	13	0	1	1	0	15
3	हरिद्वार	45	24	0	1	45	7	122
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	8	0	1	0	0	9
11	नैनीताल	571	0	0	0	0	0	571
12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	54961	88	0	0	7	0	55056
	उत्तराखण्ड	55577	133	0	3	53	7	55773
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)								
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	0	0	0	7	0	7
3	हरिद्वार	103	25	0	0	27	0	155
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	22	0	1	0	0	23
11	नैनीताल	713	3	0	0	0	0	716
12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	76126	540	0	1	3	0	76670
	उत्तराखण्ड	76942	590	0	2	37	0	77571
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)								
1	चमोली	0	0	0	0	0	0	0
2	देहरादून	0	-13	0	-1	6	0	-8
3	हरिद्वार	58	1	0	-1	-18	-7	33
4	पौडी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
5	रूद्रप्रयाग	0	0	0	0	0	0	0
6	टिहरी गढवाल	0	0	0	0	0	0	0
7	उत्तरकाशी	0	0	0	0	0	0	0
8	अल्मोडा	0	0	0	0	0	0	0
9	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
10	चम्पावत	0	14	0	0	0	0	14
11	नैनीताल	142	3	0	0	0	0	145

12	पिथौरागढ़	0	0	0	0	0	0	0
13	ऊधम सिहं नगर	21165	452	0	1	-4	0	21614
उत्तराखण्ड		21365	457	0	-1	-16	-7	21798
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**38%**	**344%**	**0%**	**-33%**	**-30%**	**-100%**	**39%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

तिलहन की फसल में बदलाव :– तिलहन की फसलें भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जो खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए मुख्य स्रोत मानी जाती हैं। तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों जैसी तिलहन फसलों का उत्पादन भारतीय किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए न केवल मिट्टी की उर्वरकता, जलवायु और सिंचाई की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक होता है, बल्कि नई कृषि पद्धतियों, बीजों की किस्मों का उपयोग तथा जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य तिलहन फसलों में आए बदलाव का विश्लेषण निम्नवत है :–

1. तिलहन की फसलों के क्षेत्रफल में लगभग 6% तथा उत्पादन में लगभग 5% की गिरावट हुई।
2. क्षेत्रफल के लगभग 6% की गिरावट वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा चमोली, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर का योगदान सकारात्मक रहा।
3. उत्पादन के लगभग 5% की वृद्धि वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा हरिद्वार, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर द्वारा सकारात्मक योगदान दिया गया।
4. तिलहन की अन्य फसलों की अपेक्षा सूरजमुखी और सरसों की फसल के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में लगभग अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है।

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)

क्र0 सं0	जनपद	तिल	मूंगफली	सोयाबीन	सूरजमुखी	अन्य तिलहन	सरसों	अलसी	कुल तिलहन
1	चमोली	36	0	408	0	0	531	0	975
2	देहरादून	90	47	16	0	470	879	21	1523
3	हरिद्वार	315	807	0	0	5	1280	1	2408
4	पौडी गढवाल	56	0	416	0	0	1271	0	1743
5	रूद्रप्रयाग	2	0	62	0	0	328	0	392
6	टिहरी गढवाल	470	0	717	0	1	921	0	2109
7	उत्तरकाशी	671	0	207	0	11	740	0	1629
8	अल्मोडा	124	0	315	0	0	712	0	1151
9	बागेश्वर	5	0	78	0	0	93	0	176
10	चम्पावत	38	11	923	0	0	638	0	1610
11	नैनीताल	9	54	6755	0	0	179	3	7000
12	पिथौरागढ़	48	0	1032	7	1	768	0	1856
13	ऊधम सिहं नगर	0	16	502	0	21	5163	0	5702
उत्तराखण्ड		1864	935	11431	7	509	13503	25	28274

वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)									
1	चमोली	23	0	428	0	0	634	0	1085
2	देहरादून	66	32	16	4	0	657	0	775
3	हरिद्वार	262	375	0	0	26	1952	0	2615
4	पौडी गढवाल	53	0	232	10	0	1530	0	1825
5	रूद्रप्रयाग	9	0	41	0	0	321	0	371
6	टिहरी गढवाल	439	0	698	0	0	912	0	2049
7	उत्तरकाशी	716	0	242	0	0	932	0	1890
8	अल्मोडा	221	0	396	0	0	1349	0	1966
9	बागेश्वर	1	0	42	0	0	143	0	186
10	चम्पावत	25	8	560	0	0	628	0	1221
11	नैनीताल	15	23	3806	0	25	240	0	4109
12	पिथौरागढ़	25	2	574	0	0	787	0	1388
13	ऊधम सिहं नगर	1	7	129	0	1	6889	0	7027
	उत्तराखण्ड	1856	447	7164	14	52	16974	0	26507
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)									
1	चमोली	-13	0	20	0	0	103	0	110
2	देहरादून	-24	-15	0	4	-470	-222	-21	-748
3	हरिद्वार	-53	-432	0	0	21	672	-1	207
4	पौडी गढवाल	-3	0	-184	10	0	259	0	82
5	रूद्रप्रयाग	7	0	-21	0	0	-7	0	-21
6	टिहरी गढवाल	-31	0	-19	0	-1	-9	0	-60
7	उत्तरकाशी	45	0	35	0	-11	192	0	261
8	अल्मोडा	97	0	81	0	0	637	0	815
9	बागेश्वर	-4	0	-36	0	0	50	0	10
10	चम्पावत	-13	-3	-363	0	0	-10	0	-389
11	नैनीताल	6	-31	-2949	0	25	61	-3	-2891
12	पिथौरागढ़	-23	2	-458	-7	-1	19	0	-468
13	ऊधम सिहं नगर	1	-9	-373	0	-20	1726	0	1325
उत्तराखण्ड		-8	-488	-4267	7	-457	3471	-25	-1767
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**0%**	**-52%**	**-37%**	**100%**	**-90%**	**26%**	**-100%**	**-6%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)									
क्र0 सं0	जनपद	तिल	मूंगफली	सोयाबीन	सूरजमुखी	अन्य तिलहन	सरसों	अलसी	कुल तिलहन
1	चमोली	6	0	374	0	0	453	0	833
2	देहरादून	24	61	9	0	292	546	9	941
3	हरिद्वार	76	1048	0	0	4	1009	0	2137
4	पौडी गढवाल	11	0	208	0	0	1064	0	1283
5	रूद्रप्रयाग	1	0	32	0	0	188	0	221
6	टिहरी गढवाल	141	0	374	0	1	896	0	1412

7	उत्तरकाशी	227	0	217	0	8	262	0	714
8	अल्मोडा	34	0	274	0	0	287	0	595
9	बागेश्वर	1	0	79	0	0	22	0	102
10	चम्पावत	8	14	923	0	0	657	0	1602
11	नैनीताल	1	70	9220	0	0	153	1	9445
12	पिथौरागढ़	14	0	1217	4	1	839	0	2075
13	ऊधम सिहं नगर	0	21	685	0	21	5158	0	5885
	उत्तराखण्ड	544	1214	13612	4	327	11534	10	27245
वर्ष 2021—22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)									
1	चमोली	4	0	422	0	0	290	0	716
2	देहरादून	11	49	16	3	0	612	0	691
3	हरिद्वार	75	566	0	0	18	2135	0	2794
4	पौडी गढवाल	14	0	228	6	0	765	0	1013
5	रूद्रप्रयाग	2	0	40	0	0	147	0	189
6	टिहरी गढवाल	119	0	781	0	0	456	0	1356
7	उत्तरकाशी	190	0	271	0	0	590	0	1051
8	अल्मोडा	61	0	457	0	0	1249	0	1767
9	बागेश्वर	1	0	48	0	0	84	0	133
10	चम्पावत	5	12	902	0	0	364	0	1283
11	नैनीताल	3	35	5862	0	17	204	0	6121
12	पिथौरागढ़	7	3	765	0	0	464	0	1239
13	ऊधम सिहं नगर	1	11	208	0	1	7213	0	7434
	उत्तराखण्ड	493	676	10000	9	36	14573	0	25787
वर्ष 2016—17 से वर्ष 2021—22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)									
1	चमोली	-2	0	48	0	0	-163	0	-117
2	देहरादून	-13	-12	7	3	-292	66	-9	-250
3	हरिद्वार	-1	-482	0	0	14	1126	0	657
4	पौडी गढवाल	3	0	20	6	0	-299	0	-270
5	रूद्रप्रयाग	1	0	8	0	0	-41	0	-32
6	टिहरी गढवाल	-22	0	407	0	-1	-440	0	-56
7	उत्तरकाशी	-37	0	54	0	-8	328	0	337
8	अल्मोडा	27	0	183	0	0	962	0	1172
9	बागेश्वर	0	0	-31	0	0	62	0	31
10	चम्पावत	-3	-2	-21	0	0	-293	0	-319
11	नैनीताल	2	-35	-3358	0	17	51	-1	-3324
12	पिथौरागढ़	-7	3	-452	-4	-1	-375	0	-836
13	ऊधम सिहं नगर	1	-10	-477	0	-20	2055	0	1549
उत्तराखण्ड		-51	-538	-3612	5	-291	3039	-10	-1458
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**-9%**	**-44%**	**-27%**	**125%**	**-89%**	**26%**	**-100%**	**-5%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

अन्य फसल में बदलाव :— भारतीय कृषि में अन्य फसलों की खेती का विशेष महत्व है, जिनमें मुख्य रूप से फल, सब्जियाँ, औद्योगिक फसलें, मसाले और विशेष प्रकार की नकदी फसलें शामिल हैं। इन फसलों का न

केवल घरेलू उपभोग में महत्व है, बल्कि इनके निर्यात से भी देश के किसानों को आर्थिक लाभ होता है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य तिलहन फसलों में आए बदलाव का विश्लेषण निम्नवत है :–

1. अन्य फसलों के क्षेत्रफल में लगभग 31% तथा उत्पादन में लगभग 73% की वृद्धि हुई।
2. क्षेत्रफल के लगभग 31% की वृद्धि वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, और पिथौरागढ़ का योगदान नकारात्मक रहा।
3. उत्पादन के लगभग 71% की वृद्धि वाले आंकड़ों में अन्य जनपदों की अपेक्षा चमोली और उत्तरकाशी का योगदान नकारात्मक रहा।
4. गन्ना, प्याज, अदरक और लहसुन का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में खरीफ, रबी और जायद की अन्य फसलों के सापेक्ष अच्छा प्रदर्शन रहा। अर्थात राज्य के किसानों का कैश क्रॉप के प्रति रूझान बढ़ रहा है।

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)						
क्र0 सं0	जनपद	गन्ना	आलू	प्याज	अदरक	लहसून
1	चमोली	0	1784	135	1	113
2	देहरादून	4023	670	57	572	21
3	हरिद्वार	68036	183	4	0	0
4	पौडी गढवाल	0	625	828	136	341
5	रूद्रप्रयाग	0	108	24	0	30
6	टिहरी गढवाल	0	837	193	190	66
7	उत्तरकाशी	0	2443	46	10	42
8	अल्मोडा	0	590	587	201	344
9	बागेश्वर	0	266	142	40	54
10	चम्पावत	6	100	331	415	239
11	नैनीताल	3460	3267	708	290	123
12	पिथौरागढ़	0	748	502	192	398
13	ऊधम सिहं नगर	16470	650	0	0	0
उत्तराखण्ड		91995	12271	3557	2047	1771
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल (हे.में)						
1	चमोली	0	1343	105	2	108
2	देहरादून	3720	687	56	715	108
3	हरिद्वार	74558	107	11	0	0
4	पौडी गढवाल	0	655	1094	278	589
5	रूद्रप्रयाग	0	198	12	0	39
6	टिहरी गढवाल	0	785	204	341	93
7	उत्तरकाशी	0	2715	64	7	32
8	अल्मोडा	0	1869	645	358	444
9	बागेश्वर	0	158	154	36	85
10	चम्पावत	4	305	273	369	281
11	नैनीताल	2276	2544	535	279	195
12	पिथौरागढ़	0	924	455	167	354
13	ऊधम सिहं नगर	12704	439	12	0	0
	उत्तराखण्ड	93262	12729	3620	2552	2328

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव (हे.में)						
1	चमोली	0	-441	-30	1	-5
2	देहरादून	-303	17	-1	143	87
3	हरिद्वार	6522	-76	7	0	0
4	पौडी गढवाल	0	30	266	142	248
5	रूद्रप्रयाग	0	90	-12	0	9
6	टिहरी गढवाल	0	-52	11	151	27
7	उत्तरकाशी	0	272	18	-3	-10
8	अल्मोडा	0	1279	58	157	100
9	बागेश्वर	0	-108	12	-4	31
10	चम्पावत	-2	205	-58	-46	42
11	नैनीताल	-1184	-723	-173	-11	72
12	पिथौरागढ़	0	176	-47	-25	-44
13	ऊधम सिहं नगर	-3766	-211	12	0	0
उत्तराखण्ड		1267	458	63	505	557
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**1%**	**4%**	**2%**	**25%**	**31%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

वर्ष 2016–17 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)						
क्र0 सं0	जनपद	गन्ना	आलू	प्याज	अदरक	लहसून
1	चमोली	0	12422	769	10	231
2	देहरादून	260690	8053	350	7000	44
3	हरिद्वार	3884856	3989	24	0	0
4	पौडी गढवाल	0	10906	13274	1401	592
5	रूद्रप्रयाग	0	969	131	0	48
6	टिहरी गढवाल	0	8406	3094	2508	116
7	उत्तरकाशी	0	20792	301	103	73
8	अल्मोडा	0	5591	2865	975	570
9	बागेश्वर	0	3158	657	194	88
10	चम्पावत	397	995	1522	3901	338
11	नैनीताल	225592	35067	4598	3285	214
12	पिथौरागढ़	0	6616	2307	1152	622
13	ऊधम सिहं नगर	1073844	6760	0	0	0
	उत्तराखण्ड	5445379	123724	29892	20529	2936
वर्ष 2021–22 में उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों का उत्पादन (मीट्रिक टन में)						
1	चमोली	0	17286	1421	26	171
2	देहरादून	265236	8081	771	10133	178
3	हरिद्वार	6911527	1472	155	0	0
4	पौडी गढवाल	0	6064	17256	2391	960
5	रूद्रप्रयाग	0	1889	164	0	54
6	टिहरी गढवाल	0	8273	3184	4505	225
7	उत्तरकाशी	0	27286	867	92	54
8	अल्मोडा	0	14191	7513	2900	1028
9	बागेश्वर	0	1348	1786	292	228

10	चम्पावत	334	7325	5808	4808	976
11	नैनीताल	189818	41039	6499	3861	440
12	पिथौरागढ़	0	10689	6026	1509	764
13	ऊधम सिहं नगर	1070947	8677	166	0	0
	उत्तराखण्ड	8437862	153620	51616	30517	5078
वर्ष 2016–17 से वर्ष 2021–22 के मध्य उत्तराखण्ड राज्य की मुख्य फसलों के उत्पादन में बदलाव (मीट्रिक टन में)						
1	चमोली	0	4864	652	16	-60
2	देहरादून	4546	28	421	3133	134
3	हरिद्वार	3026671	-2517	131	0	0
4	पौडी गढवाल	0	-4842	3982	990	368
5	रूद्रप्रयाग	0	920	33	0	6
6	टिहरी गढवाल	0	-133	90	1997	109
7	उत्तरकाशी	0	6494	566	-11	-19
8	अल्मोडा	0	8600	4648	1925	458
9	बागेश्वर	0	-1810	1129	98	140
10	चम्पावत	-63	6330	4286	907	638
11	नैनीताल	-35774	5972	1901	576	226
12	पिथौरागढ़	0	4073	3719	357	142
13	ऊधम सिहं नगर	-2897	1917	166	0	0
उत्तराखण्ड		2992483	29896	21724	9988	2142
उत्तराखण्ड में बदलाव प्रतिशत		**55%**	**24%**	**73%**	**49%**	**73%**

(स्रोतः एग्रीकल्चर स्टैटस्टिक्स एट ए ग्लॉन्स, 2018, 2023)

प्रमुख योजनाऐं / कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार–**RKVY**

- गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति, बाजारों की सुविधा आदि कृषि संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना।

- कृषि उद्यमिता को बढ़ावा और किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु कारोबारी मॉडलों को सहयोग प्रदान करना।
- कृषि एवं संवर्गीय क्रियाकलापों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि और सहवर्गीय क्रियाकलापों के नियोजन व निष्पादन की प्रक्रिया में लचीलापन तथा स्वायत्तता प्रदान करना।

2. एकीकृत बहुउद्देश्यीय जल सम्भरण परियोजना

1. योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2012–13 से संचालित की जा रही है।

2. कुल निर्मित टेंको की संख्या– 1170

3–उद्देश्य. :–

- भूमि, जल एवं मानव संसाधन का अनुकूल उपयोग करते हुये कृषि उत्पादन में फसल, सब्जियों, तथा एकीकृत फसल वृद्धि प्राप्त करना
- सिंचन क्षमता का सदुपयोग करना।
- फसल विविधीकरण यथा– मत्स्य पालन, पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन, औद्यानिकी, चारा आदि के माध्यम से कृषकों की आय तथा स्वरोजगार उत्पन्न होगा।
- योजना के मद– पक्का जल सम्भरण टैंक, मुर्गी पालन, पौध रोपण, पॉली हाऊस के साथ सूक्ष्म सिचांई, चारा उत्पादन, मत्स्य आदि।

3. पर्वतीय क्षेत्रों मे बीज उत्पादन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर्वतीय बीज उत्पादन कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- बीज गोदाम एवं विधायन सयंत्र– चार बीज विधायन सयंत्र एवं गोदाम की स्थापना कृषक समूह हेतु की जा रही है।
- बीज गोदाम एवं विधायन सयंत्र– चार बीज विधायन सयंत्र एवं गोदाम की स्थापना कृषक समूह हेतु की जा रही है।

4. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन

- फार्म मशीनरी बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कर लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य आवश्यकतानुसार कम कीमत/किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराना।

- प्रदर्शन, क्षमता विकास तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को कृषि यंत्रो के उपयोग हेतु जागरूक करना।
- उच्च गुणवत्ता के यंत्र उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में चिन्हित परीक्षण केन्द्रों में यंत्रों की गुणवत्ता परीक्षण कराना ।
- वर्तमान में मैदानी क्षेत्रों की फार्म पावर 3.50 kw/Ha एवं पर्वतीय क्षेत्रों की फार्म पावर 0.50 kw/Ha को अधिक से अधिक बढ़ाना।

नोट– वर्ष 2030 तक समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।

5. स्टेट मिलेट मिशन

राज्य की मिलेट फसलों यथा मण्डुवा, सॉवा आदि को प्रोत्साहित करने हेतु स्टेट मिलेट मिशन की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसके अनुसार निम्न कार्यपद है–

क) उत्पादन – नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन (SMI) , बीज वितरण।

ख) प्रोत्साहन – IIMR के साथ समन्वय, मेले, कृषक गोष्ठी, आदि।

ग) अन्तःग्रहण– सहकारिता विभाग द्वारा कृषकों के उत्पाद को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय केन्द्र के माध्यम से अन्तःग्रहण किया जायेगा।

ध) वितरण/विपणन– खाद्य विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अन्तर्गत राज्य के मैदानी जिलों में 12 महीने के लिए 01 किग्रा0 मण्डुवा वितरित किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है।

6. परम्परागत कृषि विकास योजना (जैविक कृषि)

- उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने में गति प्रदान करने हेतु 3900 क्लस्टर में योजनान्तर्गत 78000 है0 क्षेत्रफल एवं 195000 कृषकों जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है। नमामि गंगे के तहत 50000 है0 अतिरिक्त क्षेत्रफल का चयन किया गया है।
- जैविक खाद/वार्मी कम्पोस्ट– जैविक प्रदेश बनाने के दृष्टिगत जैविक खाद/वर्मी कम्पोस्ट की आवश्यकता अनुसार उत्पादन किया जा सकता है।
- उत्तराखण्ड जैविक कृषि अधिनियम 2019 लागू किया गया है, जिससे जैविक कृषि को संगठित करने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में विभाग के प्रयास से जैविक क्षेत्रफल बढ़कर 2.17 लाख है० हुआ है।
- प्रोसेसिंग इकाई – गुलाब जल, एप्रीकोट, आचार, जैम, जूस आदि की प्रोसेसिंग इकाई योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई जाती है। उक्त कलस्टरों में परम्परागत फसलों के 2555, फल/सब्जियां/फूलों के 1241, सगन्ध पौध केन्द्र 45 तथा रेशम के 59 क्लस्टर चयनित कर जैविक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- विपणन आउटलेट– जैविक उत्पादो के स्थानीय स्तर पर ही विपणन करने हेतु योजनान्तर्गत लगभग 430 आउटलेट स्थापना का कार्य गतिमान है।

7. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन **(NMSA)**

उद्देश्य–

- जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाव हेतु योजना
- कृषि क्षेत्र में एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन एवं जल उपयोगिता के उपायों को अपनाकर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना।

- एकीकृत कृषि प्रणाली के प्रोत्साहन द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायिक परिवेश के अनुकूल बनाना।
- मृदा उर्वरता मानचित्रों, मृदा परीक्षण के आधार पर सूक्ष्म एवं मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग एवं उर्वरकों का न्यायिक प्रयोग द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन।
- जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये किसानों एवं कृषि से जुड़े अन्य लोगों की क्षमता का विकास करना।

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड

- इसका उद्देश्य गांवो में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।
- उत्तराखण्ड प्रदेश हेतु रु० 785.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। यह लोन प्राईमरी एग्री क्रेडिट सोसायटी, किसानों के समूह, किसान उत्पादक संगठनों, एग्री एंटरप्रन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स आदि को दिया जाएगा।
- इस फण्ड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु किया जाएगा। इससे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाएगा।
- इस सुविधा के तहत लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसद् छूट दी जाएगी। यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रूपये तक के लोन पर होगी।
- आतिथि तक रु0 69.26 करोड का ऋण अनुमोदित हो चुका है।

<u>कृषक उत्पादक समूह</u>

- **<u>(Farmers Producers Organization)</u>**
- भारत सरकार द्वारा संचालित कृषक उत्पादक समूह का गठन किये जाने के कार्यक्रम के तहत उत्तराखण्ड प्रदेश में 300 एफ0पी0ओ0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना।
- नाबार्ड प्रदेश हेतु नोडल संस्थान है।

अनुसूचित जाति–जनजाति उपयोजना (राज्य सेक्टर)

- अनुसूचित जाति–जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रमों से संतृप्तीकरण करते हुए पूर्ण विकास करना। अनुसूचित जाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची ब्लू बुक तथा अनुसूचित जनजाति की 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की सूची यलो बुक के अनुसार ग्रामों का चयन कर योजना संचालित की जाती है, जिसमें कृषकों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार कृषि निवेश, कृषि यंत्र तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्यो के साथ–साथ रोजगारपरक कार्य शत–प्रतिशत अनुदान पर संपादित कराये जाते हैं।

सुधारात्मक कार्य/रणनीति

- वर्ष 2020–21 से बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रेताओं को Investuttarakhand.Portal के माध्यम से ऑनलाईन लाईसेन्स निर्गत किये जा रहे है– कुल 658 निर्गत
- कृषकों को समस्त देय सुविधाओं हेतु पारदर्शी किसान सुविधा पोर्टल तैयार कराया जा रहा है।
- डी0बी0टी0 के तहत कृषि निवेशों का वितरण।
- जैविक अधिनियम 2019 लागू ।
- जैविक क्षेत्र मे वृद्वि– वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्र का 34 प्रतिशत आच्छादित।
- जैविक क्लस्टरो को जियो टैग किया गया ।
- उत्तराखण्ड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2020 (APLM Act) लागू।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मैदानी भाग में खरीफ 2021 से ग्राम पंचायत स्तर की गयी है।

केन्द्रपोषित योजनाओं का विवरण

क्र0 स0	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	कार्यमद	आउटपुट	आउटकम
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (**PM-KISAN**)	खेती हेतु कृषि निवेशों की व्यवस्था के लिए आर्थिक सहायता	रु0 6000.00 प्रति वर्ष (तीन किस्तों में)	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत एवं पात्र समस्त कृषक लाभान्वित होंगे।	कृषक खेती के लिये बीज, खाद आदि कृषि निवेशों की समय से व्यवस्था कर पायेंगे, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा एवं कृषि में निरन्तरता बनी रहेगी।
2	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (**PM-KMY**)	सभी 18 से 40 आयु वर्ग के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना	आयु के आधार पर मासिक अंशदायी किस्त	पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा, जिसके लिये पात्र कृषकों के मध्य योजना का प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे। (पंजीकृत कृषक –1972)	लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा तथा वह 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी।
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (**PMFBY**)	किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।	योजना में धान, मंडुवा गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में	योजना में धान, मंडुवा, गेहूँ समस्त प्रदेश एवं मसूर की फसल पौड़ी एवं पिथौरागढ़ में संसूचित है। योजना में 1.50 लाख कृषकों को जोड़ने का लक्ष्य है। 1.बीमित कृषकों की संख्या–1. 00 लाख	फसलों को प्राकृतिक आपदाओं एवं जोखिम से होने वाले नुकसान की स्थिति में कृषकों को क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त होगा। जिससे

			संसूचित है।	2. बीमित क्षेत्रफल– 0.75 लाख है0	कृषकों को आर्थिक सुरक्षा की गारण्टी मिलेगी और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल होगा।
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (**RKVY-RAFTAAR**)	गुणवत्तापूर्ण आदानों की आपूर्ति, बाजारों की सुविधा आदि कृषि संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करना।	कृषि और सहवर्गीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित परियोजना	वर्ष 2021–22 में वर्ष 2020–21 की 13 संचालित परियोजनाओं को पूर्ण किया जायेगा तथा वर्ष 2021–22 हेतु एस0एल0एस0सी0 द्वारा भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं में से नयी परियोजनायें स्वीकृत की जायेंगी। स्वच्छता एक्शन प्लान "नमामि गंगे क्लीन अभियान" द्वितीय चरण का कार्य 7 जनपदों के 1237 चयनित ग्रामों में 50,000है0 कार्य सम्पादित किया जायेगा।	वर्तमान में संचालित 13 परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा परियोजनाओं पर कार्य सम्पादित होने से उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि का व्यावसायिकरण होगा, जिससे कृषकों को लाभ प्राप्त होगा। 50,000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम संचालित होगा, जिससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा।
5	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (**NFSM**)	क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि।	फसल प्रदर्शन, बीज वितरण, यंत्र वितरण, पोध सुरक्षा रसायन वितरण, प्रशिक्षण	संचालित कार्यक्रम – 1. प्रदर्शन (है0)– 6500 2. बीज वितरण (कुं0)–7500 3 पौध एवं मृदा प्रबन्धन (है0)–35000 4. यंत्र वितरण (सं0)–700 5. जल सम्वहन पाईप वितरण (मी0)–60000 6. कृषक प्रशिक्षण (सं0)–80 7. स्थानीय/अन्य पहल/टैंक (सं0)–200 8. बीज उत्पादन (कुं0)–2000 9. कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु सहायता–15	योजना में चावल, गेहूँ पौष्टिक अनाज तथा मोटे अनाज एवं तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
6	प्रधानमंत्री कृषि	प्रक्षेत्र स्तर पर भौतिक	जल संग्रहण	सूक्ष्म सिचांई क्षेत्रफल मे वृद्धि।	उपलब्ध एवं वर्षा

	सिंचाई योजना–पर ड्रॉप मोर क्रॉप	रूप से जल के उपयोग को बढ़ाना और खेती योग्य भूमि के सिंचन क्षेत्र में वृद्धि करना।	संरचनायें, एच0डी0पी0ई0 पाईप, टयूब वेल, जल पम्प		जल का संचय, भूमिगत जल का सदुपयोग। जल बचत तकनीकों के प्रयोग से सिंचन क्षेत्रफल में वृद्धि करना। उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि।
7	राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम **(NMSA-RAD)**	स्थान विशेषित एकीकृत फसल प्रणाली के प्रोत्साहन के द्वारा कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, आयपरक तथा बदलते जलवायु परिवेश के अनुसार बनाना।	समेकित कृषि प्रणाली, मूल्यवर्धन एवं संसाधन संरक्षण	चयनित कलस्टर (सं0)–60 अ– एकीकृत कृषि प्रणाली के अन्तर्गत प्रदर्शन– 3000 है0, ब– मूल्यवर्द्धन एवं संसाधन संरक्षणः– 1. मौन पालन कॉलोनी– 800 सं0 2. साइलेज इकाई–20सं0 3. पोस्ट हार्वेस्ट एवं स्टोरेज–28वर्ग मी0 4. जल प्रयोग एवं वितरण– 300 है0 5. वाटर लिफिटिंग डिवाईस– 10 सं0 6. वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें–350सं0 7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण– 125 सं0 8. ग्रीन हाउस/ लो–टनल, पॉली हाउस (वर्ग मी0)–4000	वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल प्रणालियों के विकास से कृषि, उद्यान, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य, पशुधन एवं वृक्ष आधारित कृषि क्षेत्रों से कृषकों की आय में वृद्धि होगी एवं कलस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन से किसानों को भिज्ञ बनाकर उसके प्रभावों से बचाना।
8	मृदा स्वास्थ्य कार्ड **(SHC)**	पोषक तत्वों/उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग के प्रोत्साहन	मृदा परीक्षण, कार्ड वितरण	वर्ष 2020–21 की भांति चयनित 2609 ग्रामों में मृदा परीक्षण संस्तुति को आधार मानकर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे। इन ग्रामों में 26090 मृदा परीक्षण कर इतने ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जायेंगे।	मृदा परीक्षण संस्तुति के आधार पर कृषकों को पोषक तत्वों के प्रयोग हेतु जागरूक करने से कृषकों द्वारा संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जायेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप N.P.K खादों में बचत हुई है।

9	परम्परागत कृषि विकास योजना (**PKVY**)	कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी०जी०एस० प्रमाणीकरण के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना।	कलस्टर गठन, . प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, रसायन अवशिष्ट विश्लेषण तथा जैविक प्रमाणिकरण , मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग आदि	चयनित 3900 कलस्टरों के 78000 हैक्टेयर में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, रेशम विभाग एवं कैप, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् तथा सपोर्ट एजेंसियों के माध्यम से कार्य किये जायेंगे।	जैविक कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं पी0जी0एस0 उत्पाद प्राप्त होंगे, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। परम्परागत कृषि की विधियों को अपनाकर उपज में वृद्धि करना तथा जन मानस को रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराना।
10	सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन **(SMAM)**	लघु एवं सीमान्त कृषकों के मध्य कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाना।	कस्टम हायरिंग सेन्टर , फार्म मशीनरी बैंक, बडे एव छोटे यंत्र	महिला श्रम मे कमी। फार्म माशीनरी बैक– कस्टम हायरिंग सेन्टर–	लघु, सीमान्त, महिला कृषकों तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ेगी। कृषि में समय एवं श्रम की बचत होगी। कृषि में लगने वाले मानव श्रम एवं पशुओं की समस्या का समाधान होगा। कृषि उन्नत तकनीकों का प्रयोग होगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ लागत में कमी आएगी। कृषकों की आय में वृद्धि होगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
11	सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिर्फाम्स **(ATMA)**	फार्मिंग सिस्टम की समस्याओं का निदान कर समग्र उत्पादन एवं आय मे वृद्धि। नवीनतम तकनीकियों का प्रचार प्रसार	कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, भ्रमण कार्यक्रम, कृषक समूहों का गठन किसान मेलों, कृषक वैज्ञानिक	(इकाई संख्या में) 1. कृषक प्रशिक्षण–450 2. प्रदर्शन–8300 3. भ्रमण कार्यक्रम– 300 4. कृषक समूहों का गठन –800 5. किसान मेलों का आयोजन– 15 6. कृषक वैज्ञानिक संवाद–15	कृषकों की दक्षता का विकास, नवीनतम तकनीकियों के प्रचार–प्रसार से उत्पादन एवं कृषकों की आय में वृद्धि होगी।

			संवाद, गोष्ठी फार्म स्कूल, कृषक पुरूस्कार	7. किसान गोष्ठी/फील्ड–डे– 190 8. कृषक पुरूस्कार–375 9. फार्म स्कूल–280 10. विभिन्न कार्यक्रमों में कुल प्रतिभागी कृषक –57000 11. परियोजना संचालन हेतु आउटसोर्सिंग से सेवायोजित कार्मिक–बी0टी0एम0 96, डी0पी0डी0 26, सहायक लेखाकार 14, डाटा एंट्री ऑपरेटर 14	
12	कृषि अवसंरचना निधि **(Agriculture Infrastructure Fund)**	कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा।	रू0 78.5 लाख का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।	रू0 69.26 करोड का ऋण कृषि अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु बैंकों के माध्यम से अनुमोदित किया जा चुका है।	फसलोपरांत उत्पादों के भण्डारण एवं प्रसंस्करण विपणन में सुविधा होगी, जिससे कृषकों को उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों की आय बढ़ेगी। कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोका जा सकेगा।
13	किसान उत्पादक समूह **(FPO)**	1. किसान उत्पादक संगठनों के गठन द्वारा कृषकों का समग्र विकास करते हुये स्थिर आय पर खेती का विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय का कल्याण एवं सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। 2. सामूहिक प्रयासों के द्वारा कुशल प्रभावी लागत एवं संसाधनों के टिकाऊ उपयोग द्वारा उत्पादकता बढ़ाना तथा उत्पाद का मार्केट लिंकेज से कृषकों को अच्छा मूल्य प्रदान करना। 3. किसान उत्पादक	निम्न संस्थाओं द्वारा 153 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। 1. नाबार्ड–31 2.एस0एफ0 ए0सी0–51 3.एन0सी0 डी0सी0–25 4. नैफेड–31 5.एन0डी0डी0 बी0–2 6. ट्राईफेड–2 7.यू0ओ0	प्रदेश में कुल 300 कृषक उत्पादक समूह का गठन किया जाना है। वर्ष 2021–22 हेतु लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेंगे, जिसके अनुसार संस्थायें एफ0पी0ओ0 का गठन करेंगी।	कृषक बाजार के मांग के अनुसार फसलों का उत्पादन करेंगे, जिससे कृषकों को फसलों को बेचने की सुविधा होगी तथा उत्पादों का अधिक मूल्य प्राप्त होगा। कृषकों को नवीन तकनीकी एवं उन्नत गुणवत्तायुक्त खाद, बीज उपकरण आदि प्राप्त होंगे।

		संगठनों हेतु निवेशों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, मार्केट लिंकेज तथा तकनीक के उपयोग हेतु सहायता प्रदान करना। 4. किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता विकास करना	सी0बी0–11		

वन्यजीवों से फसलों को नुकसान एवं विभागीय शमन कार्यक्रम

उत्तराखण्ड का भौगोलिक परिदृश्य घने जंगलों, पहाड़ियों और वन्यजीव अभयारण्यों से समृद्ध है, जहां विभिन्न जंगली जानवर प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। हालांकि बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और शहरीकरण के कारण मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बना है, जहां हाथी, तेंदुआ, जंगली सूअर, नीलगाय, लंगूर, बंदर, और बेसहारा पशुओं जैसे जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं।

उत्तराखण्ड सरकार वन्यजीवों से होने वाले इस खतरे को नियंत्रित करने और किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कई योजनाओं और उपायों पर कार्य कर रही है।

विभागीय आंकड़े

जंगली जानवरों से फसलों को क्षति :– कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें ये एक प्रमुख समस्या जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाली क्षति है। वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के मध्य जंगली जानवरों के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का विश्लेषण यह दर्शाता है कि राज्य के विभिन्न भागों में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। वन्यजीवों जैसे नीलगाय, जंगली सूअर, बंदर, हाथी और अन्य जंगली प्रजातियाँ खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है। यह समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में गम्भीर होती जा रही है, जो जंगलों या वन्यजीव अभयारण्यों के समीप स्थित हैं। वन विभाग में किसानों के माध्यम से वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के मध्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हुऐ नुकसान की घटनाओं एवं प्रभावित क्षेत्रफल हेतु शिकायतें दर्ज की गयी हैं। आंकड़ों का विवरण निम्नवत तालिकाओं में दर्शाया गया है, जिनसे निम्नवत तथ्यों की पुष्टि होती है।

1. वर्ष 2021 से वर्ष 2023 के मध्य घटनाओं की संख्या में वृद्धि का होना जंगली जानवरों के जोखिम का लगातार बढ़ना, जंगलों और कृषि क्षेत्रों की सीमाएं घटने की ओर संकेत है।
2. हाथियों और जंगली सूअरों द्वारा फसलों को अधिक नुकसान पहुँचाने तथा मैदानी और तराई क्षेत्रों में घटनाएँ अधिक होने के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राज्य के पर्वतीय किसानों द्वारा फसल नुकसान की घटनाओं एवं मुआवजा हेतु वन विभाग में शिकायतें दर्ज नहीं की गई है, अर्थात् विभागीय योजना के प्रचार–प्रसार में कमी है।

जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान 2021/2022/2023	
वर्ष	**घटनाऐं**
2021	760
2022	697
2023	772

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

राज्य में जंगली जानवरों से नुकसान–प्रजातिवार 2021–23	
प्रजाति	**घटनाऐं**
हाथी	1998
जंगली सूअर	145
सांभर	14
नीलगाय	7
बन्दर	12
हिरन	34
लंगूर	15

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

वनमण्डलवार घटनाऐं: 2021–23	
वन मण्डल	**घटनाऐं**
हरिद्वार	1028
तराई पश्चिम	426
देहरादून	250
कार्बेट	195
तराई केन्द्रीय	123
भूमि सरंक्षण कालसी	60
तराई पूर्वी	43
लैंसडाउन	41
राजाजी	33
नरेन्द्रनगर	14
मसूरी	9
गढ़वाल	3
पिथौरागढ़	3
रूद्रप्रयाग	1

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

राज्य में जंगली जानवरों से नुकसान का क्षेत्रफल 2021–23	
वर्ष	**क्षे.फ. (है.में)**
2021	283.8
2022	211.5
2023	314.3

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

राज्य में जंगली जानवरों से नुकसान–फसलवारः 2021–23	
फसल का नाम	**क्षे.फ.(है.मे.)**
गन्ना	395.28
गेहूँ	254.24
धान	223.182
अन्य	8.68

मक्का	8.64
सरसों	7.17
जौ	4.63
सब्जियाँ	3.48
दालें	3.34
सोयाबीन	2.56
तिलहन	1.21
बाजरा	1.04
चारा	0.17

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान का क्षेत्रफल–प्रजातिवारः 2021–23	
प्रजाति	**क्षे.फ. (है.में)**
हाथी	675.5
जंगली सूअर	23.3
हिरन	4.2
बन्दर	4
साम्भर	2
नीलगाय	1.6
लंगूर	15

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान–वन मंडलवारः 2021–23				
वन मण्डल / वर्ष	2021	2022	2023	योग
	क्षे.फ. (है.में)			
हरिद्वार	106.63	68.61	181.64	**356.88**
देहरादून	101.00	82.00	67.00	**250.00**
तराई केन्द्रीय	36.35	17.07	39.00	**92.42**
कार्बेट	15.97	14.67	9.36	**40.00**
तराई पश्चिम	5.31	8.35	8.05	**21.71**
तराई पूर्व	5.28	11.02	0.78	**17.08**
भूमि संरक्षण, कालसी	3.07	6.90	3.42	**13.39**
लैंसडाउन	5.12	1.43	3.59	**10.14**
राजाजी	2.28	0.40	0.23	**2.91**
मसूरी	1.26	0.10	0.55	**1.91**
नरेन्द्रनगर	0.47	0.70	0.75	**1.92**
गढ़वाल	0.79	0	0	**0.79**
पिथौरागढ़	0.26	0	0	**0.26**

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

वर्ष 2015 एवं वर्ष 2021 में बंदर, लंगूर की गणना :– वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 और वर्ष 2021 में बंदर और लंगूर हेतु की गयी गणना के आंकड़ें, जो निम्नवत प्रस्तुत हैं, से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं :–

1. वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के मध्य बंदरों एवं लंगूरों की संख्या में क्रमशः 25% और 32% की गिरावट का होना, फसलों की क्षति और मानव–वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों में वृद्धि होना स्वाभाविक है, क्योंकि वन में निवास करने वाले 57% बंदर और लंगूर अब मानव बस्तियों में अपनी दैनिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे फसलों की पैदावार में लगातार गिरावट से किसानों को आर्थिक हानि होने से कृषि–बागवानी के प्रति अरूचि का होना भी स्वाभाविक है।

वर्ष 2015 तथा 2021 में बन्दर एवं लंगूर की गणना							
क्र0 स0	**वन मण्डल (प्रभाग)/वर्ष**	**बन्दर**			**लंगूर**		
		2015	**2021**	**बदलाव प्रतिशत**	**2015**	**2021**	**बदलाव प्रतिशत**
1	अलकनंदा	3660	NA	**100%**	691	NA	**100%**
2	अल्मोड़ा	9477	4583	**-52%**	3400	612	**-82%**
3	अल्मोड़ा सिविल सोयम	2601	228	**-91%**	853	481	**-44%**
4	बद्रीनाथ	4874	3692	**-24%**	2545	2964	**16%**
5	बागेश्वर	3933	6197	**58%**	1524	1130	**-26%**
6	चकराता	3530	1454	**-59%**	738	371	**-50%**
7	चम्पावत	1930	3941	**104%**	1029	1884	**83%**
8	कार्बेट कालागढ	2270	2086	**-8%**	3838	2153	**-44%**
9	कार्बेट रामनगर	6021	4046	**-33%**	5177	3219	**-38%**
10	देहरादून	4868	5710	**17%**	527	401	**-24%**
11	गढ़वाल	6812	4311	**-37%**	2290	1579	**-31%**
12	गोविन्द राष्ट्रीय पार्क	1308	705	**-46%**	1304	979	**-25%**
13	हल्द्वानी	5325	3473	**-35%**	3336	1290	**-61%**
14	हरिद्वार	4203	6857	**63%**	252	281	**12%**
15	कालसी	6917	3740	**-46%**	492	813	**65%**
16	केदारनाथ	3624	4873	**34%**	3482	2122	**-39%**
17	लैंसडाउन	4012	4774	**19%**	1964	2106	**7%**
18	मसूरी	2414	1903	**-21%**	647	987	**53%**
19	नैनीताल	7482	2979	**-60%**	2777	1687	**-39%**
20	नंदादेवी	539	425	**-21%**	679	727	**7%**
21	नरेन्द्र नगर	2825	5075	**80%**	1030	1695	**65%**
22	पिथौरागढ़	4346	4761	**10%**	1844	1451	**-21%**
23	राजाजी	4648	2636	**-43%**	2533	1908	**-25%**
24	रामनगर	8418	3307	**-61%**	2328	1014	**-56%**
25	रूद्रप्रयाग	4779	2385	**-50%**	1199	472	**-61%**
26	टिहरी	7020	5735	**-18%**	2111	1619	**-23%**
27	तराई केन्द्रीय	4625	3412	**-26%**	1100	298	**-73%**
28	तराई पूर्वी	9963	5571	**-44%**	840	463	**-45%**
29	तराई पश्चिम	7126	3287	**-54%**	533	421	**-21%**

30	टौंस	2552	1275	**-50%**	1157	242	**-79%**
31	अपर यमुना बड़कोट	1265	739	**-42%**	1491	877	**-41%**
32	उत्तरकाशी	3056	4620	**51%**	2793	1765	**-37%**
योग		**148438**	**110801**	**-25%**	**58519**	**40032**	**-32%**

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

फसल सुरक्षा

उत्तराखण्ड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन गया है। विशेष रूप से बंदर, लंगूर, हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर, भालू आदि वन्यजीवों के कारण। ये जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, मानव बस्तियों में घुस आते हैं और कभी–कभी लोगों पर हमला भी कर देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तराखण्ड सरकार के वन विभाग, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई योजनाएँ और उपाय लागू किए गए हैं।

वन विभाग

उत्तराखण्ड वन विभाग का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बनाए रखना और मानव बस्तियों से दूर रखना है। वन विभाग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फसल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें प्रमुख हैं :–

1. **फसल सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा चालित (Solar-Powered Fencing) बाड़ योजना**
   उद्देश्य :– खेतों को जंगली जानवरों (हाथी, नीलगाय, सूअर) से बचाना।
   प्रक्रिया :– खेतों के चारों ओर सौर ऊर्जा से संचालित विद्युत बाड़ लगाई जाती है, जिससे जानवरों को हल्का करंट लगता है और वे खेतों में घुसने से बचते हैं।
   लाभ :– हाथी, नीलगाय और जंगली सूअर से फसलों की संरक्षा साथ–साथ किसानों की आजीविका की रक्षा।
2. **वन्यजीव पकड़ने और पुनर्वास (Rescue & Relocation) योजना**
   उद्देश्य :– मानव बस्तियों में घुसने वाले वन्यजीवों को सुरक्षित रूप से जंगल में पुनर्स्थापित करना।
   कार्य :– बंदर और लंगूरों को पकड़कर वन क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। भालू और हाथियों को ट्रैंक्विलाइजर (बेहोसी की दवा) देकर पकड़कर जंगल में ले जाया जाता है।
3. **वन्यजीव मित्र योजना (Wildlife Mitra Yojana)**
   उद्देश्य :– स्थानीय लोगों को वन्यजीवों की गतिविधियों के प्रति सतर्क रखना और वन विभाग के साथ समन्वय बनाना।
   कार्य :– ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे वन्यजीवों की उपस्थिति की सूचना तुरन्त प्रशासन को दे सकें।
4. **फसल क्षति मुआवजा योजना (Crop Damage Compensation Scheme)**
   उद्देश्य :– जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट करने पर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
   मुआवजा :– वन्यजीवों द्वारा फसलों को हानि पहुँचाने पर वन विभाग द्वारा अनुग्रह राशि की दरें निम्नवत होगी।

फसल का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2024 के अनुसार अनुग्रह राशि हेतु देय दरें (रू0 में)	सहायता हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के क्षति के मानक	भुगतान का स्रोत	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि (रू0 में)	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली–2024 से देय राशि (रू0 में)
गन्ना सम्पूर्ण फसल	25,000/– प्रति एकड़	इनपुट सब्सिडी (जहां पर फसलों का नुकसान 33 प्रतिशत या उससे अधिक है। रू0 8,500 प्रति हेक्टेयर, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में।	रू0 3,441/– प्रति एकड़	रू0 11,559/– प्रति एकड़
		उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम रू. 1000/– के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।		
		रू. 17000/प्रति हैक्टेयर सुनिश्चित सिंचित क्षेत्रों में		
		उपरोक्त सहायता प्रति किसान न्यूनतम रू. 2000/– के अधीन है और बोये गये क्षेत्रों तक सीमित है।		
धान/गेहूं/तिलहन सम्पूर्ण फसल	15,000/– प्रति एकड	उपरोक्तानुसार	रू0 3,441/– प्रति एकड़	रू0 11,559/– प्रति एकड़
उपरोक्त फसलों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर सम्पूर्ण फसल	8,000/– प्रति एकड़	उपरोक्तानुसार	रू0 3,441/– प्रति एकड़	रू0 4,559/– प्रति एकड़

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

वन्य जीवों के आक्रमण से किसी व्यक्ति के घायल/मृत्यु होने पर वर्तमान में निम्न मुआवजा धनराशि दी जाती है–

मानव क्षति का प्रकार	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली, 2024 के अनुसार अनुग्रह राशि हेतु देय दरें (रू0 में)	राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानक	भुगतान का स्रोत (रू0 में)	
			राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से देय राशि	मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 से देय राशि
साधारण रूप से घायल	15,000/–	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। 1. रू0 5,400/– प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में।	15,000/–	9,600/– प्रति व्यक्ति
	16,000/–	2. रू0 16,00/– प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	16,000/–	
गम्भीर रूप से घायल	1,00,000/– आवश्यकता है।	ऐसा गहरा जख्म जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। 1. रू0 5,400/– प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से कम अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति में। 2. रू0 16,00/– प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में भर्ती होने की स्थिति में।	5,400/– प्रति व्यक्ति 16,000/– प्रति व्यक्ति	9,600/– प्रति व्यक्ति 84,000/– प्रति व्यक्ति
आंशिक रूप से अपंग	1,00,000/–	शरीर के किसी अंग (लिंग) अथवा आंख/आंखों की हानि होने पर। रू0 74,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के 40 से 60 प्रतिशत मध्य होने की स्थिति में।	74,000/– प्रति व्यक्ति	26,000/– प्रति व्यक्ति
पूर्ण रूप से अपंग	3,00,000/–	रू0 3.00 लाख प्रति व्यक्ति अपंगता के 60 प्रतिशत अधिक होने की स्थिति में अपंगता की सीमा और उसके कारण के संबंध में सरकारी अस्पताल अथवा डिपेंसरी के डॉक्टर द्वारा किये प्रमाणन अधीन।	2,50,000/– प्रति व्यक्ति	50,000/– प्रति व्यक्ति

वयस्क व अवयस्क की मृत्यु पर	6,00,000/—	रू0 4.00 लाख प्रति व्यक्ति। इसमें वे भी शामिल हैं, जो राहत अभियानों में शामिल अथवा तैयारियां संबंधी कार्य कलापों से संबंद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाण के अध्यधीन हैं।	4,00,000/— प्रति व्यक्ति	2,00,000/— प्रति व्यक्ति

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

5. **मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि :—**

लाभ :— वन क्षेत्र तथा उसके आस—पास के क्षेत्र में वन्यजीवों के आक्रमण से मानव क्षति (मृत्यु व घायल/दिव्यांग) अधिकतम रू0—4 लाख तथा न्यूनतम रू0 50 हजार तक सहायता। 2— वन क्षेत्र तथा उसके आस—पास के क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा पालतू पशु क्षति की दशा में अधिकतम् अनुदान रू0 40 हजार और न्यूनतम रू0 3 हजार प्रति पशु। 3— वन क्षेत्र तथा उसके आस—पास के क्षेत्र में जंगली हाथी, जंगली सूअर, नील गाय, काकड़, सांभर, चीतल तथा बन्दरों द्वारा फसलों की क्षति होने पर अधिकतम रू0 25 हजार एवं न्यूनतम रू0—8 हजार प्रति एकड़। 4—जंगली हाथियों द्वारा मकान/कच्चा मकान/चाहर दीवारी/झोपड़ी आदि की क्षति पहुंचाने की स्थिति में अधिकतम रू0—95 हजार न्यूनतम रू0—9,00 तक। परंतु जंगली जानवरों द्वारा मानव क्षति पर दिये जाने वाले क्षतिपूर्ति के लाभ/प्रलोभन में पारिवारिक सदस्यों द्वारा अथवा परिवार से भिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी वृद्ध मनुष्य, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अयोग्य (मेडिकल अनफिट), विकलांग अथवा मानसिक रूप से असंतुलित तथा अवयस्क किसी मानव को अकेले जंगल में छोड़ दिये जाने एवं जंगली जानवरों द्वारा ऐसे मानवों को क्षति पहुंचाये जाने पर अनुग्रह राशि का दावा गैर कानूनी होगा।

पात्रता :— (1) बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड़), जंगली हाथी, तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घड़ियाल, साँप के आक्रमण से मृत्यु, घायल या विकलांग होने पर। (2) बाघ, तेंदुआ हिम तेंदुआ (स्नो लेपर्ड़), तीनों प्रजाति के भालू, लकड़बघा, जंगली सुअर, मगरमच्छ/घड़ियाल, साँप द्वारा पालतू पशुओं को मारे जाने की क्षति। (3) जंगली हाथी, जंगली सुअर, नील गाय, काकड़, साँबर, चीतल तथा बंदरों द्वारा फसलों की क्षति, तथा (4) जंगली हाथियों द्वारा मकान की क्षति।

आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :— जाँच रिपोर्ट में वन्य प्राणी द्वारा मवेशी के मारे जाने की पुष्टि नहीं होती है, तो मवेशी स्वामी को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि की वसूली राजस्व वसूली के रूप में की जायेगी। (3) वन्यजीवों के आक्रमण से फसल क्षति होने पर—घटना की सूचना दो दिन के अन्दर स्थानीय वन अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके उपरान्त सम्बन्धित घटना क्षेत्र के तहसीलदार/पटवारी व स्थानीय वन अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से फसलों की क्षति का सत्यापन एवं आकलन कर जांच रिपोर्ट रेंज अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा अंतिम जांच रिपोर्ट घटना के दो माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अन्तिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकारी होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय

वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी। (4) जंगली हाथियों के आक्रमण से मकान क्षति होने पर–घटना की सूचना दो दिन के अन्दर सम्बन्धित रेंज कार्यालय में लिखित रूप से देनी होगी। जिसकी पुष्टि वन दरोगा अथवा उप वन क्षेत्राधिकारी द्वारा तत्काल कर लिया जायेगा। क्षति का आंकलन सम्बन्धित क्षेत्र के नायब तहसीलदार एवं रेंज अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से कर लिये जाने पर जांच रिपोर्ट सहायक वन संरक्षक/वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध करायी जायेगी, जिनके द्वारा मामले में अन्तिम जाँच करते हुये अन्तिम जाँच रिपोर्ट एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। अन्तिम जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा प्रकरण में देय अनुग्रह राशि को स्वीकृत करने व भुगतान करने का पूर्ण अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक द्वारा सम्पूर्ण विवरण के साथ सूचना निश्चित रूप से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्रेषित की जायेगी।

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

राज्य आपदा प्रबंधन उत्तराखण्ड द्वारा वन्यजीव चेतावनी और आर्थिक सहायता हेतु मुख्य दो योजनाएँ संचालित होती हैं।

1. **वन्यजीव चेतावनी प्रणाली (Wildlife Alert System)**
   उद्देश्य :– हाथी, भालू और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों की उपस्थिति की सूचना पहले से देना।
   प्रक्रिया :– संवेदनशील क्षेत्रों में लाउडस्पीकर और मोबाइल अलर्ट सिस्टम द्वारा लोगों को सचेत किया जाता है तथा स्थानीय स्तर पर रात में सायरन बजाए जाते हैं।
2. **मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत योजना (Human-Wildlife Conflict Relief Scheme)**
   उद्देश्य :– यदि किसी व्यक्ति पर वन्यजीव हमला करता है तो उसे आर्थिक सहायता देना।
   मुआवजा :– गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को रूपये 1 लाख तक की सहायता तथा मृत्यु की स्थिति में परिवार को रूपये 4 लाख तक की सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

कृषि विभाग

उत्तराखण्ड कृषि विभाग द्वारा जंगली जानवरों के जोखिम पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न योजनाएँ संचालित हो रही हैं।

1. **जंगली जानवरों से बचाव हेतु मिश्रित खेती (Mixed Cropping) योजना**
   उद्देश्य :– हाथी, नीलगाय, जंगली सूअर और लंगूरों से फसल बचाने के लिए विशेष प्रकार की खेती को बढावा देना।
   प्रक्रिया :– मिर्च, अदरक, हल्दी और औषधीय पौधों (लेमन ग्रास, तुलसी) की खेती को प्रोत्साहन किया जाता है। ये फसलें जंगली जानवरों को आकर्षित नहीं करतीं।
   लाभ :– किसान फसल बचाने के साथ–साथ अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं।

2. **मधुमक्खी पालन (Bee Farming) योजना**
उद्देश्य :– हाथियों और अन्य वन्यजीवों को खेतों से दूर रखना।
प्रक्रिया :– खेतों के किनारे मधुमक्खी के छत्ते लगाए जाते हैं, जिससे हाथी इनसे डरकर खेतों में नहीं आते।
लाभ :– फसलों की सुरक्षा तथा शहद उत्पादन से अतिरिक्त आय उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2300 / RKVY–पत्राचार / 2024–25 दिनांक 31 जुलाई, 2024 के माध्यम से जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा संबंधी प्राप्त सूचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना / कार्यक्रम का नाम	वर्षवार विवरण				
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	कृषि विभाग	जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु घेरबाड	14985 मीटर घेरबाड	21100 मीटर घेरबाड	70000 मीटर घेरबाड	1500 मीटर घेरबाड	शून्य

उत्तराखण्ड पुलिस और वन्यजीव विभाग का संयुक्त अभियान

वर्णित विभागों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरे, ड्रोन और रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से जंगली जानवरों के जोखिम को कम करने के लिए कार्य किया जाता है।

1. **कैमरा ट्रैप और ड्रोन निगरानी योजना**
उद्देश्य :– भालू, हाथी, नीलगाय और तेंदुओं की निगरानी करके उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना।
प्रक्रिया :– संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप और ड्रोन कैमरे लगाए जाते हैं। यदि जंगली जानवर गांव की ओर बढ़ता है तो तुरन्त वन विभाग को सूचना दी जाती है।
2. **रैपिड रिस्पांस टीम**
उद्देश्य :– क्या वन्यजीव के हमला करने की स्थिति में तुरन्त कार्रवाई करना।
प्रक्रिया :– प्रशिक्षित वन अधिकारी और पुलिस की टीम को वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, तथा स्थानीय लोगों को वन्यजीव से बचाव के उपाय बताए जाते हैं।

केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय योजनाएँ

जंगली जानवरों के जोखिम को कम करने में केन्द्र सरकार भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। जिसके सहयोग से प्रोजेक्ट एलीफेंट और बंदर नसबंदी और पुनर्वास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

1. **प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant) :–** उत्तराखण्ड के राजाजी नेशनल पार्क में इसे लागू किया गया है। जहाँ हाथियों के प्राकृतिक मार्गों को संरक्षित करके उन्हें मानव बस्तियों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है।

6. **बंदर नसबंदी और पुनर्वास योजना :–** बंदरों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए बंदरों की नसबंदी की जाती है तथा उन्हें जंगलों में पुनर्वासित किया जाता है।

उत्तराखण्ड में पकड़े/बन्ध्याकरण/वन क्षेत्र में छोड़े गये बन्दरों का विवरण (फरवरी 2023 तक)					
वर्ष	विवरण	चिडियापुर (हरिद्वार वन प्रभाग)	अल्मोड़ा (सिविल सोयम वन प्रभाग)	रानीबाग (नैनीताल वन प्रभाग)	कुल योग
2015—16	पकड़े गये	528	0	0	**528**
	बन्ध्याकरण किये गये	334	0	0	**334**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	528	0	0	**528**
2016—17	पकड़े गये	418	**0**	**0**	**418**
	बन्ध्याकरण किये गये	226	0	0	**226**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	418	0	0	**418**
2017—18	पकड़े गये	1438	26	168	**1632**
	बन्ध्याकरण किये गये	1210	9	100	**1319**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	1438	26	168	**1632**
2018—19	पकड़े गये	2421	31	1614	**4066**
	बन्ध्याकरण किये गये	2265	22	987	**3274**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	2421	31	1614	**4066**
2019—20	पकड़े गये	9916	267	4995	**15178**
	बन्ध्याकरण किये गये	8801	238	3657	**12696**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	9916	267	4995	**15178**
2020—21	पकड़े गये	15089	260	4612	**19961**
	बन्ध्याकरण किये गये	14421	161	3919	**18501**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	15089	260	4612	**19961**
2021—22	पकड़े गये	7929	406	1608	**9943**
	बन्ध्याकरण किये गये	7619	78	279	**7976**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	7929	406	1608	**9943**
2022—23	पकड़े गये	4723	317	6036	**11076**
	बन्ध्याकरण किये गये	4230	256	942	**5428**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	4723	317	6036	**11076**
कुल योग	पकड़े गये	**42462**	**1307**	**19033**	**62802**
	बन्ध्याकरण किये गये	**39106**	**764**	**9884**	**49754**
	वन क्षेत्र में छोड़े गये	**42462**	**1307**	**19033**	**62802**

(स्रोतः उत्तराखण्ड वन विभाग)

उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग

राज्य में गाय और गाय वंश के परीक्षण, विकास और कल्याण हेतु वर्ष 2010 में उत्तराखण्ड गौ सेवा आयोग की स्थापना की गयी है। आयोग द्वारा निम्न कार्य किये जाते हैं:—

- आयोग द्वारा दूरभाष, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से गौ वंश के प्रति क्रूरता, गौ हत्या, गौकशी, गौतस्करी से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट तलब कर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।

- आयोग द्वारा सड़क मार्गो पर गौवंश के घायल/बीमार पड़े होने की सूचना/शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को दूरभाष/ईमेल के माध्यम से सूचित कर उस क्षेत्र के समीपस्थ पशुचिकित्साधिकारी के माध्यम से घायल/बीमार गोवशं का घटनास्थल पर निःशुल्क उपचार कराया जाता है।
- आयोग द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पशुक्रूरता निवारण समितियों की बैठकों का आयोजन कराकर गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ–साथ गोवंश से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर निस्तारण कराया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा इन निराश्रित गौ एवं गौवंश को शरण दिये जाने हेतु नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण कराने के साथ–साथ ग्रामीण स्तर पर एन.जी.ओ. के माध्यम से छोटे–छोटे निजी गौसदनों के निर्माण हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए जून–2023 में जारी गाइड लाइन में निम्न प्रावधान किए गये हैं।
- गौसदनों की स्थापना हेतु एन.जी.ओ. को भूमि दिये जाने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। चिन्हित भूमि पर स्वामित्व राज्य सरकार का होगा, मात्र प्रबंधकीय कार्यों हेतु यथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उपयुक्त एन.जी.ओ. से एमओयू/अनुबंध किया जायेगा।
- यदि किसी एन.जी.ओ. के पास भूमि पहले से उपलब्ध होगी तो उसे गौसदन के निर्माण में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग किया जायेगा। अई गौसदनों में शरणांगत गौवंश के भरण पोषण हेतु रू0 80/– प्रतिदिन प्रतिगौवंश राजकीय सहायता अनुदान की व्यवस्था की गई है।
- आयोग द्वारा सड़कों पर विचरण कर रहे निराश्रित गौवंश हेतु राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सम्बन्धित विभागों के स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाता है। साथ ही सर्दी, गर्मी एवं बरसारत, बाढ़ जैंसी आपदा के समय संबंधित विभागों के माध्यम से गौ एवं गौवंश को उचित शरण दिलाने एवं उनके चिकित्सा/उपचार व चारे दानें की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है।

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग द्वारा गौसदनों की स्थापना का कार्य सम्पातिद किया जा रहा हैः–

- **लाभ :–** पशुपालक द्वारा छोड़े गये व स्वच्छन्द विचरण करने वाले अलाभकर पशुधन को उचित शरणस्थली प्रदान करने के लिए आवेदक संस्था को अनावर्तक व्ययों यथा रू गोसदन हेतु मुख्य भवन का निर्माण, भण्डारण कक्षों, परिसर दीवार, पेयजल व्यवस्था, गोमूत्र से अर्क बनाने हेतु संयत्र स्थापना, गोबर गैस प्लांट एवं पशुऔषधालय निर्माण जैसी मदों में कुल व्यय का अधिकतम 90 प्रतिशत सीमा तक राजकीय अनुदान देय होगा। राजकीय अनुदान की अधिकतम सीमा रू0 25.00 लाख होगी।
- **पात्रता :–** गौसदनों की स्थापना हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत निम्न गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के आवेदन स्वीकार होंगे – गोवंश एवं अन्य पशुओं के कल्याण कार्यो हेतु पंजीकृत, बिना लाभ अर्जन हेतु गोवंश कल्याण हेतु गठित धर्मार्थ संस्था, अथवा बिना कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव तथा योग्यता क्षमता वाली संस्थाओं को प्राथमिकता। ऐसे आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्वयं की भूमि हो अथवा 30 वर्ष तक लीज पर ली हो। भरण पोषण अनुदान की पात्रता हेतु पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम–25 एवं मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम–50 शरणागत निराश्रित, अलाभकारी, गोवंशीय पशु संख्या वाले गोसदन।

- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** संबंधित संस्था उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड देहरादून के कार्यालय में आवेदन करेगा। आवेदन https://ahd-uk-gov-in/files/Gau_Sadan_Recognition_Application_Form-pdf लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा संबंधित क्षेत्र के पशुधन प्रसार अधिकारी/पशुपालन विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे। 1. राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख। 2. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण। 3. संस्था की सेवानियमावली में अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने का संकल्प या प्राविधान। 4. संस्था की प्रबन्ध कार्यकरिणी के नाम, पदनाम पता एवं दूरभाष संख्या। 5. स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। 6. चाटर्ड एकाउन्टेट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट। 7. संस्था का बैंक खाता। 8. संस्था का चयन होने के उपरांत राजकीय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने से पूर्व आवेदक संस्था को निर्धारित प्रपत्र पर कम से कम 05 वर्षो हेतु प्रभावी अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा।

उद्यान विभाग

1. ग्रीन हाऊस (पॉलीहाउस) योजना

- **लाभ :–** ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी एवं पुष्पों की बागवानी को प्रोत्साहित करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम/नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस/सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री हेतु कुल लागत का 50 से 80 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः– विभिन्न फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती करने हेतु फेन एण्ड पैड सिस्टम/नैचुरेल वैन्टिलेटिड पॉलीहाउस हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। सब्जी एवं फूलों की पौध रोपण सामग्री (बीज/पुष्प बल्ब/पौधे) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराये जाते हैं। ग्रीन हाउस निर्माण– फेन एण्ड पैड सिस्टम पॉलीहाउस, ट्यूबलर स्ट्रक्चर पॉलीहाउस पर कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि देय है। एन्टी हेल नेट लगाने हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्यांश के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता अर्थात कुल 75 प्रतिशत राजसहायता देय है। प्लास्टिक मल्चिंग–नमी को रोकने एवं जड़ों में Micro Flora को बढावा देने हेतु जमीन को प्लास्टिक शीट से ढकने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। संरक्षित खेती के लिये रोपण सामग्री की व्यवस्था–पॉलीहाउस के अन्तगर्त रोपण सामग्री (पुष्पों/सब्जियों के बीज) कुल लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाते हैं यदि कृषक विभाग को छोडकर, बाहर से खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान की जाती है। ग्रीन हाउस में एरिया भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निंदेशिका के अनुसार 4000 हजार/500 वर्ग मी0 तक उपलब्ध कराया जाता है। 500 वर्ग मी0 के पॉलीहाउस पर 30 प्रतिशत अतिरिक्त राजसहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। कुल 80 प्रतिशत सब्सिडी की धनराशि कृषक को मिलती है।
- **पात्रता :–** कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्डधारक कृषक, यह सहायता समूह में कार्य करने पर, नहीं दी जाती है।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक से आवेदन प्रारूप प्राप्त करना पडता है या आवेदन का प्रारूप विभाग की वेबसाइट https://sm.uk.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप/प्रस्ताव के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, इसके अतिरिक्त लीज की जमीन हेतु

लीज का प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एवं बैंक खाता, मोबाइल नंबर, परिवार रजिस्ट्री की नकल/राशन कार्ड, प्रशिक्षण पत्र भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। आवेदन प्रस्ताव भरने में दिक्कत होने पर संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में आवेदन प्रारूप जमा करना होगा। उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रस्ताव को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। स्वीकृति पत्र के साथ पॉलीहाउस बनाने वाली, विभाग के साथ सूचीबद्ध कम्पनियो की सूची दी जाती है। किसान अपने खर्चे पर ग्रीन हाउस निर्माण का कार्य शुरू करेगा। यदि किसान के पास धनराशि न हो तो, किसी बैंक से लोन लेकर कर सकता है। ग्रीन हाउस का निर्माण होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत करायेगा तथा विभागीय अधिकारी स्थलीय निरीक्षण करके अपनी आख्या देंगे जिसके बाद समुचित राजसहायता/सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

2. पुष्प क्षेत्रफल विस्तार :–

- **लाभ :–** कृषकों को पुष्प उत्पादन में बढावा देने हेतु पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) कुल लागत का 50 प्रतिशत राजसहायता (अधिकतम 04 हैक्टेयर) तक उपलब्ध करायी जाती है। अर्थात खुले पुष्प अधिकतम 20 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। डंडीयुक्त पुष्प अधिकतम 50 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। बल्बयुक्त पुष्प अधिकतम 75 हजार तक की पुष्परोपण सामग्री प्रति हैक्टेयर दी जाती है। (उदा0 स्वरूप गेंदे के बीज 1 किलो रू0 200/– रू0 का है तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.100/– जमा करने होते हैं तथा रू0 100/–की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बीज रू0 100/– में मिल जाता है।)
- **पात्रता :–** कृषकों की अपनी भूमि/लीज पर हो तथा उद्यान कार्ड धारक कृषक
- **आवेदन एवं प्रक्रिया :–** सम्पूर्ण प्रक्रिया (फल क्षेत्र विस्तार) के अनुसार है। यहां पर कृषक को पुष्प रोपण सामग्री (बल्ब/पौधे/बीज) उपलब्ध कराये जाते हैं।

3. उद्यानों की घेरबाड़ की योजना

- **लाभ :–** जंगली जानवरों से फल–पौधे/उद्यान फसलों एवं बगीचों को बचाने हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 1.00 लाख प्रति हैक्टेयर) धनराशि सब्सिडी के रूप में भुगतान की जाती है।
- **पात्रता :–** उद्यान कार्ड धारक कृषक
- **आवेदन एवं प्रक्रिया :–** उद्यान सचल दल केन्द्रों में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक को घेरबाड संबंधी प्रार्थना पत्र देना पडता है। प्रार्थना पत्र के साथ जमीन से सम्बन्धी दस्तावेज यथा खसरा एवं खतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यान कार्ड एंव बैंक खाता, मोबाइल नंबर भी चाहिए होगा। वर्तमान में आवेदन करने की व्यवस्था ऑफलाइन है। प्रार्थना पत्र लिखने में दिक्कत होने पर संबंधित उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक सहयोग करते हैं। इसी कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा करना होगा। उद्यान सचल दल केन्द्र कार्मिक संबंधित प्रार्थना पत्र को जनपद स्तर पर प्रेषित करता है, जनपद स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं एवं निदेशालय द्वारा कृषकों के प्रस्ताव स्वीकृत करने के उपरांत शासनादेश

जारी करके जनपदों को शासनादेश अनुसार स्वीकृति/कार्यदेश दिया जाता है। कृषक का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर कृषक को जनपदीय अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है एवं दूरभाष से अवगत कराया जाता है। उसके उपरांत विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में उद्यानों की घेरबाड की जाती है, जिसके बाद विभागीय कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण आख्या के उपरांत सब्सिडी सीधे कृषक के खाते में भुगतान की जाती है।

उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक 1136/उ0त0–घेरबाड़/2024–25 दिनांक 30 जुलाई, 2024 के माध्यम से जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा संबंधी प्राप्त सूचना निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना/कार्यक्रम का नाम	वर्षवार विवरण				
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	घेरबाड योजना	119.60 है0	183.27 है0	264.00 है0	355.67 है0	316.33 है0
		मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन	–	–	–	–	32.72 है0

4. मौनपालन

- **लाभ :–** मौनवंश (मधुमक्खी के बक्से) व मौन कॉलोनी (मधुमक्खियां, रानी मक्खी सहित), 40 प्रतिशत की राजसहायता (अधिकतम लागत मौन बॉक्स रू0 2000, मौनवंश रू0 2000) पर उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्रों के लिए 50 मौन बक्से एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 25 मौन बक्से दिये जाते हैं। (उदा0 स्वरूप मधुमक्खी का एक बक्सा एवं मधुमक्खियां रू0 200/– की हैं तो किसान को संबधित उ0स0द0के0 में रू.120/– जमा करने होते हैं तथा रू0 80/– की सब्सिडी सरकार वहन करती है और किसान को उक्त बक्से रू0 120/– में मिल जाता है।) यदि कोई किसान अपने उद्यानों में मौनवंश रखना चाहता है तो रू0 350 प्रति मौनवंश की आर्थिक सहायता किसान को भुगतान की जाती है। किसान यदि प्रशिक्षण लेना चाहता है तो 07 दिवसीय मौनपालन प्रशिक्षण विभाग द्वारा निशुल्क दिया जाता है तथा प्रशिक्षण के साथ संबंधित किसान को रू0 100 प्रति दिन की दर से रू0 700 तथा रू0 50 प्रति दिन की दर रू0 350 प्रति लाभार्थी को देय है। कुल 1050 रू0 भी दिये जाते हैं।
- **पात्रता :–** मौनपालन हेतु इच्छुक कृषक
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** संबंधित किसान मौन बक्से हेतु अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, मौन बक्से और मधुमक्खियां लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखेगा उसमें अपना पता, मो0 नम्बर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता संलग्न करेगा। उसके बाद उ0स0द0के0 कार्मिक प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय या ज्योलीकोट सेंटर को भेजेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर संबंधित किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा स्वीकृति पत्र भी भेजा जाता है। संबंधित किसान मौन बक्से एवं मधुमक्खियां ज्योलीकोट सेंटर या जनपदीय कार्यालय से 40 प्रतिशत सब्सिडी पर प्राप्त कर सकते हैं। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु कृषक को अपने उद्यान सचल दल केन्द्रों पर, प्रशिक्षण हेतु प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें अपना पता, मो0नं., आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता

संलग्न करेगा। उसके उपरांत प्रार्थना पत्र को जनपदीय कार्यालय में भेजा जाता है। जनपद में इसी प्रकार लगभग 10–30 किसान, मौनपालन हेतु इच्छुक होने पर उनका समूह बनाकर विभाग द्वारा प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित करते हुए किसान को दूरभाष से अवगत कराया जाता है तथा किसान उस तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आता है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर किसान को 1050 रू0 भी खाते में भुगतान/नकद दिया जाता है।

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड

1. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम

- **लाभ :–** 1. उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा बहुतायत मात्रा में पलायन कर जाने के कारण अधिकांश रूप से कास्तकारों की भूमि निष्प्रोज्य/बंजर पड़ी रहती है, जिसमें चाय विकास कार्यक्रम संचालित करने से उक्त भूमि का सदुपयोग किया जा सकता है। 2. बोर्ड द्वारा संचालित चाय विकास योजना एक रोजगारपरक योजना है, जिसके अन्तर्गत चाय बागानों में कास्तकारों/श्रमिकों को चाय प्लान्टेशन के सात वर्षो तक बोर्ड द्वारा वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बागान से पर्याप्त मात्रा में हरी पत्तियॉ प्राप्त होने पर उनकी बिक्री कर कास्तकार आय अर्जित कर अपनी आजीविका चला सकता है। 3. वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्रों में फलों, सब्जियों तथा फसलों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि चाय पौधों को पालतू व जंगली जानवरों द्वारा कोई नुकसान नही पहॅुचाया जाता है। 4. पर्वतीय क्षेत्रों में सिचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण परम्परागत खेती में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि चाय बागानों में प्रारम्भिक स्तर पर ही सिचाई की आवश्यकता होती है, प्रतिकूल मौसम का चाय बागानों पर कोई खास असर नही पड़ता है। 5. एक बार चाय पौधारोपण के उपरान्त उचित देखरेख में 100 वर्षो तक चाय पौधों से उत्पादन लिया जा सकता है। चाय पौधों पर ओलावृष्टि से मात्र एक सप्ताह के उत्पादन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 6. वनों का अन्धाधुन्ध कटान, आपदा व भारी वर्षा में भू–स्खलन का खतरा बना रहता है, जबकि चाय पौध रोपित क्षेत्रों में भू–स्खलन का कोई खतरा नही होता है, अर्थात् चाय बागान भू–स्खलन रोकने में सहायक सिद्व होते है। 7. चाय पौधारोपण पर्यावरण सुरक्षा एवं पूर्णरूप से प्रदूषण मुक्त उद्योग है। 8. चाय बागानों में स्थानीय व्यक्तियों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है। 9. चाय उद्योग स्थानीय कास्तकारों के आर्थिक आधार हेतु सुदढ़ स्तम्भ बन सकता है। 10. चाय विश्व में सर्वाधिक पेय पदार्थ है, जिस कारण इसकी मॉग हमेशा बनी रहती है, जिससे इसके विपणन में किसी प्रकार की कठिनाई नही होती है। 11. प्रति हैक्टेयर औसतन 15000 चाय पौध रोपित की जाती है, जिससे भूमि कटाव भी रूकता है। 12. वर्तमान में बोर्ड द्वारा 9 जनपदों के 30 विकास खण्डों में 1370 है0 क्षेत्रफल में 4011 कास्तकारों से भूमि लीज पर लेकर चाय बागान विकसित किये गये है। 13. वर्तमान में बोर्ड के अन्तर्गत 3100 श्रमिक प्रतिमाह कार्यरत है, जिसमें 2279 महिला श्रमिक कार्यरत है।

2. टी–टूरिज्म

- **लाभ :–** 1. बोर्ड द्वारा वर्तमान में चाय बागान घोड़ाखाल, (नैनीताल) चम्पावत व कौसानी (बागेश्वर) में टी टूरिज्म से सबन्धित गतिविधियां संचालित की जा रही है, जिसमें निम्न प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहे है। 2. राज्य में भ्रमण करने वाले पयर्टकों द्वारा अन्य रमणीय

स्थलों का भ्रमण करने के साथ–साथ बोर्ड द्वारा संचालित चाय बागानों, चाय फैक्ट्रियों का भी भ्रमण किया जा रहा है। 3. बागान भ्रमण पर आने वाले पयर्टकों से बोर्ड द्वारा न्यूनतम प्रवेश शुल्क प्राप्त किया जा रहा है। 4. पयर्टकों से प्राप्त प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि उसी बागान में टी टूरिज्म को विकसित करने में व्यय की जा रही है। 5. बोर्ड द्वारा बागान भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों को बागान भ्रमण एवं चाय टेस्ट करवाकर प्रतिवर्ष 75.00 लाख की आय अर्जित की जा रही है। 6. पयर्टक सीजन में प्रतिदिन लगभग 500–600 पयर्टकों द्वारा चाय बागानों व चाय फैक्ट्रियों का भ्रमण किया जा रहा है। 7. बोर्ड द्वारा संचालित टी टूरिज्म से स्थानीय स्तर पर लोगो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है।

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई, देहरादून

1. मनरेगा के अन्तर्गत सगन्ध कृषिकरण

- **लाभ** :– मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध कृषिकरण करने पर खेती की तैयारी आदि पर, मजदूरों द्वारा किये जाने वाले कार्य की मजदूरी का भुगतान, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जाता है तथा किसान को मजदूरी का भुगतान नहीं करना पडता है। कैप द्वारा कृषक को निःशुल्क पौध सामग्री। निःशुल्क तकनीकी सहयोग/परामर्श/अनुश्रवण दिया जाता है।
- **पात्रता :–** ग्रामीण क्षेत्रों के सगन्ध कृषिकरण के इच्छुक कृषक जिन कृषकों के नाम विधिवत् कृषि भूमि है अथवा 10 वर्ष की अवधि हेतु भूमि लीज पर ली गयी हो।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** सगन्ध कृषि के इच्छुक किसानों को ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पारित कर, खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से कैप, सेलाकुई को प्रस्ताव देना होगा। प्रस्ताव आने के बाद संबंधित फसल का वित्तीय एस्टीमेट/आगणन कैप द्वारा बनाया जाता है फिर आगणन खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाता है, प्रस्ताव को उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृति के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कैप कार्यालय से पौध सामग्री की मांग की जाती है। कैप द्वारा चयनित किसानो को पौध सामग्री निकटतम स्थल/सडक मार्ग तक निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है तथा पौध रोपण के दौरान तकनीकी सहयोग दिया जाता है। संबंधित ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत सगन्ध खेती संबधित कार्य इच्छुक कृषक के खेत में करवाया जाता है।

2. राज्य में सगन्ध पौधों की खेती कर रहे किसानो/संस्थाओं/समूहों को उनके उत्पाद के तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन, प्रसस्करण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा

- **लाभ :–** सगन्ध पौधों के ड्राइंर्ग, भण्डारण तथा प्रसंस्करण हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर रू0 10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। कलस्टर के अन्य कृषकों को आसवन (प्रसंस्करण) की सुविधा। कृषकों में उद्यमिता का विकास।
- **पात्रता :–** कृषक/संस्था/समूह कैप में पंजीकृत हो कलस्टर में सयंत्र/यंत्र उपकरण आदि क्षमतानुसार/आवश्यकतानुसार सगन्ध कृषित क्षेत्रफल हो।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** कटाई/तुडाई उपरांत प्रसंस्करण हेतु किसान द्वारा सर्वप्रथम आसवन(प्रसंस्करण) संयंत्र स्थापना संबंधी आवेदन पत्र कैप वेबसाइट/फील्ड कार्मिक से

प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र के साथ फोटो, भूमि अभिलेख/लीज संबंधी प्रमाण पत्र, कैप में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र, आसवन संयंत्र का विवरण, देना होगा। कृषक/संस्था/समूह द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र को निदेशक, सगन्ध पौधा केन्द्र में जमा करेगा/फील्ड कार्मिक को देगा। उसके बाद जिला समन्वयक स्थलीय निरीक्षण करके संस्तुति प्रदान करता है तथा निरीक्षण के उपरांत संबंधित कृषक को आसवन संयंत्र स्थापना की अनुमति, निदेशक कैप द्वारा लिखित में दी जाती है तथा कृषक उसके बाद अपने आसवन संयत्र आदि की स्थापना कैप द्वारा अनुमति पत्र के साथ संलग्न विशिष्टयों के अनुसार स्वयं के व्यय पर करेगा। संयंत्र स्थापना के उपरांत राजसहायता निर्गत करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र, जोकि कैप की वेबसाइट से/फील्ड कार्मिक से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल, कृषक फोटो, आसवन संयंत्र की फोटो, जमीन संबंधी दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, के साथ मास्टर ट्रेनर/तकनीकी सहायक की संस्तुति सहित, निदेशक, कैप को देगा। उसके बाद निदेशक स्तर से गठित मूल्यांकन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। समिति की रिपोर्ट एवं जिला समन्वयक की संस्तुति के उपरांत निदेशक, कैप द्वारा एकमुश्त सब्सिडी का भुगतान किसान के खाते में किया जाता है।

ज़ड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल चमोली, उत्तराखण्ड

1. **प्रदेश में जड़ी–बूटी कृषि करण को प्रोत्साहित करने हेतु सामग्री का वितरण, विशेष प्राविधान–सीमान्त जनपद के कृषकों अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों एवं बी0पी0एल0 कृषकों को औषधीय पादपों के बीज/पौध 03 नाली तक तथा सगन्ध पादपों के बीज/पौध का 05 नाली तक निशुल्क वितरण करने की योजना (नोट वर्तमान में समस्त इच्छुक कास्तकारों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है)। जड़ी–बूटी के कृषिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जड़ी–बूटी के पौधरोपण सामाग्री–निवेशों आदि पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान करना।**

- **लाभ :–** औषधीय पादप अतीस, कुटकी, कूठ, जटामांसी, चिरायता, वन ककड़ी, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, कोलियस, सर्पगन्धा, शतावर, सिलिबम, पिपली मण्डूकपर्णी/ब्राह्मी, अमीमेजस, स्टीविया तथा तिलपुष्पी, की 03 नाली तक बीज/पौध तथा औषधीय एवं सगन्ध पादपों जैसे फरण, कालाजीरा, बड़ी इलायची, रोजमैरी, जिरेनियम, लेमनग्रास, कैमोमाईल तेजपात व अमीमेजस की 05 नाली तक निःशुल्क बीज/पौध वितरित कर कृषकों को औषधीय व सगन्ध पादपों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के कृषकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान सुविधा अनुमन्य कराना, तकनीकी जानकारी सुलभ कराना, प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रसंस्करण व्यवस्था का लाभ देना एवं कृषिकरण कार्य का अभिलेखीकरण/डाटा बेस तैयार करना।
- **पात्रता :–** प्रदेश के जिन काश्तकारों के नाम विधिवित नाप भूमि उपलब्ध है तथा वे जड़ी–बूटियों के कृषिकरण के इच्छुक हों वे समस्त काश्तकार पात्र होंगे।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** कृषक का चयन भौतिक सत्यापन के उपरान्त प्रत्येक जनपद के संबंधित विकासखण्ड में तैनात जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के सर्वेक्षक सहायक द्वारा किया जाता है, इच्छुक कृषक को बीज पौध प्राप्त करने के लिए भूमि का खसरा एवं आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कर चयनित कृषकों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना होता है।

2. **जड़ी–बूटी उत्पाद की निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण**

- **लाभ :–** कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद की निकासी के सरलीकरण के उद्देश्य से यह नीति प्रतिपादित की गयी है अपनी नाप भूमि से उत्पादित औषधीय व सगन्ध उत्पाद को कृषक, वन विभाग द्वारा संचालित मण्डियों अथवा किसी अन्य क्रेता को बेच सकते हैं इस व्यवस्था से कृषिकरण से उत्पादित औषधीय व सगन्ध पादपों के उत्पाद की विपणन प्रक्रिया का सरलीकरण हुआ है।
- **पात्रता :–** नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार लाभान्वित होंगे तथा वैधानिक रूप से नाप भूमि में औषधीय व सगन्ध पादपों का उत्पादन कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** कृषक के पास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं पंजीकरण प्रपत्र की छायाप्रति सहित कृषक को संस्थान द्वारा प्राधिकृत सहयोगी संस्था, भेषज विकास इकाई को आवेदन करना होगा, भौतिक सत्यापन के उपरान्त रवन्ना जारी किया जाता है।

3. **वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी करना**

- **लाभ :–** कतिपय संकटग्रस्त व साइटीस (CITE) प्रजातियों के उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध है किन्तु नाप भूमि में वैधानिक रूप से उत्पादित संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे कूठ, कुटकी, इत्यादि के निर्यात में सुविधा प्रदान करना इस नीति का उद्देश्य है।
- **पात्रता :–** स्वयं की नाप भूमि में संकटग्रस्त पादपों जैसे कूठ, कूटकी इत्यादि का वैधानिक कृ
- षिकरण कर रहे काश्तकार पात्र होंगे।
- **आवेदन एवं चयन प्रक्रिया :–** कृषक द्वारा किसी आयातक की मांग का पत्र संलग्न करते हुए जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र व भेषज विकास इकाई द्वारा जारी रवन्ना संलग्न कर जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को आवेदन किया जाता है संस्थान द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी से अनुरोध कर वन विभाग भेषज विकास इकाई, एवं जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यान के उपरान्त संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को LPC जारी करने हेतु संस्तुति प्रदान की जाती है तदक्रम में वन विभाग द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत LPC जारी की जाती है।

उत्तराखण्ड में मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सौर बाड़, कैमरा ट्रैप, पुनर्वास, फसल क्षति मुआवजा, जैविक खेती और मधुमक्खी पालन जैसी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों के भागीदारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इस समस्या को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही है, लेकिन इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नए समाधान लागू करने की आवश्यकता है।

राज्यान्तर्गत **जंगली जानवरों द्वारा कृषि को हानि पहुँचाने** की वर्तमान स्थिति पर आयोग द्वारा करवाये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों एवं किसानों/उद्यमियों के पक्ष का उल्लेख अगले अध्याय में किया गया है।

ग्राम्य विकास विभाग

मनरेगाः— योजना के अन्तर्गत कृषि सुरक्षा दीवार बनाई जाती है जो कि जंगली जानवरों से कृषि को हो रहे नुकसान को रोकने में कारगर सिद्ध हो रही है। निम्नलिखित तालिका में इस योजना के अन्तर्गत कृषि सुरक्षा दीवार की जनपदवार प्रगति दर्शायी गयी हैः—

मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित कृषि सुरक्षा दीवार का प्रगति विवरण								
क0सं0	जनपद का नाम	सुअररोधी दीवार (लम्बाई मी0 में)	अन्य प्रावधान जैंसे घेरबाड़ आदि (लम्बाई मी0 में)	वर्षवार विवरण (संख्या में)				
				2019—20	2020—21	2021—22	2022—23	2023—24
1	अल्मोड़ा	77405	1600	114	271	149	80	23
2	बागेश्वर	0	2250	0	0	0	2	2
3	चमोली	0	97570	105	143	273	279	270
4	चम्पावत	52900	2030	37	106	174	85	94
5	देहरादून	0	0	0	0	0	0	0
6	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	0
7	नैनीताल	0	3850	0	3	3	7	4
8	पौड़ी	272132	24615	539	922	564	483	310
9	पिथौरागढ़	5450	3395	6	15	5	2	2
10	रुद्रप्रयाग	29780	42582	68	79	69	62	42
11	टिहरी	407887	135310	801	1460	1168	938	705
12	ऊधमसिंह नगर	0	0	0	0	0	0	0
13	उत्तरकाशी	8067	39306	113	166	154	83	87
	उत्तराखण्ड	**853621**	**352508**	**1783**	**3165**	**2559**	**2021**	**1539**

जंगली जानवरों से फसलों को क्षति का आंकलन

इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य मानव–वन्यजीव संघर्ष से होने वाले फसल नुकसान का ग्राम पंचायत–स्तरीय व्यवस्थित आंकलन करना है, जिससे–

- विगत पाँच वर्षों (वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24) के दौरान कृषि भूमि के परित्याग (बंजर भूमि) की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जा सके।
- विभिन्न जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पहुँचाए गए नुकसान का प्रजातिवार एवं प्रतिशत के रूप में आकलन किया जा सके।
- ग्रामीणों द्वारा अपनाए गए परंपरागत, सामुदायिक एवं तकनीकी उपायों का उल्लेख किया गया है।

आँकड़ों का संकलन : स्रोत एवं प्रक्रिया

इस अध्ययन हेतु आवश्यक आँकड़ों का संकलन आयोग द्वारा तैयार मानक प्रारूप पर ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण किया गया है। संकलन की प्रक्रिया में निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया गया–

- ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख
- राजस्व उप निरीक्षक के लेखानुसार भूमि उपयोग से संबंधित आँकड़े
- ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्राथमिक जानकारी
- विगत पाँच वर्षों के कृषि एवं भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख
- स्थानीय स्तर पर मानव–वन्यजीव संघर्ष से संबंधित अनुभवजन्य सूचनाएँ

सभी आँकड़े अनुमानित (लगभग) हेक्टेयर एवं प्रतिशत के रूप में संकलित किए गए हैं।

भूमि परित्याग एवं कृषि प्रवृत्तियाँ

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से वर्षा आधारित कृषि प्रणाली प्रचलित रही है, जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आजीविका का महत्वपूर्ण भाग कृषि से प्राप्त करता रहा है। किन्तु पिछले कुछ दशकों में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में हुए परिवर्तनों के कारण कृषि गतिविधियों में गिरावट देखी जा रही है।

वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के मध्य ग्राम पंचायतों में उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में लगभग 63,291 हेक्टेयर भूमि बंजर श्रेणी में दर्ज की गई है। यह स्थिति कृषि भूमि के परित्याग की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है।

जनपदवार बंजर भूमि की स्थिति :– विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि बंजर भूमि का वितरण राज्य के सभी जिलों में समान नहीं है। जनपद पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी में कृषि भूमि का परित्याग अत्यधिक है जबकि जनपद रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर और बागेश्वर में यह अपेक्षाकृत कम पाया गया है। बंजर भूमि का जिलेवार विवरण निम्नवत ग्राफ और तालिका में दर्शाया गया हैं :–

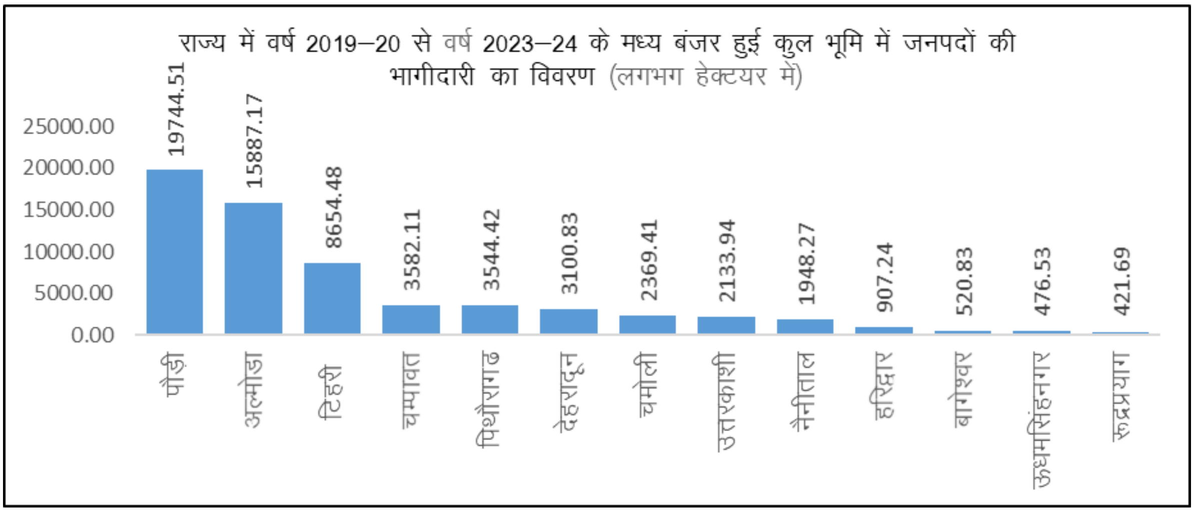

राज्य में वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के मध्य ग्राम पंचायतों में बंजर हुई कुल भूमि में जनपदों की भागीदारी का विवरण (लगभग प्रतिशत एवं हेक्टयर में)

क्र0स0	जनपद	बंजर भूमि (लगभग हेक्टयर में)
1	पौड़ी	19744.51
2	अल्मोडा	15887.17
3	टिहरी	8654.48
4	चम्पावत	3582.11
5	पिथौरागढ	3544.42
6	देहरादून	3100.83
7	चमोली	2369.41
8	उत्तरकाशी	2133.94
9	नैनीताल	1948.27
10	हरिद्वार	907.24
11	बागेश्वर	520.83
12	ऊधमसिंहनगर	476.53
13	रूद्रप्रयाग	421.69
उत्तराखण्ड़		**63291.42**

विकासखण्डवार बंजर भूमि की स्थिति :– जनपद पौड़ी, अल्मोड़ा और टिहरी में ही राज्य की वर्ष 2019–2020 से वर्ष 2023–2024 के बीच कुल बंजर भूमि का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक भाग केंद्रित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य हिमालयी पर्वतीय जिलों में कृषि भूमि के परित्याग की समस्या अधिक गंभीर है। इसके विपरीत जनपद रूद्रप्रयाग, ऊधमसिंहनगर और बागेश्वर में कृषि गतिविधियाँ अधिक सक्रिय बनी हुई हैं जिस कारण बंजर भूमि का प्रतिशत बहुत कम है।

राज्य में वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के मध्य ग्राम पंचायतों में बंजर हुई भूमि का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अनेक पर्वतीय विकासखण्डों में कृषि भूमि का उपयोग धीरे–धीरे कम हो रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2019–2020 से वर्ष 2023–2024 के बीच राज्य में कुल 63,291.42 हेक्टेयर भूमि बंजर श्रेणी में पाई गई है।

भूमि परित्याग के प्रमुख कारण

- **ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन :–** रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे कृषि कार्य के लिए आवश्यक श्रम उपलब्ध नहीं रहता तथा कृषि आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाती है। कृषि भूमि का उपयोग बदल रहा है।
- **मानव–वन्यजीव संघर्ष :–** जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान के कारण कई किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
- **सिंचाई सुविधाओं का अभाव :–** पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं की कमी भी भूमि परित्याग का कारण बनती है।
- **कृषि की घटती लाभप्रदता :–** बाजार तक सीमित पहुँच, परिवहन लागत तथा उत्पादन लागत बढ़ने से कृषि कई स्थानों पर अलाभकारी हो गई है।

संभावित प्रभाव :– यदि कृषि भूमि के परित्याग की प्रवृत्ति इसी प्रकार जारी रहती है तो इसके कई दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं –

- कृषि उत्पादन में कमी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव
- पारंपरिक कृषि प्रणाली का पतन
- खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि क्षेत्र वन क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण वन्य जीवों और मानव गतिविधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क अधिक देखने को मिलता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में फसल क्षति मुख्य रूप से कुछ प्रमुख वन्य जीवों के कारण होती है।

राज्य स्तर पर औसतन बंदर (36.7%) और जंगली सूअर (22.9%) फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने वाले वन्य जीव हैं। इसके अतिरिक्त बेसहारा पशु (11.0%), लंगूर (9.3%), नीलगाय (5.7%), साही (3.5%), भालू (2.2%) तथा हाथी (1.5%) भी विभिन्न क्षेत्रों में फसल क्षति के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। अन्य वन्य जीवों की श्रेणी का योगदान लगभग 7.1 प्रतिशत है। आंकड़ों का जनपद, विकासखण्डवार विवरण एवं विश्लेषण और ग्राफ निम्नवत दिया गया है।

राज्य में प्रमुख जंगली जानवर द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान का आंकलन (लगभग प्रतिशत में)

क्र0 स0	जनपद	बंदर	सूअर	साही	लंगूर	नील गाय	बेसहारा पशु	भालू	हाथी	अन्य	योग
1	पौड़ी	36.6%	25.9%	2.5%	11.3%	0.2%	10.4%	3.8%	0.8%	8.6%	100%
2	टिहरी	44.3%	24.3%	3.6%	10.2%	0.0%	7.6%	1.8%	0.0%	8.1%	100%
3	हरिद्वार	10.0%	12.3%	1.4%	0.5%	43.2%	21.8%	0.0%	6.1%	4.8%	100%
4	चमोली	40.1%	24.3%	3.6%	11.5%	0.3%	3.4%	6.6%	0.1%	10.0%	100%
5	उत्तरकाशी	45.7%	16.6%	6.5%	13.4%	0.0%	10.7%	3.4%	0.0%	3.8%	100%
6	देहरादून	45.0%	19.6%	4.4%	6.0%	0.8%	8.6%	1.0%	5.6%	9.0%	100%
7	रूद्रप्रयाग	40.6%	31.8%	2.1%	16.7%	0.0%	1.4%	3.6%	0.0%	3.8%	100%

8	पिथौरागढ	44.3%	23.5%	5.1%	10.6%	0.1%	2.7%	5.4%	0.1%	8.1%	100%
9	चम्पावत	29.2%	28.4%	3.6%	12.9%	0.2%	9.8%	1.0%	0.6%	14.2%	100%
10	अल्मोडा	42.1%	30.1%	2.9%	7.5%	0.2%	9.1%	0.2%	0.1%	8.0%	100%
11	ऊधमसिंहनगर	18.6%	9.5%	0.1%	0.5%	24.5%	43.8%	0.0%	1.7%	1.2%	100%
12	नैनीताल	32.9%	22.9%	5.2%	12.3%	5.1%	8.8%	0.8%	4.4%	7.6%	100%
13	बागेश्वर	47.4%	28.9%	4.1%	7.2%	0.0%	5.2%	1.5%	0.0%	5.7%	100%
उत्तराखण्ड		**36.7%**	**22.9%**	**3.5%**	**9.3%**	**5.7%**	**11.0%**	**2.2%**	**1.5%**	**7.1%**	**100%**

राज्य के विकासखण्डों में प्रमुख जंगली जानवर द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान का आंकलन (लगभग प्रतिशत में)

क्र0 स0	जनपद	विकासखण्ड	बंदर	सूअर	साही	लंगूर	नील गाय	बेसहारा पशु	भालू	हाथी	अन्य	योग
1	पौड़ी	एकेश्वर	41.9%	20.0%	0.0%	6.7%	0.0%	24.9%	0.0%	0.0%	6.5%	100%
2	पौड़ी	यमकेश्वर	35.5%	23.8%	7.2%	12.3%	0.2%	4.6%	4.2%	1.4%	10.8%	100%
3	पौड़ी	द्वारीखाल	39.9%	21.0%	3.3%	19.8%	0.0%	3.5%	5.9%	0.0%	6.6%	100%
4	पौड़ी	बीरोंखाल	41.4%	38.3%	0.2%	7.8%	0.0%	7.0%	1.0%	0.0%	4.4%	100%
5	पौड़ी	कोट	25.7%	23.0%	1.0%	13.0%	0.0%	18.0%	3.9%	0.0%	15.3%	100%
6	पौड़ी	कल्जीखाल	35.7%	26.1%	2.6%	10.3%	0.0%	17.6%	1.2%	0.0%	6.6%	100%
7	पौड़ी	खिर्सू	26.8%	27.4%	1.2%	12.7%	0.0%	16.5%	2.6%	0.0%	12.9%	100%
8	पौड़ी	रिखणीखाल	48.7%	27.5%	0.2%	8.9%	0.3%	3.6%	1.7%	0.0%	9.0%	100%
9	पौड़ी	थलीसैंण	35.1%	24.1%	2.1%	7.7%	0.1%	6.8%	5.7%	0.0%	18.2%	100%
10	पौड़ी	पाबौ	26.2%	23.0%	9.6%	17.0%	0.0%	11.6%	1.6%	0.0%	11.0%	100%
11	पौड़ी	पोखड़ा	37.5%	37.8%	2.9%	8.6%	0.2%	3.0%	4.1%	0.0%	6.0%	100%
12	पौड़ी	पौड़ी	34.3%	30.9%	1.2%	9.2%	0.2%	23.1%	0.3%	0.1%	0.6%	100%
13	पौड़ी	दुगड्डा	28.5%	17.5%	1.8%	14.9%	1.5%	8.2%	9.1%	8.0%	10.5%	100%
14	पौड़ी	जयहरीखाल	40.1%	23.3%	2.6%	13.4%	0.0%	2.1%	14.1%	1.1%	3.3%	100%
15	पौड़ी	नैनीडांडा	51.5%	25.0%	1.4%	7.8%	0.3%	5.5%	1.1%	0.7%	6.8%	100%
16	टिहरी	देवप्रयाग	43.2%	39.2%	2.0%	8.2%	0.0%	3.2%	0.7%	0.0%	3.5%	100%
17	टिहरी	कीर्तिनगर	42.0%	18.8%	3.4%	16.8%	0.0%	9.5%	2.6%	0.0%	6.9%	100%
18	टिहरी	जाखणीधार	42.3%	32.5%	6.5%	14.7%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	2.0%	100%
19	टिहरी	प्रतापनगर	46.7%	21.5%	2.5%	5.9%	0.0%	7.9%	2.6%	0.0%	12.9%	100%
20	टिहरी	थौलधार	40.3%	23.1%	2.7%	2.3%	0.0%	14.5%	2.1%	0.0%	15.0%	100%
21	टिहरी	चम्बा	46.9%	23.8%	1.1%	3.5%	0.0%	11.5%	1.2%	0.0%	12.0%	100%
22	टिहरी	नरेन्द्रनगर	46.8%	21.5%	4.3%	11.4%	0.1%	5.0%	4.0%	0.3%	6.6%	100%
23	टिहरी	भिलंगना	42.4%	18.0%	5.7%	20.0%	0.0%	4.2%	0.6%	0.0%	9.2%	100%
24	टिहरी	जौनपुर	47.9%	20.6%	3.9%	9.1%	0.0%	11.0%	2.9%	0.1%	4.6%	100%
25	हरिद्वार	भगवानपुर	29.5%	18.4%	1.5%	0.6%	29.9%	14.6%	0.0%	2.3%	3.2%	100%
26	हरिद्वार	खानपुर	0.9%	6.3%	0.2%	0.0%	56.1%	27.1%	0.0%	0.0%	9.4%	100%
27	हरिद्वार	नारसन	3.8%	10.6%	5.5%	0.6%	64.6%	12.4%	0.0%	0.0%	2.5%	100%
28	हरिद्वार	रूड़की	8.1%	16.7%	0.0%	1.6%	50.0%	20.7%	0.0%	0.0%	2.9%	100%
29	हरिद्वार	लक्सर	5.9%	11.9%	0.0%	0.0%	26.5%	44.0%	0.0%	3.5%	8.2%	100%
30	हरिद्वार	बहादराबाद	11.7%	9.9%	0.9%	0.0%	32.2%	12.1%	0.0%	30.7%	2.4%	100%
31	चमोली	कर्णप्रयाग	53.4%	26.3%	3.2%	13.5%	0.1%	0.7%	2.4%	0.0%	0.3%	100%
32	चमोली	देवाल	30.5%	22.7%	6.9%	22.5%	0.0%	5.4%	6.2%	0.0%	5.7%	100%
33	चमोली	थराली	52.0%	25.1%	4.8%	7.9%	0.5%	0.0%	6.0%	0.0%	3.8%	100%

34	चमोली	घाट	35.7%	19.1%	4.8%	12.8%	0.4%	9.4%	8.3%	0.3%	9.2%	100%
35	चमोली	दशोली	29.8%	24.3%	3.1%	17.8%	1.2%	7.2%	8.1%	0.0%	8.6%	100%
36	चमोली	पोखरी	53.0%	32.5%	0.1%	6.8%	0.0%	0.8%	2.6%	0.1%	4.0%	100%
37	चमोली	नारायणबगड़	49.8%	22.2%	1.2%	9.6%	0.3%	1.6%	5.9%	0.0%	9.5%	100%
38	चमोली	गैरसैंण	34.9%	20.1%	2.8%	4.3%	0.0%	3.7%	4.5%	0.7%	28.9%	100%
39	चमोली	जोशीमठ	21.4%	26.2%	5.6%	8.2%	0.3%	2.1%	15.8%	0.0%	20.4%	100%
40	उत्तरकाशी	पुरोला	47.9%	7.0%	19.4%	9.5%	0.0%	14.1%	0.7%	0.0%	1.4%	100%
41	उत्तरकाशी	मोरी	34.5%	17.7%	12.6%	19.8%	0.0%	6.1%	7.9%	0.0%	1.5%	100%
42	उत्तरकाशी	डुण्डा	51.4%	13.4%	5.4%	6.0%	0.0%	13.3%	2.7%	0.0%	7.8%	100%
43	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड	65.4%	25.5%	0.1%	4.6%	0.0%	3.2%	0.0%	0.0%	1.1%	100%
44	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	26.2%	19.8%	1.4%	25.9%	0.0%	8.0%	8.8%	0.0%	9.7%	100%
45	उत्तरकाशी	नौगांव	48.8%	16.0%	0.1%	14.6%	0.0%	19.4%	0.0%	0.0%	1.1%	100%
46	देहरादून	चकराता	58.4%	37.7%	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
47	देहरादून	डोईवाला	23.8%	10.5%	3.1%	2.9%	3.4%	11.5%	0.5%	25.6%	18.6%	100%
48	देहरादून	रायपुर	44.2%	24.9%	5.2%	7.7%	0.8%	3.9%	1.2%	2.9%	9.2%	100%
49	देहरादून	सहसपुर	58.2%	7.4%	3.6%	4.8%	0.1%	13.2%	0.3%	0.2%	12.1%	100%
50	देहरादून	कालसी	48.6%	18.8%	7.0%	13.1%	0.4%	5.0%	1.0%	0.1%	6.0%	100%
51	देहरादून	विकासनगर	36.8%	18.0%	3.5%	7.6%	0.4%	18.1%	3.2%	4.5%	8.0%	100%
52	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	44.7%	24.0%	1.8%	17.7%	0.0%	3.8%	4.0%	0.0%	4.0%	100%
53	रूद्रप्रयाग	जखोली	42.1%	34.0%	1.1%	16.6%	0.0%	0.0%	2.4%	0.1%	3.6%	100%
54	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	34.9%	37.3%	3.3%	15.9%	0.0%	0.3%	4.4%	0.0%	3.9%	100%
55	पिथौरागढ	गंगोलीहाट	41.6%	33.1%	4.0%	11.8%	0.4%	2.7%	0.4%	0.0%	6.0%	100%
56	पिथौरागढ	कनालीछीना	59.0%	29.7%	1.2%	7.6%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	2.2%	100%
57	पिथौरागढ	विण	38.5%	16.5%	5.6%	11.6%	0.0%	7.2%	2.7%	0.1%	17.8%	100%
58	पिथौरागढ	बेरीनाग	51.2%	27.5%	4.2%	9.0%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	7.7%	100%
59	पिथौरागढ	मूनाकोट	58.6%	34.1%	1.4%	3.1%	0.0%	0.3%	0.1%	0.0%	2.5%	100%
60	पिथौरागढ	डीडीहाट	49.1%	17.5%	6.4%	12.7%	0.0%	5.1%	2.1%	0.0%	7.2%	100%
61	पिथौरागढ	धारचूला	13.5%	16.0%	11.9%	13.0%	0.1%	0.7%	30.2%	0.3%	14.3%	100%
62	पिथौरागढ	मुनस्यारी	42.8%	14.0%	6.4%	16.5%	0.3%	5.1%	7.6%	0.0%	7.3%	100%
63	चम्पावत	पाटी	30.5%	31.3%	4.9%	9.8%	0.0%	10.6%	2.9%	0.1%	9.9%	100%
64	चम्पावत	बाराकोट	34.7%	29.6%	0.7%	20.7%	0.0%	0.5%	0.1%	0.0%	13.6%	100%
65	चम्पावत	चम्पावत	24.8%	25.2%	5.8%	10.7%	0.7%	14.0%	1.1%	2.2%	15.5%	100%
66	चम्पावत	लोहाघाट	26.9%	27.5%	2.9%	10.5%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	17.9%	100%
67	अल्मोडा	द्वाराहाट	67.1%	9.8%	0.5%	6.5%	0.0%	9.6%	0.0%	0.0%	6.6%	100%
68	अल्मोडा	धौलादेवी	30.4%	43.4%	10.9%	2.9%	0.0%	0.3%	0.0%	0.0%	12.2%	100%
69	अल्मोडा	भिकियासैंण	38.4%	31.9%	2.6%	4.3%	0.4%	12.8%	0.1%	0.0%	9.4%	100%
70	अल्मोडा	लमगड़ा	39.0%	36.4%	4.2%	10.3%	0.0%	4.1%	0.2%	0.0%	5.8%	100%
71	अल्मोडा	भैसियाछाना	36.1%	41.0%	1.9%	7.4%	0.0%	5.1%	0.1%	0.0%	8.4%	100%
72	अल्मोडा	स्याल्दे	49.8%	25.9%	1.0%	2.6%	0.0%	12.0%	0.3%	0.1%	8.4%	100%
73	अल्मोडा	सल्ट	41.9%	20.0%	3.3%	8.6%	0.0%	12.4%	0.8%	0.4%	12.5%	100%
74	अल्मोडा	हवालबाग	43.2%	38.2%	0.9%	6.2%	0.0%	8.5%	0.0%	0.0%	3.0%	100%
75	अल्मोडा	चौखुटिया	30.6%	28.0%	4.5%	8.6%	1.6%	16.8%	0.8%	0.2%	8.8%	100%
76	अल्मोडा	ताडीखेत	35.3%	25.1%	0.6%	14.8%	0.0%	13.5%	0.1%	0.0%	10.5%	100%
77	अल्मोडा	ताकुला	51.1%	31.2%	1.1%	10.0%	0.0%	4.6%	0.0%	0.0%	1.9%	100%

78	ऊधमसिंहनगर	बाजपुर	12.9%	5.6%	0.4%	0.0%	56.0%	15.5%	0.0%	7.8%	1.8%	100%
79	ऊधमसिंहनगर	काशीपुर	37.3%	47.3%	0.0%	0.0%	0.0%	15.5%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
80	ऊधमसिंहनगर	सितारगंज	31.7%	3.6%	0.0%	2.4%	16.8%	45.3%	0.2%	0.0%	0.0%	100%
81	ऊधमसिंहनगर	गदरपुर	0.9%	0.5%	0.0%	0.1%	8.2%	90.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100%
82	ऊधमसिंहनगर	रूद्रपुर	17.0%	0.2%	0.0%	0.0%	16.6%	64.1%	0.0%	0.0%	2.0%	100%
83	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	11.4%	5.8%	0.0%	1.2%	3.8%	72.9%	0.1%	4.3%	0.6%	100%
84	ऊधमसिंहनगर	जसपुर	18.9%	3.9%	0.0%	0.0%	70.1%	2.9%	0.0%	0.0%	4.2%	100%
85	नैनीताल	बेतालघाट	30.9%	31.3%	4.5%	11.8%	0.1%	9.9%	0.8%	0.1%	10.7%	100%
86	नैनीताल	रामनगर	28.0%	20.6%	1.8%	6.5%	11.3%	19.0%	0.0%	6.0%	6.9%	100%
87	नैनीताल	धारी	41.4%	34.4%	7.2%	9.5%	0.6%	1.5%	1.4%	0.0%	4.0%	100%
88	नैनीताल	हल्द्वानी	18.8%	15.0%	7.0%	9.7%	14.1%	12.8%	0.3%	15.7%	6.6%	100%
89	नैनीताल	रामगढ	52.2%	17.5%	1.1%	11.9%	0.3%	9.0%	1.6%	0.4%	5.9%	100%
90	नैनीताल	कोटाबाग	26.5%	18.4%	0.8%	13.7%	12.9%	3.6%	0.5%	13.0%	10.5%	100%
91	नैनीताल	भीमताल	34.4%	17.3%	9.7%	20.2%	0.8%	7.6%	0.9%	0.0%	9.2%	100%
92	नैनीताल	ओखलकण्डा	30.9%	29.1%	9.3%	15.2%	0.4%	7.4%	0.6%	0.1%	7.0%	100%
93	बागेश्वर	गरूड	49.5%	29.9%	5.2%	3.8%	0.0%	7.4%	0.6%	0.0%	3.7%	100%
94	बागेश्वर	बागेश्वर	48.7%	33.3%	1.3%	7.6%	0.0%	1.5%	0.1%	0.0%	7.5%	100%
95	बागेश्वर	कपकोट	43.9%	23.7%	5.6%	10.0%	0.0%	6.8%	4.0%	0.0%	6.0%	100%
उत्तराखण्ड़			**36.7%**	**22.9%**	**3.5%**	**9.3%**	**5.7%**	**11.0%**	**2.2%**	**1.5%**	**7.1%**	**100%**

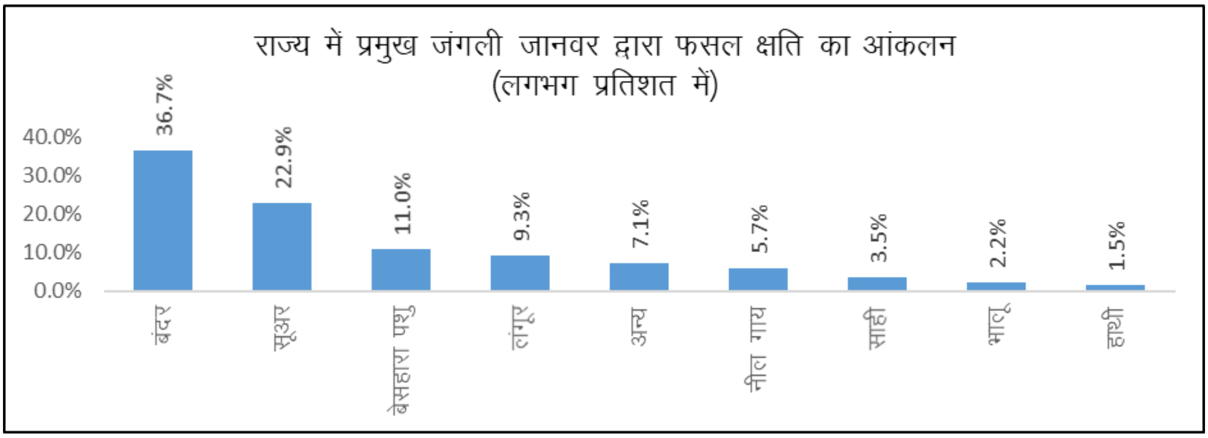

प्रजातिवार फसल क्षति का विश्लेषण

बंदर द्वारा फसल क्षति :– बंदर राज्य में फसल नुकसान के सबसे प्रमुख कारणों में से एक हैं। औसतन 36.7 प्रतिशत फसल क्षति बंदरों के कारण होती है। विशेष रूप से बागेश्वर (47.4%), उत्तरकाशी (45. 7%), टिहरी (44.3%), पिथौरागढ़ (44.3%) और देहरादून (45.0%) जिलों में बंदरों द्वारा नुकसान की घटनाएँ अधिक दर्ज की गई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों की बढ़ती संख्या और मानव बस्तियों के निकट उनकी उपस्थिति इस समस्या को बढ़ाती है।

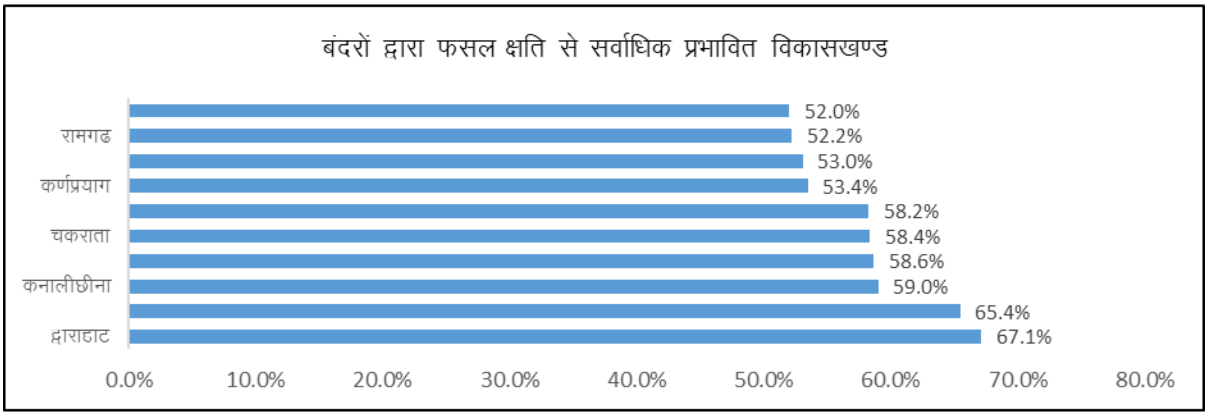

जंगली सूअर द्वारा फसल क्षति :– जंगली सूअर राज्य में दूसरा प्रमुख वन्य जीव है जो फसलों को भारी नुकसान पहुँचाता है। राज्य स्तर पर इसका औसत योगदान 22.9 प्रतिशत है। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग (31.8%), अल्मोड़ा (30.1%) और बागेश्वर (28.9%) तथा चम्पावत (28.4%) में जंगली सूअर द्वारा फसल नुकसान की घटनाएँ अधिक हैं। जंगली सूअर प्रायः मक्का, आलू तथा अन्य कंद फसलों को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं।

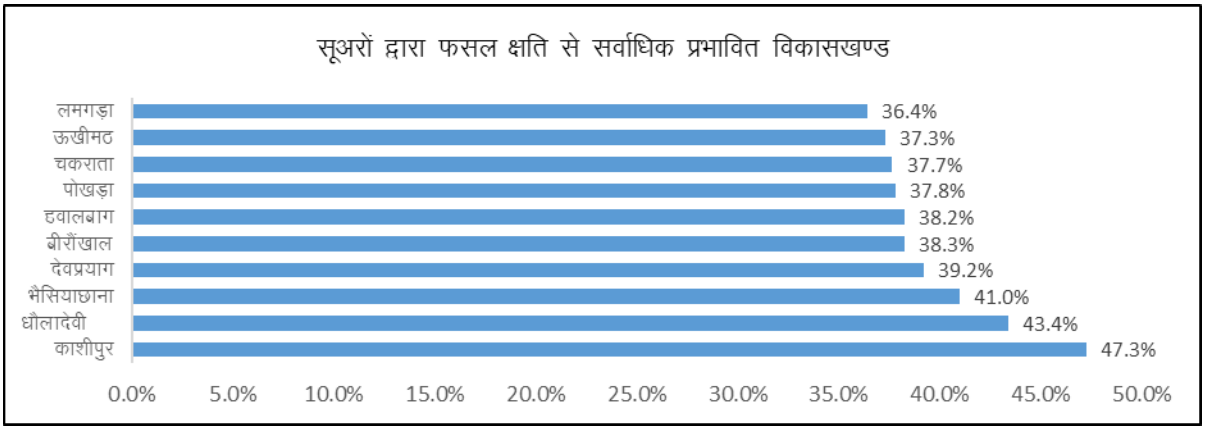

साही द्वारा फसल क्षति :– साही का योगदान अपेक्षाकृत कम है, परंतु कुछ पर्वतीय जिलों में यह समस्या महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर इसका औसत 3.5 प्रतिशत है। उत्तरकाशी (6.5%), नैनीताल (5.2%) और पिथौरागढ़ (5.1%) में साही द्वारा फसल नुकसान अधिक देखा गया है।

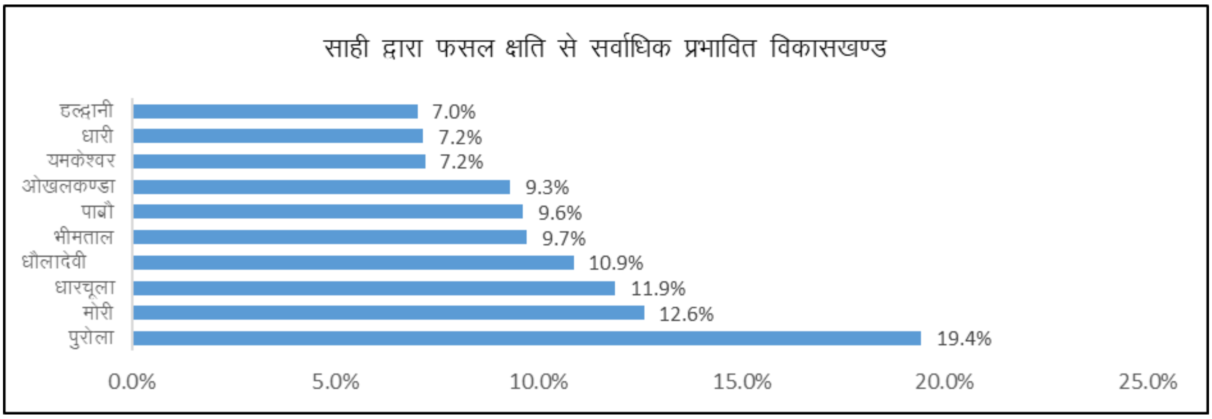

लंगूर द्वारा फसल क्षति :– लंगूर भी कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। राज्य स्तर पर इसका औसत 9.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग (16.7%), उत्तरकाशी (13.4%), चम्पावत (12.9%) और नैनीताल (12.3%) जिलों में लंगूर से फसल क्षति अधिक देखी गई है।

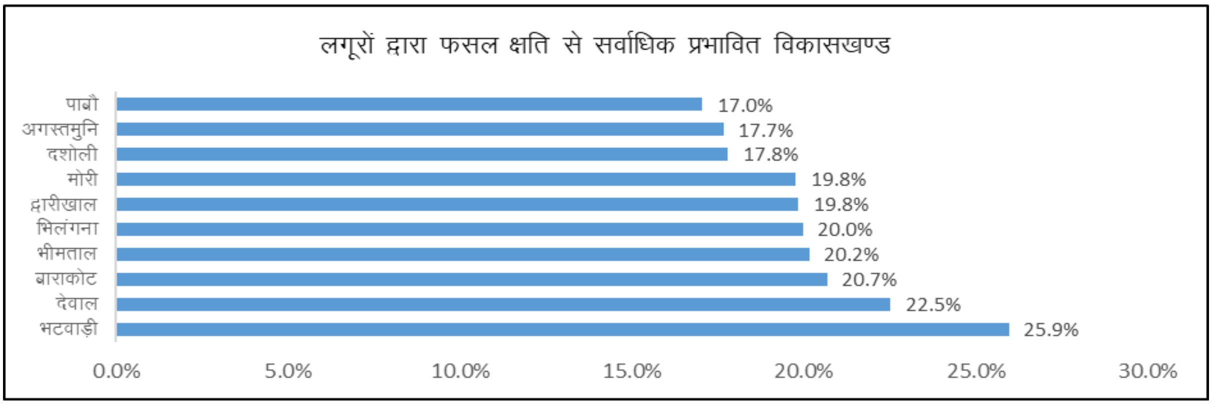

नीलगाय द्वारा फसल क्षति :– नीलगाय मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाती है। राज्य स्तर पर इसका औसत 5.7 प्रतिशत है। विशेष रूप से हरिद्वार (43.2%) और ऊधमसिंह नगर (24.5%) जिलों में नीलगाय फसल नुकसान का प्रमुख कारण है।

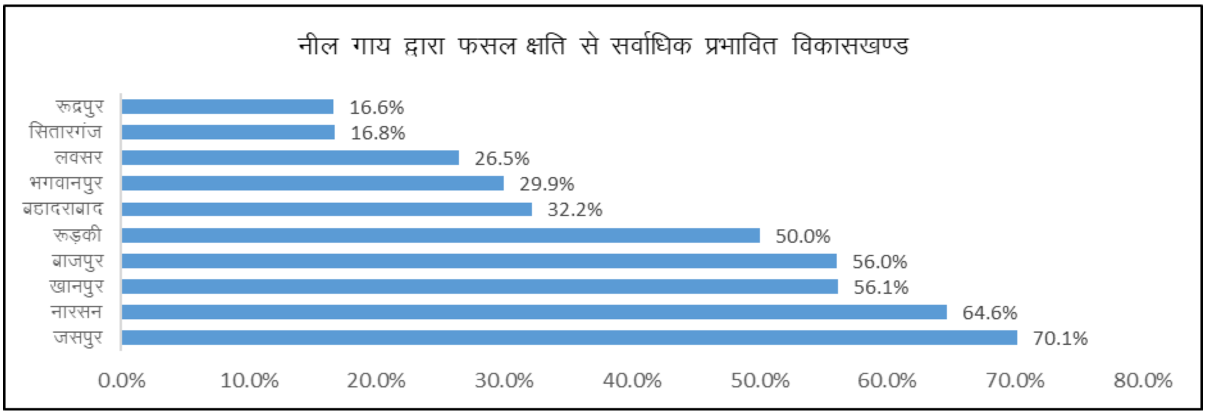

बेसहारा पशुओं द्वारा फसल क्षति :– राज्य में बेसहारा पशु भी फसल क्षति का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। इसका औसत योगदान 11.0 प्रतिशत है। विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर (43.8%) और हरिद्वार (21.8%) में यह समस्या अधिक गंभीर है।

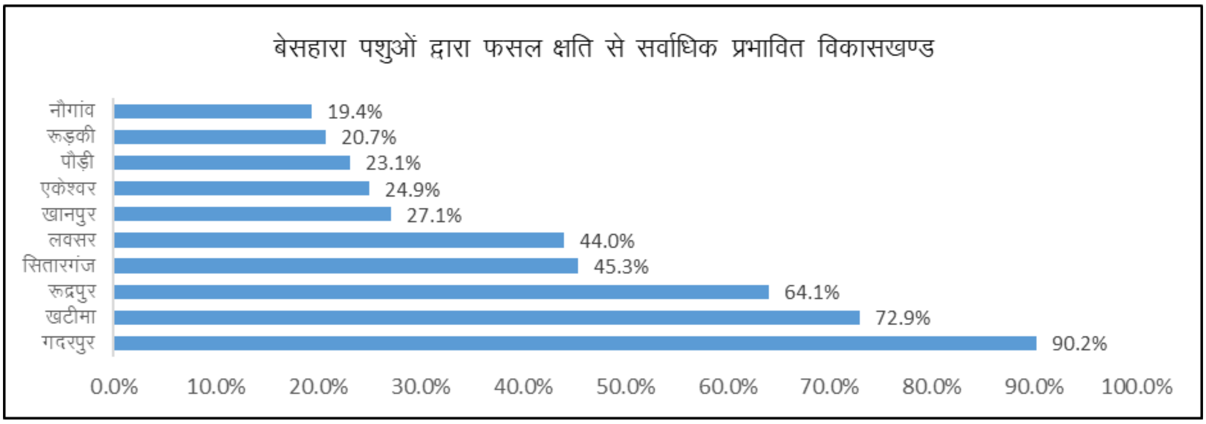

भालू द्वारा फसल क्षति :– भालू से होने वाली फसल क्षति अपेक्षाकृत कम है, परंतु कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में यह समस्या मौजूद है। राज्य स्तर पर इसका औसत 2.2 प्रतिशत है। चमोली (6.6%) और पिथौरागढ़ (5.4%) में भालू से फसल नुकसान अधिक देखा गया है।

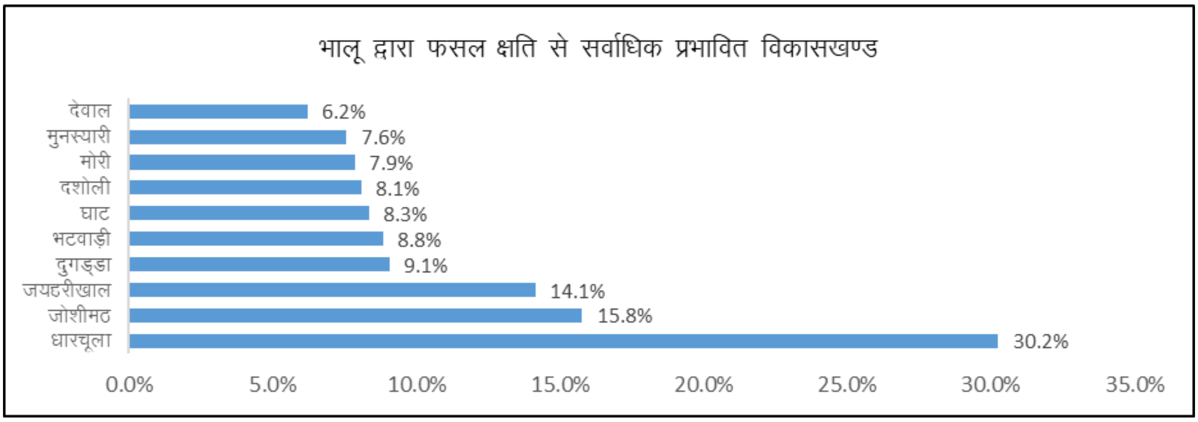

हाथी द्वारा फसल क्षति :– हाथी मुख्य रूप से तराई और मैदानी क्षेत्रों में फसल क्षति का कारण बनते हैं। राज्य स्तर पर इसका औसत 1.5 प्रतिशत है। हरिद्वार (6.1%), देहरादून (5.6%) और नैनीताल (4.4%) में हाथियों से होने वाली फसल क्षति अपेक्षाकृत अधिक है।

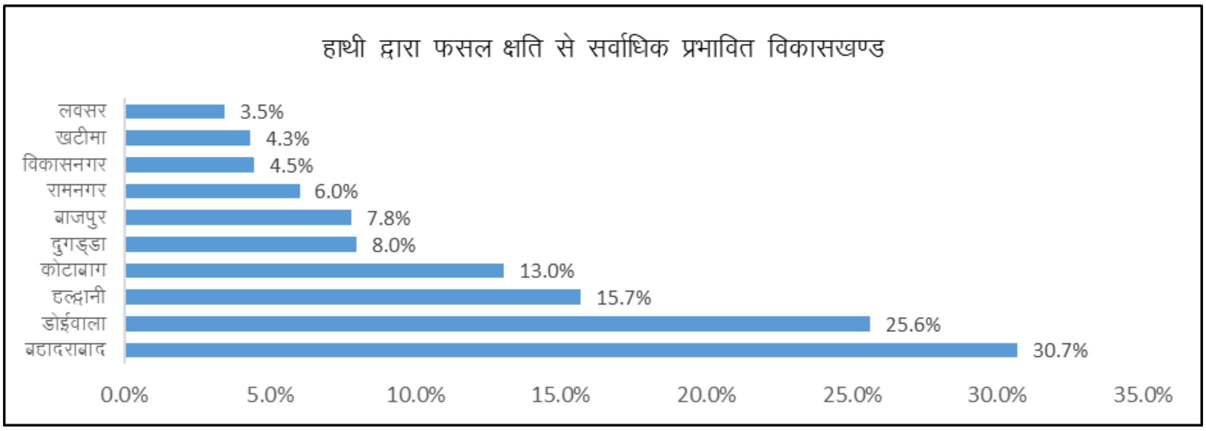

अन्य वन्य जीव :– अन्य वन्य जीवों की श्रेणी में विभिन्न छोटे वन्य जीव शामिल हैं जिनका कुल योगदान लगभग 7.1 प्रतिशत है। चम्पावत (14.2%) और चमोली (10.0%) जिलों में इस श्रेणी का योगदान अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है।

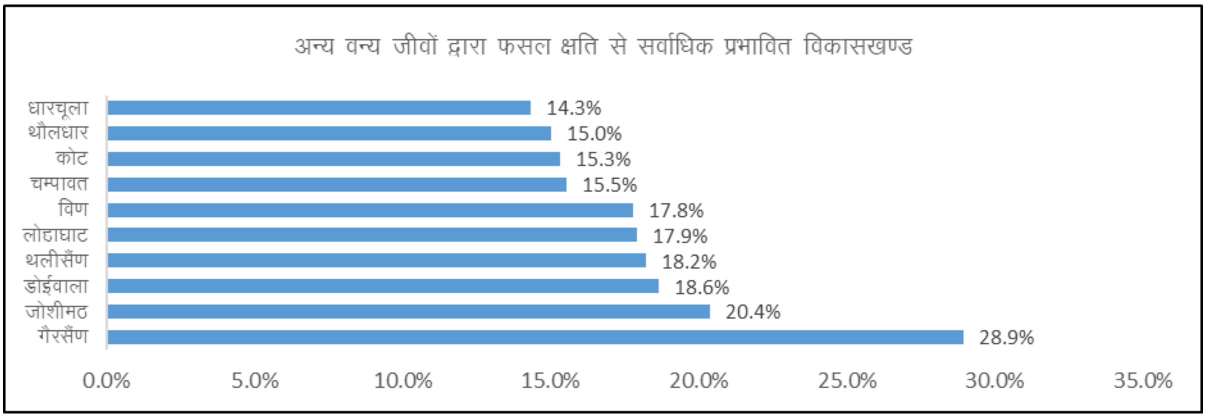

विश्लेषण का सारांश :– उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड राज्य में फसल क्षति का प्रमुख कारण बंदर और जंगली सूअर हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में नीलगाय और बेसहारा पशु से अधिक क्षति होती है। पर्वतीय जिलों में बंदर, लंगूर और जंगली सूअर की समस्या अधिक गंभीर है, जबकि तराई क्षेत्रों में नीलगाय और हाथी का प्रभाव अधिक देखा जाता है।

यह विश्लेषण दर्शाता है कि राज्य में मानव–वन्यजीव संघर्ष का स्वरूप भौगोलिक परिस्थितियों और वन्य जीवों की प्रजाति के अनुसार भिन्न–भिन्न है। इसलिए समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतियाँ विकसित करना आवश्यक है।

किसानों द्वारा अपनाए गए स्थानीय रोकथाम उपायों का विश्लेषण

राज्य में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक और स्थानीय उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन उपायों का उद्देश्य खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्य जीवों को फसलों से दूर रखना तथा सामुदायिक स्तर पर समस्या का समाधान करना है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीणों द्वारा अपनाए गए उपायों को मुख्यतः 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंकड़ों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण, ग्राफ एवं विश्लेषण निम्नवत दिया गया है–

वन्यजीवों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान की रोकथाम हेतु अपनाए गए उपायों का विश्लेषण :– राज्य में वन्यजीवों द्वारा फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए ग्रामीण समुदाय द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक एवं स्थानीय उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, वन्यजीवों को खेतों से दूर रखना तथा सामुदायिक स्तर पर समस्या का समाधान करना है। आयोग द्वारा 7420 सर्वेक्षित ग्राम पंचायतों के उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के उपरांत अपनाये जा रहे उपायों को मुख्यतः 04 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंकड़ों का जनपदवार एवं विकासखण्डवार विवरण, ग्राफ एवं विश्लेषण निम्नवत किया गया है :–

राज्य में वन्यजीवों से फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने हेतु किसानों द्वारा अपनाए गए वर्गीकृत उपायों के आधार पर ग्रामों का जनपदवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	सामुदायिक निगरानी, रखवाली एवं सामाजिक व्यवस्था	खेतों की भौतिक सुरक्षा एवं अवसंरचना (Physical Protection)	ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से डराने वाले उपाय (Deterrent Measures)	रासायनिक, यांत्रिक एवं कृत्रिम अवरोध
1	अल्मोडा	315	197	351	0
2	बागेश्वर	84	17	61	10
3	चमोली	359	105	142	73
4	चम्पावत	61	70	69	2
5	देहरादून	105	26	68	10
6	हरिद्वार	50	15	60	65
7	नैनीताल	94	58	53	84
8	पौड़ी	307	112	179	67
9	पिथौरागढ	180	150	185	175
10	रूद्रप्रयाग	299	239	118	2

11	टिहरी	407	276	308	67
12	ऊधमसिंहनगर	16	49	0	33
13	उत्तरकाशी	166	32	97	77
उत्तराखण्ड		**2443**	**1346**	**1691**	**665**

राज्य में वन्यजीवों से फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने हेतु किसानों द्वारा अपनाए गए वर्गीकृत उपायों के आधार पर विकासखण्डवार विवरण

क्र0सं0	जनपद	विकासखण्ड	सामुदायिक निगरानी, रखवाली एवं सामाजिक व्यवस्था	खेतों की भौतिक सुरक्षा एवं अवसंरचना (Physical Protection)	. ध्वनि और प्रकाश के माध्यम से डराने वाले उपाय (Deterrent Measures)	रासायनिक, यांत्रिक एवं कृत्रिम अवरोध
1	पौड़ी	बीरौंखाल	30	0	0	0
2	पौड़ी	दुगड्डा	29	0	1	0
3	पौड़ी	द्वारीखाल	12	35	38	3
4	पौड़ी	एकेश्वर	0	0	0	0
5	पौड़ी	जयहरीखाल	25	4	10	4
6	पौड़ी	कल्जीखाल	10	4	0	8
7	पौड़ी	खिर्सू	0	14	30	25
8	पौड़ी	कोट	3	17	2	12
9	पौड़ी	नैनीडांडा	0	0	45	0
10	पौड़ी	पाबौ	70	23	36	0
11	पौड़ी	पौड़ी	6	0	0	0
12	पौड़ी	पोखड़ा	0	7	0	0
13	पौड़ी	रिखणीखाल	0	0	17	2
14	पौड़ी	थलीसैंण	98	8	0	13
15	पौड़ी	यमकेश्वर	24	0	0	0
16	टिहरी	भिलंगना	117	90	58	9
17	टिहरी	चम्बा	69	80	65	3
18	टिहरी	देवप्रयाग	7	0	3	1
19	टिहरी	जाखणीधार	3	0	0	0
20	टिहरी	जौनपुर	53	0	69	2
21	टिहरी	कीर्तिनगर	38	58	60	32
22	टिहरी	नरेन्द्रनगर	72	20	32	10
23	टिहरी	प्रतापनगर	0	0	6	10
24	टिहरी	थौलधार	48	28	15	0
25	हरिद्वार	बहादराबाद	38	8	31	31
26	हरिद्वार	भगवानपुर	1	7	22	8

27	हरिद्वार	खानपुर	0	0	0	0
28	हरिद्वार	लक्सर	11	0	7	24
29	हरिद्वार	नारसन	0	0	0	0
30	हरिद्वार	रूड़की	0	0	0	2
31	चमोली	दशोली	63	0	0	0
32	चमोली	देवाल	41	35	20	0
33	चमोली	गैरसैंण	33	8	62	58
34	चमोली	घाट	20	0	5	0
35	चमोली	जोशीमठ	49	19	4	6
36	चमोली	कर्णप्रयाग	34	7	2	0
37	चमोली	नारायणबगड़	33	14	26	6
38	चमोली	पोखरी	57	1	1	0
39	चमोली	थराली	29	21	22	3
40	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	26	5	25	7
41	उत्तरकाशी	चिन्यालीसौड	65	0	0	1
42	उत्तरकाशी	डुण्डा	0	1	22	32
43	उत्तरकाशी	मोरी	68	1	44	0
44	उत्तरकाशी	नौगांव	0	0	0	16
45	उत्तरकाशी	पुरोला	7	25	6	21
46	देहरादून	चकराता	0	0	0	0
47	देहरादून	डोईवाला	0	0	0	1
48	देहरादून	कालसी	60	22	37	9
49	देहरादून	रायपुर	1	0	23	0
50	देहरादून	सहसपुर	2	0	8	0
51	देहरादून	विकासनगर	42	4	0	0
52	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	137	133	28	1
53	रूद्रप्रयाग	जखोली	100	83	83	0
54	रूद्रप्रयाग	ऊखीमठ	62	23	7	1
55	पिथौरागढ	बेरीनाग	22	0	15	7
56	पिथौरागढ	धारचूला	12	0	29	31
57	पिथौरागढ	डीडीहाट	2	0	48	55
58	पिथौरागढ	गंगोलीहाट	49	52	8	24
59	पिथौरागढ	कनालीछीना	8	11	21	1
60	पिथौरागढ	मूनाकोट	48	9	0	0
61	पिथौरागढ	मुनस्यारी	39	47	52	57
62	पिथौरागढ	विण	0	31	12	0
63	चम्पावत	बाराकोट	2	0	0	0
64	चम्पावत	चम्पावत	17	33	33	0

65	चम्पावत	लोहाघाट	13	6	29	2
66	चम्पावत	पाटी	29	31	7	0
67	अल्मोडा	भैसियाछाना	19	0	14	0
68	अल्मोडा	भिकियासैंण	13	6	1	0
69	अल्मोडा	चौखुटिया	17	1	8	0
70	अल्मोडा	धौलादेवी	8	86	3	0
71	अल्मोडा	द्वाराहाट	27	14	14	0
72	अल्मोडा	हवालबाग	53	43	45	0
73	अल्मोडा	लमगड़ा	37	2	0	0
74	अल्मोडा	सल्ट	0	0	136	0
75	अल्मोडा	स्याल्दे	32	44	47	0
76	अल्मोडा	ताडीखेत	41	1	8	0
77	अल्मोडा	ताकुला	68	0	75	0
78	ऊधमसिंहनगर	बाजपुर	0	0	0	0
79	ऊधमसिंहनगर	गदरपुर	0	0	0	0
80	ऊधमसिंहनगर	जसपुर	0	0	0	0
81	ऊधमसिंहनगर	काशीपुर	0	30	0	33
82	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	0	0	0	0
83	ऊधमसिंहनगर	रूद्रपुर	0	0	0	0
84	ऊधमसिंहनगर	सितारगंज	16	19	0	0
85	नैनीताल	बेतालघाट	1	0	0	0
86	नैनीताल	भीमताल	41	16	3	3
87	नैनीताल	धारी	19	16	26	11
88	नैनीताल	हल्द्वानी	13	2	0	44
89	नैनीताल	कोटाबाग	0	0	10	0
90	नैनीताल	ओखलकाण्डा	15	8	13	3
91	नैनीताल	रामगढ	5	16	1	18
92	नैनीताल	रामनगर	0	0	0	5
93	बागेश्वर	बागेश्वर	39	17	55	10
94	बागेश्वर	गरूड	23	0	0	0
95	बागेश्वर	कपकोट	22	0	6	0
उत्तरखण्ड			**2443**	**1346**	**1691**	**665**

1— सामुदायिक निगरानी, रखवाली एवं सामाजिक व्यवस्था वाला कदम :— ग्रामीण क्षेत्रों में फसल सुरक्षा का सबसे प्रभावी एवं व्यापक मॉडल सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह व्यवस्था न केवल लागत में कम है, बल्कि सामाजिक एकजुटता को भी सुदृढ़ करती है।

राज्य में सबसे अधिक अपनाया जाने वाला उपाय सामुदायिक निगरानी, रखवाली एवं सामाजिक व्यवस्था है। इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 2443 गांवों में इस प्रकार के उपाय अपनाए जा रहे हैं।

यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि किसान समुदाय सामूहिक प्रयासों के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय है तथा स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए स्वयं पहल कर रहा है। **"विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां खेत छोटे एवं बिखरे हुए हैं, वहां यह मॉडल अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक सिद्ध हो रहा है।"**

प्रमुख व्यवस्थाएं :

- **सामुदायिक पहरेदारी (Day & Night Vigil) :** गांवों में रात्रि के समय विशेष निगरानी रखी जाती है, क्योंकि अधिकांश जंगली जानवर रात में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं।
- **वेतन आधारित चौकीदार प्रणाली :–** कुछ ग्रामों में अस्थायी/स्थायी चौकीदार नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से भुगतान किया जाता है।
- **सामूहिक चयन प्रणाली :–** जहां चौकीदार नहीं हैं, वहां ग्राम सभा द्वारा स्थानीय व्यक्ति का चयन किया जाता है।
- **रोटेशनल ड्यूटी (बारी–बारी रखवाली) :–** किसान अपनी–अपनी बारी से खेतों की निगरानी करते हैं, जिससे व्यक्तिगत बोझ कम होता है।
- **ग्रुप/टोलियों का गठन :–** जंगली जानवरों को भगाने के लिए सामूहिक टीम बनाई जाती है, जो आपात स्थिति में सक्रिय होती है।
- **पालतू कुत्तों का उपयोग :–** कुत्ते चेतावनी संकेत (भौंकना) देकर किसानों को सतर्क करते हैं और छोटे जानवरों को दूर रखते हैं।

2– ध्वनि, प्रकाश एवं डराने के उपाय (Deterrent Measures) :– ये उपाय वन्यजीवों को डराकर एवं भ्रमित कर उन्हें खेतों से दूर रखने के उद्देश्य से अपनाए जाते हैं। राज्य में कुल **1691 ग्रामों में** फसलों की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के डराने या भगाने वाले उपाय अपनाए जा रहे हैं। इन उपायों के अंतर्गत ग्रामीणों द्वारा निम्नलिखित प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं।

मुख्य उपाय :–

- **पटाखे एवं गुलेल :–** तेज आवाज से जानवर तुरंत भाग जाते हैं।
- **टिन/डिब्बे बजाना :–** पारंपरिक तरीका, जिसमें ध्वनि से जानवरों को भगाया जाता है।
- **पवन चक्की एवं ध्वनि यंत्र :–** हवा से चलने वाले उपकरण/जुगाड़ निरंतर आवाज उत्पन्न करते हैं।
- **प्रकाश आधारित उपाय :–** सोलर लाइट, फ्लैश लाइट/टॉर्च या टिमटिमाती रोशनी से जानवरों को भ्रमित किया जाता है।
- **मानव उपस्थिति का आभास :–** कुछ जगहों पर रेडियो/रिकॉर्डेड आवाज का उपयोग भी किया जाता है।

3– खेतों की भौतिक सुरक्षा एवं अवसंरचना (Physical Protection) :– यह उपाय फसलों को प्रत्यक्ष एवं दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा विशेष रूप से बड़े वन्यजीवों के विरुद्ध प्रभावी माने जाते हैं। राज्य में यह तीसरा प्रमुख उपाय है, जिसे कुल **1346 ग्रामों** द्वारा अपनाया जा रहा है। इन उपायों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ शामिल हैं :–

मुख्य उपाय :–

- **तारबाड़ (Wire Fencing) :–** खेतों के चारों ओर कांटेदार तार या साधारण तार लगाकर जानवरों के प्रवेश को रोका जाता है।

- **सोलर फेंसिंग (Solar Fencing) :–** हल्के करंट वाली सोलर फेंसिंग से जानवरों को झटका देकर दूर रखा जाता है (मानव के लिए सुरक्षित)।
- **झाड़ियां एवं बांस की घेराबंदी :–** प्राकृतिक और सस्ती विधि, जो छोटे एवं मध्यम जानवरों को रोकती है।
- **खाइयों (Trenches) का निर्माण :–** खेतों के चारों ओर खाई खोदकर हाथी/नीलगाय जैसे बड़े जानवरों को रोका जाता है।
- **पुतले (Scarecrow) :–** खेतों के बीच मानव आकृति के पुतले एवं कपड़ों की बाड़ लगाकर जानवरों को भ्रमित किया जाता है।
- **प्राकृतिक अवरोध :–** कांटेदार झाड़ियां विकसित करना।

4– रासायनिक, यांत्रिक एवं कृत्रिम अवरोध :– यह श्रेणी पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक तकनीकों के मिश्रण पर आधारित नवाचारपूर्ण समाधान प्रस्तुत करती है। इस श्रेणी के अंतर्गत राज्य की **कुल 665 ग्रामों में** विभिन्न प्रकार के रासायनिक, यांत्रिक एवं कृत्रिम अवरोध अपनाए जा रहे हैं। इन उपायों के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्थाएँ शामिल हैं :–

मुख्य उपाय :–

- **मिर्च के तीखे स्प्रे (Chili Spray) :–** खेतों के आसपास छिड़काव कर जानवरों को दूर रखा जाता है।
- **धुआं (Smoke Repellent) :–** खेतों में धुआं करने से गंध के कारण जानवर दूर रहते हैं।
- **मधुमक्खी के छत्तों की बाड़ (Bee Fencing) :–** विशेषकर हाथियों के विरुद्ध प्रभावी, क्योंकि वे मधुमक्खियों से डरते हैं।
- **रासायनिक निरोधक :–** जैसे एप्रिफ्लोरोन, ब्यूटेनिथियोल आदि, जो गंध/स्वाद के कारण जानवरों को रोकते हैं।
- **जैव–भौतिक बाधाएं :–** बांस की छड़े, कांटेदार झाड़ियां, खाइयां आदि।
- **कृत्रिम एवं यांत्रिक उपकरण :–** सोलर फ्लैश सिस्टम, ऑटोमैटिक साउंड डिवाइस आदि।

वन्यजीव–फसल संघर्ष की रोकथाम के लिए अपनाए गए उपायों का प्रवृत्ति विश्लेषण :– समग्र विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य में फसल सुरक्षा हेतु बहु–आयामी (multi-layered) रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें सामुदायिक सहभागिता प्रमुख भूमिका निभाती है। जहाँ एक ओर सामुदायिक निगरानी व्यापक एवं आधारभूत व्यवस्था के रूप में उभरती है, वहीं भौतिक सुरक्षा उपाय दीर्घकालिक समाधान प्रदान करते हैं। इसके विपरीत, डराने वाले उपाय त्वरित लेकिन अस्थायी प्रभाव रखते हैं, जबकि रासायनिक एवं यांत्रिक उपाय अभी सीमित स्तर पर अपनाए जा रहे हैं।

अतः मानव–वन्यजीव संघर्ष को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण (Integrated Approach) आवश्यक है, जिसमें सामुदायिक, भौतिक और तकनीकी उपायों का समन्वित उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

अगले अध्याय **"जंगली जानवरों से फसलों की क्षति पर आंकडों का विश्लेषण एवं सुरक्षा के सुझाव"** में सिफारिशों को सम्मिलित किया गया है।

जंगली जानवरों से फसलों की क्षति पर आंकड़ों का विश्लेषण एवं सुरक्षा के सुझाव

आंकड़ों का विश्लेषण

आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए गए व्यापक सर्वे के आधार पर जंगली जानवरों द्वारा फसलों को क्षति का आंकलन किया गया। इस आंकलन के आधार पर किए गए विश्लेषण के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं:–

1. उत्तराखण्ड राज्य में कृषि क्षेत्र वन क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण वन्य जीवों और मानव गतिविधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क अधिक देखने को मिलता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण गाँवों से पलायन भी हो रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि राज्य से फसल क्षति मुख्य रूप से कुछ प्रमुख वन्य जीवों के कारण होती है।

   राज्य स्तर पर औसतन बंदर (36.7%) और जंगली सूअर (22.9%) फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाने वाले वन्य जीव हैं। इसके अतिरिक्त बेसहारा पशु (11.0%), लंगूर (9.3%), नीलगाय (5.7%), साही (3.5%), भालू (2.2%) तथा हाथी (1.5%) भी विभिन्न क्षेत्रों में फसल क्षति के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। अन्य वन्य जीवों की श्रेणी का योगदान लगभग 7.1 प्रतिशत है।
2. **बंदर द्वारा फसल क्षति :–** बंदर फसलों को नुकसान के सबसे प्रमुख कारणों में से एक हैं। औसतन 36.7 प्रतिशत फसल क्षति बंदरों के कारण होती है। विशेष रूप से बागेश्वर (47.4%), उत्तरकाशी (45.7%), टिहरी (44.3%), पिथौरागढ़ (44.3%) और देहरादून (45.0%) जिलों में बंदरों द्वारा नुकसान की घटनाएँ अधिक हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों की बढ़ती संख्या और मानव बस्तियों के निकट उनकी उपस्थिति इस समस्या को बढ़ाती है।
3. **जंगली सूअर द्वारा फसल क्षति :–** जंगली सूअर राज्य में दूसरा प्रमुख वन्य जीव है जो फसलों को भारी नुकसान पहुँचाता है। राज्य स्तर पर इसका औसत योगदान 22.9 प्रतिशत है। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग (31.8%), अल्मोड़ा (30.1%) और बागेश्वर (28.9%) तथा चम्पावत (28.4%) में जंगली सूअर द्वारा फसल नुकसान की घटनाएँ अधिक हैं। जंगली सूअर प्रायः मक्का, आलू तथा अन्य फसलों को अधिक नुकसान पहुँचाते हैं।
4. **साही द्वारा फसल क्षति :–** साही का योगदान अपेक्षाकृत कम है, परंतु कुछ पर्वतीय जिलों में यह समस्या महत्वपूर्ण है। राज्य स्तर पर इसका औसत 3.5 प्रतिशत है। उत्तरकाशी (6.5%), नैनीताल (5.2%) और पिथौरागढ़ (5.1%) में साही द्वारा फसल नुकसान अधिक देखा गया है।
5. **लंगूर द्वारा फसल क्षति :–** लंगूर भी कई क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। राज्य स्तर पर इसका औसत 9.3 प्रतिशत है। विशेष रूप से रुद्रप्रयाग (16.7%), उत्तरकाशी (13.4%), चम्पावत (12.9%) और नैनीताल (12.3%) जिलों में लंगूर से फसल क्षति अधिक देखी गई है।
6. **नीलगाय द्वारा फसल क्षति :–** नीलगाय मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँचाती है। राज्य स्तर पर इसका औसत 5.7 प्रतिशत है। विशेष रूप से हरिद्वार (43.2%) और ऊधमसिंह नगर (24.5%) जिलों में नीलगाय फसल नुकसान का प्रमुख कारण है।
7. **बेसहारा पशुओं द्वारा फसल क्षति :–** राज्य में बेसहारा पशु भी फसल क्षति का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। इसका औसत योगदान 11.0 प्रतिशत है। विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर (43.8%) और हरिद्वार (21.8%) में यह समस्या अधिक गंभीर है।

8. **भालू द्वारा फसल क्षति :–** भालू से होने वाली फसल क्षति अपेक्षाकृत कम है, परंतु कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में यह समस्या मौजूद है। राज्य स्तर पर इसका औसत 2.2 प्रतिशत है। चमोली (6.6%) और पिथौरागढ़ (5.4%) में भालू से फसल नुकसान अधिक देखा गया है।
9. **हाथी द्वारा फसल क्षति :–** हाथी मुख्य रूप से तराई और मैदानी क्षेत्रों में फसल क्षति का कारण बनते हैं। राज्य स्तर पर इसका औसत 1.5 प्रतिशत है। हरिद्वार (6.1%), देहरादून (5.6%) और नैनीताल (4.4%) में हाथियों से होने वाली फसल क्षति अपेक्षाकृत अधिक है।
10. **अन्य वन्य जीव :–** अन्य वन्य जीवों की श्रेणी में विभिन्न छोटे वन्य जीव शामिल हैं जिनका कुल योगदान लगभग 7.1 प्रतिशत है। चम्पावत (14.2%) और चमोली (10.0%) जिलों में इस श्रेणी का योगदान अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है।
11. राज्य में स्थानीय स्तर पर किसानों द्वारा जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक एवं स्थानीय उपाय अपनाए जा रहे है। इन उपायों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

    (क) सामुदायिक निगरानी, रखवाली एवं सामाजिक व्यवस्था

    (ख) ध्वनि, प्रकाश एवं डराने के उपाय

    (ग) खेतों की भौतिक सुरक्षा एवं अवसंरचना

    (घ) रासायनिक, यांत्रिक एवं कृत्रिम अवरोध

12. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जानवरों से फसलों को नुकसान कम करने के लिए कार्यरत है। इन कार्यक्रमों के विषय में अध्याय 4 में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है तथा इसका सारांश निम्नवत है–

    (क) वन विभाग– उत्तराखण्ड वन विभाग फसलों को नुकसान कर रहे वन्यजीवों का वनमण्डलवार आंकड़े रखता है ताकि इनसे सुरक्षा की योजना बनाई जा सके।

    – वन विभाग फसल सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा चालित बाड़ योजना क्रियान्वित करता है।

    – वन्यजीव पकड़ने और पुनर्वास योजना

    – फसल क्षति मुआवजा योजना

    (ख) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण–

    – वन्यजीव चेतावनी प्रणाली (Wildlife Alert System)

    – मानव–वन्यजीव संघर्ष राहत योजना

    (ग) कृषि विभाग–

    – जंगली जानवरों से बचाव हेतु मिश्रित खेती योजना

    – मधुमक्खी पालन योजना

    (घ) पशुपालन विभाग– गौ सदनों की स्थापना का कार्य

    (ङ) उद्यान विभाग–

    – ग्रीन हाउस योजना

    – उद्यानों की घेरबाड़ योजना

    – मौनपालन

    (च) ग्राम्य विकास विभाग– मनरेगा योजना अन्तर्गत सुअररोधी दीवार

जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु सुझाव

I. वन्यजीवों के प्राकृतिक वास :– जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक वास में पर्याप्त भोजन या शिकार नहीं मिल पाने से वे खेतों की ओर रूख करते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है।

1. जंगलों के किनारे वाले क्षेत्रों में चारागाह पुनर्निर्माण तथा घास और फलदार पौध रोपण।
2. बायोफेंसिंग, मधुमक्खी बाड़ जैसे फसल सुरक्षा उपाय को बढ़ावा मिले जिससे जानवर खेतों की ओर न आएं।
3. वन्यजीव गलियारों (Wildlife Corridors) की पहचान और सुरक्षा।
4. वृक्षारोपण अभियान जिसमें जंगली फल, बांस और औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाए।
5. जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना क्योंकि हिमनदों के सूखने से वन्यजीवों को भोजन–पानी नहीं मिल पाता।
6. स्थानीय पारिस्थितिकी का अध्ययन और उस पर आधारित योजनाएं तैयार हो।
7. वन पंचायतों को पुनर्जीवित कर जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए।

II. सामुदायिक निगरानी एवं नियंत्रण :– फसलों का जानवरों से बचाव केवल सरकार एवं वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, स्थानीय समुदायों की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग जंगली जानवरों से सुरक्षा में सक्रिय रूप से सम्मिलित हों, तो मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित उपायों से सामुदायिक निगरानी और नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सकता है :–

1. स्थानीय लोगों को फसल सुरक्षा के लिए मानदेय या अन्य प्रोत्साहन दिया जाए। इसको वीबी–जी राम जी योजना में रखा जाये।
2. GPS, AI, मोशन सेंसर और ड्रोन कैमरा जैसी तकनीकों से ग्रामीण समुदाय को प्रशिक्षित कर निगरानी में शामिल किया जाए।
3. ग्रामीण बस्तियों में हर्बल खेती, शहद उत्पादन, वन्यजीव पर्यटन और अन्य टिकाऊ आजीविका के संसाधनों से जोड़ा जाए।
4. सामुदायिक निगरानी की व्यवस्था की जाए।

III. ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उपायों का अभाव :– जंगली जानवरों के जोखिम को कम करने के लिए ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उपायों की कमी को दूर करने के लिये कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं :–

1. रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियों, नीम या अन्य प्राकृतिक पौधों से बनी हेज (झाड़ियां) लगाने पर जोर दिया जाए।
2. मिर्च पाउडर और गोबर के मिश्रण/लहसुन और नीम का अर्क/अलसी, सरसों और नीम के तेल के मिश्रण को बाड़ों के किनारे छिड़काव करने से जंगली जानवर दूर किये जा सकते हैं।
3. पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उपायों को साझा करने को प्रोत्साहित किया जाए।
4. मिश्रित खेती को बढ़ावा मिले ताकि कुछ फसलें जानवरों के आकर्षण से दूर रह सकेगी। साथ ही गांव और जंगल के समीप के खेतों में जंगली जानवरों की मनपंसद फसलों को उगाने के लिए किसानों को फसल भत्ता देय हो।

IV. मानव/शिकारी जानवरों के पुतलों के प्रदर्शन :– फसलों के नुकसान को कम करने के लिए पारंपरिक रूप से नकली मानव और शिकारी जानवरों के पुतलों का उपयोग किया जाता रहा है। हालांकि इन्हें प्रभावी बनाने के लिए कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपाय अपनाने आवश्यक हैं :–

1. पुतलों का उपयोग एक पारंपरिक तरीका है, लेकिन यदि उनके अभाव में कोई अन्य उपाय पुआल, लकड़ी, मिट्टी और नारियल की खेल से टिकाऊ और पर्यावरण–अनुकूल पुतले बनाए जा सकते हैं।
2. हवा के साथ हलचल करने वाले हाथ–पैर और सिर वाले पुतले अधिक प्रभावी हो सकते हैं।
3. रात में डराने के लिए मानव पुतले पर परावर्तक पट्टियां (Reflective Strips) और चमकदार LED लाइट अथवा रंग का उपयोग किया जा सकता है।
4. खेतों और गांव की सीमाओं पर जहां से जंगली जानवरों का आवागमन होता है वहां अधिक ऊँचाई वाले पुतले भ्रमित करने के लिए विशिष्ट कोण पर लगाये जा सकते हैं।

V. वैकल्पिक फसलों के उत्पादन हेतु जागरूकता :– उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जलवायु, पारंपरिक खेती के साथ–साथ मिलेट्स, औषधीय पौधों, मसालों, बागवानी फसलों, तिलहन, दलहन और ऑर्गेनिक खेती जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए उपयुक्त है। लेकिन जानकारी के अभाव, पारंपरिक खेती पर निर्भरता और बाजार की अनिश्चितता के कारण किसान इन विकल्पों को अपनाने में हिचकचाते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं :–

1. कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा फील्ड डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों को नई फसलों की खेती के तरीकों से अवगत कराया जाय।
2. उत्तराखण्ड में स्थित विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (VPKAS) और जी0बी0 पन्त कृषि विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की भागीदारी निर्धारित कर किसानों से सीधा जोड़ा जाय।
3. किसानों को समूह बनाकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किये जाने का प्राविधान हो ताकि किसानों को कम उत्पादन लागत में अधिक लाभ मिल सकेगा।
4. छोटे किसानों को मिलाकर सहकारी संस्थाएं (FPO) बनाई जाएं ताकि वे मिलकर अपनी उपज को सही दाम पर बेच सकें।

VI. कचरा प्रबंधन :– उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के मुख्य कारणों में **"अनियंत्रित कचरा प्रबंधन"** है। कचरे में मिलने वाले खाद्य अवशेष, जंगली जानवरों को मानव बस्तियों की ओर आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण समुदाय, नगर निकाय और पर्यावरणविदों को मिलकर ठोस रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

1. हर गांव और शहर में डोर–टू–डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा की जाए ताकि कचरा खुले मे ंना बिखरे।
2. जैविक कचरे (खाद्य अवशेष, पत्तियाँ, किचन वेस्ट) से खाद बनाने की प्रणाली विकसित की जाए।
3. गांवों, पर्यटन स्थलों और शहरी क्षेत्रों में **"ढक्कनदार कूड़ेदान एवं डिब्बे"** लगाए जाएं ताकि जंगली जानवरों को कचरा खाने से रोका जा सके।
4. ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के सहयोग से बायोगैस और कम्पोस्ट प्लांट स्थापित कर बायोगैस और कम्पोस्ट खाद बनाने की कार्ययोजना तैयार हो।
5. गांवों और कस्बों में जन जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जाएं ताकि स्थानीय लोगों को यह समझाया जा सके कि खुले में कचरा फेंकना वन्यजीवों का आकर्षित करना है।
6. पर्यटकों और व्यवसायिकों के लिए विशेष नियम बनाये जाए तथा विद्यालयों और कॉलेजों में स्वच्छता अभियान संचालित हों।

VII. वन विभाग और ग्रामीण समुदाय के सहयोग :– वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य आवश्यक है, ताकि संयुक्त रणनीतियाँ विकसित की जा सकें। नीचे कुछ

प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो वन विभाग और स्थानीय समुदायों के सहयोग को मजबूत कर सकते हैं :–

1. वन्यजीव सुरक्षा एवं निगरानी समिति प्रत्येक ग्रामवार कलस्टर में बनाई जाए जिसमें वन विभाग के अधिकारी और ग्रामीण सम्मिलित हों।
2. ग्राम प्रधान एवं अन्य स्थानीय लोग इस समिति का हिस्सा बनें ताकि संवाद और सूचना आदान–प्रदान सुचारू हो सके।
3. वन विभाग द्वारा मासिक बैठकें आयोजित की जाएं ताकि स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और हल किया जाना सरल हो सके।
4. वन्यजीवों से बचाव और उनके सह–अस्तित्व के तरीकों पर गाँवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं।
5. गांवों के प्रवेश द्वारों और संवेदनशील क्षेत्रों में वॉचटावर बनाए जाएं जहाँ से निगरानी की जा सके।
6. वन विभाग द्वारा **''हॉटलाइन हेल्पलाइन नम्बर''** जारी किया जाए जिससे ग्रामीण वन्यजीवों की गतिविधियों की त्वरित रिपोर्ट कर सकें।

VIII. वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर दवाब को कम करना :– वन्यजीव भोजन और पानी की तलाश में गांवों और शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे मानव–वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इस समस्या को हल करने के लिए वन संरक्षण, प्राकृतिक आवास की पुनर्बहाली, वन्यजीव गलियारों के निर्माण और समुदाय की सक्रिय भागीदारी जैसे ठोस कदम उठाने होंगे।

1. जंगलों में स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष लगाकर और प्राकृतिक वनस्पति को बहाल कर वन्यजीवों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए।
2. बंजर भूमि का हरित क्षेत्र में रूपान्तरण कर अनुपयोगी पड़ी जमीन पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर इसे वन्यजीवों के लिए उपयोगी बनाया जाए।
3. सड़कें, रेल मार्ग, जल विद्युत परियोजनाएं और पर्यटन स्थलों के विकास के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया जाए कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट तो नहीं हो रहे।
4. राजमार्गों पर ऐसे पुल और अंडरपास बनाए जाएं जिससे हाथी, बाघ, तेंदुए और अन्य वन्यजीव आसानी से सड़क पार कर सकें।
5. कृषि, बस्तियों और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए जंगलों पर अतिक्रमण रोकने के लिए कठोर कानून लागू किए जाएं।

IX. जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम :– नीचे कुछ प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के समाधान में अहम भूमिका निभायेंगे :–

1. जलवायु–अनुकूलनशील पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को झेल सकें और वन्यजीवों को भोजन और आश्रय प्रदान कर सकें।
2. जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले जानवरों के लिए सुरक्षित आवागमन मार्ग बनाए जाएं।
3. स्थानीय स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा, जैविक कृषि और सतत विकास को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में सहयोगी कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।

X. ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी खेती का होना :– उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में खेती छोटे–छोटे बिखरे हुए टुकड़ों में होती है, जिसे **'बिखरी खेती'** कहा जाता है। जंगलों से सटे होने के कारण ये खेत जंगली जानवरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। हाथी, जंगली सूअर, बंदर, नीलगाय और भालू जैसे वन्यजीव भोजन की तलाश में खेतों को रौंद देते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :–

1. बिखरी खेती को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका इसे समेकित कर सामूहिक खेती का मॉडल अपनाना है।
2. इसके लिए किसानों को संगठित कर सहकारी खेती (Cooperative Farming) की व्यवस्था की जाए, ताकि खेतों की सुरक्षा आसान हो।
3. जमीनों को समेकित (Land Consolidation) कर एक बड़ा क्षेत्र बनाते हुए खेतों की सुरक्षा में सामूहिक प्रयास किया जा सकता है।
4. पानी, सिंचाई, खाद और श्रम को साझा संसाधन के रूप में उपयोग करने से कृषि की लागत में भी कमी आयेगी।

XI. वनाग्नि अंकुश का अभाव :– उत्तराखण्ड में गर्मियों के मौसम में वनाग्नि (Forest Fire) की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों में आग लगने से वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जिससे वे भोजन और पानी की तलाश में गांवों और खेतों की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका सीधा असर किसानों की फसलों, ग्रामीण आजीविका और मानव–वन्यजीव संघर्ष (Human-Wildlife Conflict) पर पड़ता है। इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जो सकते हैं :–

1. जंगलों में सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों को समय–समय पर हटाते रहने हेतु प्राविधान किये जाने से आग फैलने की सम्भावना कम की जा सकती है।
2. जंगलों में 5 से 10 मीटर चौड़ी आग–प्रतिरोधक लाइनों का निर्माण किये जाने से आग फैलने से रोका जा सकता है।
3. वनाग्नि निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए ड्रोन, सैटेलाइट और सेंसर आधारित सिस्टम को मजबूत किया जाए जिसमें आग लगने से पहले चेतावनी देने वाले AI–सक्षम सेंसर सिस्टम मौजूद हो, ताकि जंगलों में आग लगने की घटनाओं की रियल–टाइम
(Real Time) निगरानी की जा सके।
4. ग्रामीणों को आग बुझाने के पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाए।

XII. बेसहारा पशुओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि का होना :– उत्तराखण्ड में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या न केवल कृषि और यातायात के लिए चुनौती बन रही है, बल्कि मानव–पशु संघर्ष और पर्यावरणीय असंतुलन का कारण भी बन रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खेती से विमुख हो रहे हैं, जिससे उपयोगी पशुओं को भी छोड़ दिया जा रहा है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखण्ड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं :–

1. प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर स्थायी गौशालाओं की स्थापना की जाए।
2. परित्यक्त पशुओं को इन केन्द्रों में रखकर चारा, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
3. ग्राम पंचायत और स्वयंसेवी संगठनों को इसमें भागीदार बनाया जाए।
4. उत्तराखण्ड के ग्रामीण इलाकों मे ंपशुपालन को बढ़ावा देने के लिए चारा विकास केन्द्रों की स्थापना हो।
5. ऐसे क्षेत्रों में नेपियर घास, बरसीम और अन्य चारागाह पौधों को रोपित किया जाए, जिससे पशुओं के पालन में कठिनाई न हो और उन्हें छोड़ा न जाए।
6. गाँवों में **"ग्राम पशु मित्र समिति"** बनाई जाए जो बेसहारा पशुओं की पहचान, देखभाल और पुनर्वास का कार्य करे।
7. इन समितियों को राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण और अनुदान दिया जाए।
8. पशुओं को सड़कों या जंगलों में छोड़ने वालों पर जुर्माना और सजा का प्रावधान हो।
9. पर्वतीय क्षेत्रों में पशु बीमा, डेयरी योजना, दुग्ध संघों से जुड़ाव जैसे प्रोत्साहन दिए जाएं ताकि लोग पशु न छोडें।

10. कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से दूध और दूध से बने उत्पादों का विपणन किया जाए।

XIII. मुआवजा/फसल बीमा योजनाओं के प्रचार–प्रसार का अभाव :– मुआवजा एवं फसल बीमा योजनाओं के प्रचार–प्रसार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक किसान और ग्रामीण इन योजनाओं का लाभ उठा सकें :–

1. ग्राम सभाओं, पंचायतों की बैठकों और खेत चौपालों के माध्यम से सीधी बातचीत कर योजनाओं की जानकारी दी जाए, जानकारी स्थानीय भाषा में पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट और ऑडियो–वीडियो सामग्री तैयार की जाए।
2. कृषि विभाग/वन विभाग के कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारियों और राजस्व उप निरीक्षक को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रचारक के रूप में उपयोग किया जाए, ताकि ये कर्मचारी लोगों को आवेदन प्रक्रिया, प्रीमियम, लाभ और दावों की जानकारी दे सकें।
3. राज्य, जिला, विकासखण्ड और न्याय पंचायत स्तर पर कृषि मेले, बीमा शिविर और जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, तथा इन मेलों/शिविरों में बीमा कंपनियां और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर किसानों के सवालों का समाधान करें।
4. रेडियो, स्थानीय टीवी चैनलों और अखबारों में योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जाए, साथ ही किसान हेल्पलाइन या रेडियों कॉल शो जैसी श्रृंखलाएं शुरू की जाए जहाँ विशेषज्ञ किसानों के सवालों का जवाब दें।

XIV. फसलों के संरक्षण हेतु संचालित योजनाओं का प्रभाव :– उत्तराखण्ड में जंगली जानवरों के आतंक से फसलों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। परन्तु इस दिशा में संचालित योजनाओं में बजट की कमी के कारण उपायों का प्रभाव सीमित रह जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु नीचे कुछ प्रभावी और व्यावहारिक उपाय दिए गये हैं, जो बजट की कमी के प्रभाव को कम कर सकते हैं :–

1. ग्राम स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन कर सामूहिक प्रयासों (Community Based Approach) से खेतों की निगरानी और रक्षा सुनिश्चित की जाए। सामूहिक बाड़बंदी (Cluster Fencing) से लागत कम होगी और अधिक क्षेत्र कवर किया जा सकेगा।
2. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को संरक्षण कार्यों में सहयोगी बनाया जाए, जिससे सामूहिक धन और श्रम का उपयोग हो सकेगा। क्योंकि ये समूह बाड़ निर्माण, देखरेख और रिपोर्टिंग जैसे कार्य कर सकते हैं।
3. डेटा आधारित मैपिंग से यह तय किया जा सकता है कि किन इलाकों में सबसे पहले सुरक्षा उपायों की जरूरत है। ताकि बजट को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों जहाँ जंगली जानवनरों से नुकसान की अधिक आशंका है की Vulnerability mapping कराई जाये ताकि वहाँ प्रथम चरण में घेरबाड़ किया जा सके।
4. नीतिगत सुधार और वैकल्पिक वित्तीय स्रोत की उपलब्धता हेतु राज्य योजनाओं में विशेष फसल संरक्षण निधि का प्रावधान हो तथा मनरेगा जैसी योजनाओं से श्रम की व्यवस्था कर फसल सुरक्षा कार्यों (बाड़ लगाना, सफाई, निगरानी) में मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है।
5. विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाऐं जैसे घेरबाड, आदि के लिये अधिक बजट का प्रावधान किया जाये। इन योजनाओं का उल्लेख अध्याय IV में किया गया है।
6. प्रत्येक विभाग जैसे वन, कृषि, उद्यान, पशुपालन आदि में जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान के रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाये।

XV. भौतिक बाधाएँ (Physical Barriers) :– फसलों को जानवरों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक बाधाएँ भी लगायी जा सकती हैं, जो कि देश के अन्य भागों में भी सफल पायी गयी हैं। जैसे कि–

1. Circular razor wire as phisical barrier
2. HDPE Nylon Fish net as physical barrier
3. GI wire fence
4. Barbed wire fence
5. Chain link fence
6. Solar fence
7. Fixing of used colored sarees

XVI. पलायन का प्रभावः– उत्तराखण्ड के पहाड़ी इलाकों में बढ़ते जंगली जानवरों के आतंक का एक बड़ा कारण मानव आबादी का पलायन है। जब गांव खाली होते हैं और खेत–खलिहान बंजर हो जाते हैं, तो जंगली जानवर इन क्षेत्रों में आसानी से प्रवेश करने लगते हैं। यह समस्या न केवल कृषि को नुकसान पहुँचा रही है, बल्कि मानव–वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ा रही है। इस समस्या के समाधन के लिए एक समन्वित, बहु–आयामी रणनीति की आवश्यकता है। जिसके लिए निम्नवत उपाय किये जा सकते हैं :–

1. स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार जैसे जैविक खेती, फल–संरक्षण, औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
2. बकरीपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन जैसे अन्य लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के साथ–साथ तकनीकी सहायता देने पर भी जोर दिया जाए।
3. राज्यान्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यमिता से जोड़ने को बढ़ावा मिले ताकि पलायन का दबाव कम किया जा सके।
4. होमस्टे योजना, ट्रेकिंग मार्ग, लोक संस्कृति और जैव विविधता पर्यटन को और अधिक बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीणों को अतिरिक्त आय मिल सकेगी और वे गांवों में ही टिके रहेंगे।